रजिस्ट्री सं० डी(डी)-73 REGISTERED No. D (D) -73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17, 1977/भाद्र 26, 1899
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17, 1977/BHADRA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 1977

सा० का० नि० 1190—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

1. महाराष्ट्र के संबंधित क्रम सं० 7 के सामने,

(i) उच्चन्यायालय (अपील पक्ष) से संबंधित मद (क) के सामने, स्तंभ 2 में, मद (iv) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(क) केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता,
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, मुम्बई

(ख) श्री जे० एच० पारिख,
अपर विधि सलाहकार।

(ग) श्री जे० जी० सावन्त,
अपर विधि सलाहकार।

(घ) श्री शामराव डी० सावन्त,
स्थायी काउन्सेल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।"

(ii) उक्त न्यायालय (मूल शाखा) से संबंधित मद (ख) के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(i) केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता,
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय,
मुम्बई।

(ii) श्री जे० एच० पारिख,
अपर विधि सलाहकार,

(iii) श्री जे० जी० सावन्त,
अपर विधि सलाहकार,

केन्द्रीय सरकार के सभी मामले, जिनमें मध्य (सेन्ट्रल) रेलवे और पश्चिम रेलवे के मामले सम्मिलित हैं,"

2. पश्चिमी बंगाल से संबंधित क्रम सं० 14 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"14. पश्चिमी बंगाल

(क) उच्च न्यायालय :

(i) कलकत्ता उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता के भीतर जिसमें सांविधानिक रिट अधिकारिता सम्मिलित है, उद्भूत होने वाले, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित सभी मामलों (सिविल और दाण्डिक) की बाबत :

(क) श्री एस० के० मित्र, केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता

(ख) श्री एस० सी० सिन्हा, केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता

(ग) श्री एल० के० चटर्जी, केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता

(ii) कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रारम्भिक अधिकारिता के भीतर, जिसमें सांविधानिक रिट अधिकारिता सम्मिलित है, उद्भूत होने वाले सभी मामलों की बाबत:

(क) श्री एस० के० मित्र, केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता,

(ख) श्री एस० सी० सिन्हा, केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता

(ग) श्री एल० के० चटर्जी, केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता,

(ख) नगर सिविल न्यायालय, कलकत्ता :

(क) श्री सौधेन्द्र कुमार बसु, अधिवक्ता ।

(ख) श्री अजय नाथ चक्रवर्ती, अधिवक्ता

(ग) श्री देवव्रत चक्रवर्ती, अधिवक्ता,

(ग) अन्य न्यायालय : जिला सरकारी प्लीडर ।" ।

[सं० फा० 15(1)/76-न्या०]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 24th June, 1977

G.S.R. 1190.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. GSR 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification :—

1. against S. No. 7 relating to Maharashtra,—

(i) against item (a) relating to High Court (Appellate side), in column 2, under item (iv), for the existing entries, the following shall be substituted, namely :—

"(a) Central Government Advocates, Ministry of Law, Justice & Company Affairs, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Bombay.

(b) Shri J. H. Parekh, Additional Legal Adviser.

(c) Shri J. G. Sawant, Additional Legal Adviser.

(d) Shri Shamran D. Samant, Standing Counsel for the Central Bureau of Investigation." ;

(ii) against item (b) relating to High Court (Original Side), in column 2, for the existing entries, the following shall be substituted, namely :—

"(i) Central Government Advocates, Ministry of Law, Justice & Company Affairs, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Bombay.

(ii) Shri J. H. Parekh, Additional Legal Adviser.

(iii) Shri J. G. Savant, Additional Legal Adviser.

All cases of Central Government including cases of Central and Western Railways." ;

2. for S. No. 14 relating to West Bengal, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—
"14. West Bengal

(a) High Court : (i) In respect of all cases (both civil and criminal) concerning the Ministry of Finance, Government of India arising within the Appellate Jurisdiction of the High Court, Calcutta including Constitutional Writ Jurisdiction :

(a) Shri S. K. Mitra, Central Government Advocate.

(b) Shri S. C. Sinha, Central Government Advocate.

(c) Shri L. K. Chatterjee, Central Government Advocate.

(ii) In respect of all cases arising within the Original Jurisdiction of the High Court, Calcutta, including Constitutional Writ Jurisdiction :

(a) Shri S. K. Mitra, Central Government Advocate.

(b) Shri S. C. Sinha, Central Government Advocate.

(c) Shri L. K. Chatterjee, Central Government Advocate.

(b) City Civil Court, Calcutta :

(a) Shri Soudhendra Kumar Basu, Advocate.

(b) Shri Ajoy Nath Chakravarti, Advocate.

(c) Shri Debabrata Chakrabarti. Advocate.

(c) Other Courts :

District Government Pleaders.".

[No. F. 15(1)/76-Judl.]

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 1191.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412 तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, दिल्ली से संबंधित मद 15 में, उच्च न्यायालय से संबंधित उपमद (क) के सामने, स्तम्भ (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) श्री संतोष चटर्जी, प्रथम केन्द्रीय सरकार स्थायी काउन्सेल ।

(2) श्री केदार नाथ कटारिया, द्वितीय केन्द्रीय सरकार स्थायी काउन्सेल ।"

[सं० फा० 24(8)/77-न्या०]

New Delhi, the 27th July, 1977

G.S.R. 1191.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs), No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification, in item 15 relating to Delhi, against sub-item (a) relating to High Court, in Column (2), for the existing entries (i) and (ii), the following entries shall be substituted, namely :—

"(i) Shri Santosh Chatterjee, 1st Central Government Standing Counsel.

(ii) Shri Kidar Nath Kataria, 2nd Central Government Standing Counsel.".

[No. F. 24(8)/77-Judl.]

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1192.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412 तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के अनुसूची में, हिमाचल प्रदेश से संबंधित मद 21 में, उच्च न्यायालय से संबंधित मद (क) के सामने स्तम्भ (2) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी ; अर्थात् :—

"कु० कमलेश शर्मा,

केन्द्रीय सरकार की स्थायी काउन्सेल" ।

[फा० सं० 36(6)/77-न्या०]

पी० के० बोस, सॉलिसिटर

New Delhi, the 26th August, 1977

G.S.R. 1192.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law No. G.S.R. 1412 dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification, in item 21 relating to Himachal Pradesh, against sub-item (a) relating to High Court, for the existing entry in column (2), the following entry shall be substituted, namely :—

"Miss Kamlesh Sharma,

Central Government Standing Counsel.".

[F. No. 36(6)/77-Judl.]

P. K. BOSE, SOLICITOR.

(विधाई विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1193.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग (स्टाफ की भर्ती) नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्वाचन आयोग (स्टाफ की भर्ती) द्वितीय संशोधन नियम, 1977 होगा ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. निर्वाचन आयोग (स्टाफ की भर्ती) नियम, 1974 की अनुसूची में, क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"14. उच्च श्रेणी लिपिक	12	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप-सी (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति : (i) 75%, ऐसे स्थायी निम्न श्रेणी लिपिकों में से, अयोग्य होने पर अस्वीकृति के अधीन, वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उसी श्रेणी में कम-से-कम 2 वर्ष की सेवा की हो, और	1. उप-निर्वाचन आयुक्त (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. निर्वाचन आयोग के सचिव—सदस्यगण	लागू नहीं होता ।

8	9	10	11	12	13
			(ii) 25% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की मार्फत प्रोन्नति द्वारा (विभागीय परीक्षा में वे ही अधिकारी भाग ले सकेंगे जिन्होंने निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो) प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के दूसरे कार्यालयों या राज्य निर्वाचन कार्यालयों में इसी प्रकार के पद धारण करने वालों में से (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जो विशेष मामलों में एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है) ।		

[सं० ए० 12011/1/77–प्रशा० I (वि० वि०)]
एम० नारायणन, उप सचिव

(Legislative Department)

New Delhi, the 12th August, 1977

G.S.R. 1193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Election Commissior (Recruitment of Staff) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Election Commission (Recruitment of Staff) Second Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Election Commission (Recruitment of Staff) Rules, 1974, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"14. Upper Division Clerk	12	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion, failing which by deputation.	Promotion : (i) 75% by promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit, from amongst permanent Lower Division Clerks who have rendered not less than 8 years' service in the grade, and (ii) 25% by promotion through limited departmental competitive test, (To be eligible for taking the departmental test, the officers must have rendered at least 3 years' service in the grade of Lower Division Clerk); Deputation : From other Central Government Offices or State Election offices holding similar posts. (The period of deputation will ordinarily be for a period not exceeding 3 years, which may in special cases be extended for another year).	1. Deputy Election Commissioner (Adm.) —Chairman 2. Secretaries to the Election Commission —Members.	Not applicable

[No. A. 12011/1/77—Admn. I (LD)]
S. NARAYANAN, Dy. Secy.

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 1194.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्पनी कार्य विभाग (लेखा परीक्षा अधिकारी) नियुक्ति नियम, 1972 का अधिलंघन करते हुए एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग में लेखा परीक्षा अधिकारी के पद की नियुक्ति की पद्धति विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामश:

1. (1) इन नियमों का नाम कम्पनी कार्य विभाग (लेखा परीक्षा अधिकारी) नियुक्ति नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ सम्बद्ध वेतनमान उसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक उल्लिखित की जाएगी।

3. नियुक्ति की प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यताएं आदि :—कथित पद के सम्बन्ध में नियुक्ति की प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक कालम में उल्लिखित होंगे।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
लेखा परीक्षा अधिकारी	3	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	700-40-900-द०रो०-40-1100-50-1300	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : संगठित लेखा विभाग अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग भारतीय सिविल लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेलवे लेखा-विभाग और भारतीय डाक और तार लेखा और वित्त विभाग में किसी के भी ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी के स्तर का अधिकारी इसमें असफल होने पर एस० ए० एस० लेखा/अनुभाग अधिकारी की आठ वर्ष की सेवा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक सामान्यत: नहीं बढ़ेगी)	लागू नहीं होता	चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से होगा।

[फा० ए-12013/5/77—प्रशा० 2]

इन्द्रलाल नागपाल, अवर सचिव

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 23rd July, 1977

G.S.R. 1194.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Company Affairs (Audit Officer) Recruitment Rules, 1972, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Audit Officer in the Department of Company Affairs, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Company Affairs (Audit Officer) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Comission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Audit Officer	3	General Central Service, Group 'A' Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / transfer, grades from which promotion/ deputation / transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation : Officers of the rank of Audit/ Accounts Officers with 3 years' regular service in the grade failing which SAS Accounts/Section Officers with 8 years' regular service in the grade from any of the organised Accounts Departments viz., Indian Audit and Accounts Department, Indian Civil Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department and Indian Posts and Telegraphs Accounts and Finance Department. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. A-12013/5/77-Admn. II]

I. L. NAGPAL, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1195—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय सांख्यिकीय सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1977 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियम, 1961 के नियम 6 में, "मंत्रिमण्डल सचिवालय," शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आए हों, "गृह मंत्रालय," शब्द रखे जाएंगे ।

[फा० सं० 11011/2/77-ई० एस०]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 25th August, 1977

G.S.R. 1195.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Statistical Service Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Statistical Service (Second Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Indian Statistical Service Rules, 1961, for the words "Cabinet Secretariat" wherever they occur, the words "Ministry of Home Affairs" shall be substituted.

[File No. 11011/2/77-ES]

सा० का० नि० 1196—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय आर्थिक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 1961 के नियम 6 में, "मंत्रिमण्डल सचिवालय," शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आए हों, "गृह मंत्रालय," शब्द रखे जाएंगे ।

[फाइल सं० 11011/2/77-ई० एस०]

पी० जी० लेले, अवर सचिव

G.S.R. 1196.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Economic Service (Second Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Indian Economic Service Rules, 1961, for the words "Cabinet Secretariat" wherever they occur, the words "Ministry of Home Affairs" shall be substituted.

[File No. 11011/2/77-ES]

P. G. LELE, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1197.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधायें) नियम, 1958 के नियम 25 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का संराशिकरण) विनियम, 1959 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का संराशिकरण) तीसरा संशोधन विनियम, 1977 है।

(2) ये 11 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का संराशिकरण) विनियम, 1959 में—

(i) विनियम 5 के उपविनियम (5) में "पेंशन के संराशिकृत प्रभाग को प्राप्त करने का हक समाप्त हो जाएगा और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) विनियम 7 में, उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात्—

(1) संराशिकृत मूल्य का संदाय आवेदक को यथा संभव शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु सेवा के ऐसे सदस्य की दशा में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् हामित सदस्य कहा गया है) जिसके मामले में चिकित्सा बोर्ड ने यह निदेश किया है कि संराशिकरण के लिये उसकी आयु उसकी वास्तविक आयु से अधिक मानी जायेगी, कोई संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि या तो संराशिकरण की लिखित स्वीकृत प्राप्त न हो गई हो या उस अवधि का जिसके भीतर संराशिकरण का आवेदन प्रत्याहृत किया जा सकेगा, अवसान न हो गया हो। संराशिकरण के कारण पेंशन की रकम में कटौती, पेंशन भोगी द्वारा पेंशन की संराशिकृत मूल्य के प्राप्त होने के तारीख से या ऐसे पत्र प्राधिकार पत्र के जारी किये जाने के तीन मास पश्चात् जिसमें पेंशन के संराशिकृत मूल्य को ले लेने के लिये महालेखाकार द्वारा पेंशन भोगी से आग्रह किया गया हो जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रवृत्त होगी। यह तारीख कोषपाल द्वारा पेंशन संदाय आदेश की दोनों अर्धालियों में दर्ज की जायेगी जिसकी सूचना महालेखाकार को दी जायेगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू सिविल पेंशन (संराशिकरण) नियमों को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की दिनांक 14-1-1977 की अधिसूचना संख्या 14(2)-ई (v) (ए०)/75 द्वारा 11 जुलाई, 1977 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित कर दिया गया है। अतः अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का संराशिकरण) विनियम, 1959 में 11 जुलाई, 1975 से भूतलक्षी प्रभाव से तदनुरूपी संशोधन किया जा रहा है। इन विनियमों को 11 जुलाई, 1975 से भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने से किसी भी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं० 11025/1/77-अ० भा० से (II)]

के० एस० नेगी, अवर सचिव

New Delhi, the 30th August, 1977

G.S.R. 1197.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 25 of the All India

Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, the Central Government, after consultation with the Governments of States concerned, hereby makes the following regulations further to amend the All India Services (Commutation of Pension) Regulations, 1959, namely :—

1. (1) These regulations may be called All India Services (Commutation of Pension) Third Amendment Regulations, 1977;

(2) They shall be deemed to have come into force on the 11th day of July, 1975.

2. In the All India Services (Commutation of Pension) Regulations, 1959—

(i) in sub-regulation (5) of regulation 5, the words "the title to receive the commuted portion of the pension shall cease and", shall be omitted;

(ii) In regulation 7, for sub-regulation (i) the following sub-regulation shall be substituted, namely :— "(1) Payment of the commuted value shall be made to the applicant as expeditiously as possible, but in the case of a member of the service (hereinafter referred to as impaired members). In whose case the medical board has directed that his age for the purpose of commutation shall be assumed to be greater than his actual age, no payment shall be made until either a written acceptance of the commutation has been received or the period within which the application for commutation may be withdrawn has expired. The reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from the date of receipt of the commuted value of pension by the pensioner or three months after the issue of the authority asking the pensioner to collect the commuted value of the pension by the Accountant General, whichever is earlier. This date will be entered in both halves of the pension payment order by treasury officer under intimation to the Accountant General".

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Civil Pensions (Commutation) Rules applicable to Central Government servants have been amended with retrospective effect from 11th July, 1975 vide Ministry of Finance (Department of Expenditure) Notification No. 14(2)-EV(A)/75 dated the 14th January, 1977. Corresponding amendment is therefore being made in the All India Services (Commutation of Pension) Regulations, 1959 with retrospective effect from 11th July, 1975. No officer is likely to be adversely affected by these regulations being given retrospective effect from 11th July, 1975.

[No. 11025/1/77-AIS(II)]

K. L. NEGI, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1198:—केन्द्रीय सरकार, आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुद्ध नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम आयुद्ध (संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयुद्ध नियम, 1962 में,—

(i) नियम 62 के उपनियम (3) में, शब्द "अनावश्यक विलम्ब के बिना" के स्थान पर, शब्द "ऐसे परिवर्तन के 30 दिन के भीतर" रखे जायेंगे;

(ii) अनुसूची III के प्रारूप III में, शर्त 12 के खंड (ख) में शब्द "अनावश्यक विलम्ब के बिना" के स्थान पर, शब्द "ऐसे परिवर्तन के 30 दिन के भीतर" रखे जायेंगे।

[फा० सं० 15/7/76-जी० पी० ए०-5]

एच० बी० राय, अवर सचिव

New Delhi, the 29th August, 1977

G.S.R. 1198.—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Arms (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Arms Rules, 1962,—

(i) in sub-rule (3) of rule 62, for the words "without unnecessary delay", the words "within thirty days of such change" shall be substituted;

(ii) in Form III of Schedule III, in clause (b) of condition 12, for the words "without unnecessary delay", the words "within thirty days of such change" shall be substituted.

[File No. 15/7/76-GPA-V]

H. B. ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आसूचना ब्यूरो (वर्ग 1 और वर्ग 2 तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1975 में निम्नलिखित संशोधन और करते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम आसूचना ब्यूरो (वर्ग 1 और वर्ग 2 तकनीकी पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1977 है।

2. आसूचना ब्यूरो (वर्ग 1 और वर्ग 2 तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1975 की अनुसूची में सहायक निदेशक (तकनीकी) के पद से सम्बद्ध मद 4 के सामने स्तम्भ 5, 12 और 13 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

स्तम्भ 5 : "प्रवयन"

स्तम्भ 12 : "समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(i) अध्यक्ष

ऐसा अधिकारी जो गृह मंत्रालय में निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो।

(ii) सदस्य

उप निदेशक (स्थापना) आसूचना ब्यूरो।

(iii) उप निदेशक, आसूचना ब्यूरो।"

स्तम्भ 13 : "संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि किसी अवसर पर भर्ती नियमों को शिथिल करना आवश्यक न हो।"

[संख्या 51 का० आ० (सी०)/76(7) का०-1]

एस० डी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 30th August, 1977

G.S.R. 1199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Intelligence Bureau (Class I and Class II technical posts) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Intelligence Bureau (Class I and Class II Technical posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their issue.

2. In the Schedule to the Intelligence Bureau (Class I and Class II technical posts) Recruitment Rules, 1975, against item 4 relating to the post of Assistant Director (Technical), in columns 5, 12 and 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

Column 5 : "Non-Selection".

Column 12 : "Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of the following, namely :—

Chairman

(i) An officer not below the rank of Director in the Ministry of Home Affairs.

Members

(ii) Deputy Director (Establishment), Intelligence Bureau.

(iii) Deputy Director, Intelligence Bureau."

Column 13 : "Consultation with the Union Public Service Commission not necessary, unless it is intended to relax, at any time, the provisions of the recruitment rules."

[No. 5/SO(C)/76(7)Pers-I]

S. D. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 20th August, 1977

CORRIGENDUM

G.S.R. 1200.—In the Department's Notification No. 251/77-C.E. dated the 23rd July, 1977 published under G.S.R. No. 945 in Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 23rd July, 1977 at page No. 2188 Col. 2 in line 12 read "Specimen" in place of 'Speciment".

[Notification No. 251/77-C.E.-F. No.261/19/13/77-CX'8]

S. K. BHARADWAJ, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1201.—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 81 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० एफ० 1(3) ई० सी०/73 (सा० का० नि० 893) तारीख 15 जून 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित और परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि यह आदेश सिक्किम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति या निवासी की बाबत, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होगा—

"इस आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति के पूर्व, अथवा ऐसे व्यक्ति की दशा में जो इसके पश्चात् ऐसी विदेशी मुद्रा का स्वामी हो जाता है अथवा उसे धारण करता है उसके इस प्रकार से स्वामी होने या उसे धारण करने की तारीख से एक मास के भीतर" शब्दों के स्थान पर "पहली दिसम्बर, 1977 से पूर्व या ऐसे व्यक्ति की दशा में जो पहली सितम्बर, 1977 को या उसके पश्चात् ऐसी विदेशी मुद्रा का स्वामी हो जाता है या उसे धारण करता है उसके ऐसे स्वामी होने या उसे धारण करने की तारीख से एक मास के भीतर" शब्द रखे जायेंगे।"

[सं० एफ० 1/71 ई० सी० 75]

एस० डी० रहेजा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 31st August, 1977

G.S.R. 1201—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, (46 of 1973), read with sub-section (2) of section 81 thereof, the Central Government hereby makes the following further amendments to the Notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. 1/3/EC/73 (GSR 839) dated 15th June, 1977 namely :—

In the said Notification, after the first proviso, the following further proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that this order shall apply in relation to every person, in, or resident in, the State of Sikkim subject to the modifications that—

For the words "before the expiration of one month from the date of this order, or in the case of a person who hereafter owns or holds such foreign exchange, within one month of the date of his so owning or holding", the words and figures "before 1st December, 1977 or, in the case of a person who on or after the 1st September, 1977, owns or holds such foreign exchange, within one month of the date of his owning or holding," shall be substituted."

[F. No. 1/71/EC/75]

S. D. RAHEJA, Under Secy.

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1202.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में [निदेशक (वास्तुशिल्प) कार्यकारी इंजीनियर, (सिविल), वास्तुविद, प्रशासनिक अधिकारी और वास्तुशिल्प सहायक] के पदों के लिये 1970 के भर्ती नियमों में आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. (1) ये नियम वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय [निदेशक (वास्तुशिल्प), कार्यकारी इंजीनियर (सिविल), वास्तुविद, प्रशासनिक अधिकारी, वास्तुशिल्प सहायक] भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 कहे जायेंगे।

(2) ये नियम उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

2. वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय [निदेशक (वास्तुशिल्प), कार्यकारी इंजीनियर (सिविल), वास्तुविद, प्रशासनिक अधिकारी वास्तुशिल्प सहायक] भर्ती नियम 1970 की अनुसूची में वास्तुशिल्प सहायक के पद से सम्बन्धित क्रमांक 5 और उसकी प्रविष्टियां समाप्त हो जायेंगी।

[संख्या ए० 12018/1/77-प्रशासन]

(Bureau of Public Enterprises)

New Delhi, the 26th August, 1977

G.S.R. 1202.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry

of Finance, Bureau of Public Enterprises [Director (Architecture), Executive Engineer (Civil), Architect, Administrative Officer and Architectural Assistant] Recruitment Rules, 1970.

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises [Director (Architecture), Executive Engineer (Civil), Architect, Administrative Officer and Architectural Assistant] Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule annexed to the Ministry of Finance Bureau of Public Enterprises [Director (Architecture), Executive Engineer (Civil), Architect, Administrative Officer and Architectural Assistant] Recruitment Rules, 1970, serial number 5 relating to the post of "Architectural Assistant" and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. A-12018/1/77-Adm.]

सा० का० नि० 1203.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय के (श्रेणी I और श्रेणी II के पदों से संबंधित) 1970 के भर्ती नियमों में आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये हैं :—

1. (1) ये नियम वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय (श्रेणी I और श्रेणी II) के पदों से संबंधित भर्ती (संशोधन) नियम 1977 कहे जायेंगे।

(2) ये नियम उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

2 वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय (श्रेणी I और श्रेणी II के पदों से सम्बन्धित) भर्ती नियम 1970 की अनुसूची में 'सहायक इंजीनियर, (सिविल)' के पद से सम्बन्धित क्रमांक 12 और उसकी प्रविष्टियां समाप्त हो जायेंगी।

[संख्या ए०-12018/1/77-प्रशासन]

G.S.R. 1203.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule annexed to the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1970, serial number 12, relaing the post of "Assistant Engineer (Civil)" and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. A-12018/1/77-Adm.]

सा० का० नि० 1204.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में सहायक कार्यकारी इंजीनियर, सहायक इंजीनियर और वास्तु शिल्प सहायक ग्रेड 1 के पद पर भर्ती के तरीके का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) ये नियम वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय, सहायक कार्यकारी इंजीनियर, सहायक इंजिनियर और वास्तु शिल्प सहायक ग्रेड-I भर्ती नियम 1977 कहे जायेंगे।

(2) ये नियम उसी तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बन्धित वेतनमान वही होगा जैसाकि अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट किये गये हैं।

3. भर्ती का तारीका, आयु सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी जैसी उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में निर्दिष्ट की गयी हैं।

4. अनर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो, जिसका जीवनसाथी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक जीवनसाथी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और उससे विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के विवाह को अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी है, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति :—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों में किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में छूट देनी आवश्यक अथवा इष्टकर हो, वहां उसके लिए वह लिखित रूप में कारण बताकर छूट का आदेश दे सकती है।

6. व्यावृत्ति :—केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो आरक्षण और रियायतें दी जाती हैं उन पर इस नियमों के कारण किसी भी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सलेक्शन (प्रवरण) पद है अथवा भिन्न पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु	सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल)	4	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'क' राजपत्रित	700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300-रुपये	सेलेक्शन	35 वर्ष तक (सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है।)	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी की डिग्री या समकक्ष योग्यता। (2) सिविल निर्माण कार्यों का डिजाइन/योजना बनाने जिसमें उनका पर्यवेक्षण कार्य भी शामिल है, कारखानों इमारतों और बस्ती निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने और उनकी संवीक्षा करने, निर्माण परियोजना से संबन्धित सांख्यिकीय आंकड़ों को सारणीबद्ध करने तथा उनकी संवीक्षा करने के काम का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (यदि संघ लोक सेवा आयोग चाहे तो निर्धारित अर्हताओं में छूट दी जा सकती है बशर्ते कि उम्मीदवार अन्यथा सुयोग्य हो। विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के मामले में अनुभव सम्बन्धी योग्यता में छूट दी जा सकती है)। वांछनीय : सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगी ?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने की स्थिति में किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसका गठन क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, यदि ऐसा न हो सके तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (अल्पावधिक संविदा सहित) और यदि दोनों प्रकार से न हो सके	पदोन्नति : सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने के बाद उक्त ग्रेड में 3 वर्ष का अनुभव	ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति।	सीधी भर्ती पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति संविदा के द्वारा नियुक्ति करने के लिए संघ लोक सेवा

8	9	10	11	12	13
		तो सीधी भर्ती द्वारा; 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण (अल्पावधिक संविदा सहित) द्वारा और यदि ऐसा न हो सके तो सीधी भर्ती द्वारा ।	होना चाहिए । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकायों में ऐसे ही पदों पर काम करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 650-1200 रुपये या उसके समान वेतनमानों में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा वे कालम 7 में निर्दिष्ट योग्यताएं और अनुभव रखते हों । (प्रतिनियुक्ति / संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।		आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा ।

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक इंजीनियर (सिविल)	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख' राजपत्रित	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपये	सेलेक्शन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा किन्तु यदि ऐसा न हो तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (अल्पावधिक संविदा सहित) ।	पदोन्नति. अनुभाग अधिकारी (इंजीनियरी) जिनके पास सिविल इंजीनियरी की डिग्री या समकक्ष योग्यता हो उनकी उक्त ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए तथा जिनके पास सिविल इंजीनियरी का डिप्लोमा हो उनकी उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए ।	ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति ।	प्रतिनियुक्ति/संविदा के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा ।

1	2	3	4	5	6	7
3. वास्तु शिल्प सहायक ग्रेड I	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ख' अराजपत्रित (अलिपिकीय)	550-25-750-द० रो०-30-900 रु०	सेलेक्शन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा किन्तु ऐसा न हो सके तो प्रतिनियुक्ति द्वारा स्थानान्तरण पर (अल्पावधिक संविदा सहित) ।	वास्तुशिल्प सहायक ग्रेड II, जिनके पास वास्तुशिल्प कला की डिग्री हो उनकी उक्त ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा और जिनके पास वास्तुशिल्प कला का डिप्लोमा हो उनकी उक्त ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए । प्रतिनियुक्ति द्वारा स्थानान्तरण (अल्पावधिक संविदा सहित) । केन्द्रीय राज्य / राज्य सरकार के वास्तुशिल्प विभाग /सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों / स्थानीय निकायों में इसी प्रकार के पदों पर काम करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 425-700 रुपये या उसके समान वेतनमानों में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । (प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें सलाहकार (निर्माण) अध्यक्ष तथा दो विभागीय सदस्य और किसी दूसरे विभाग का एक सदस्य होगा ।	प्रतिनियुक्ति या अल्पावधिक संविदा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जायेगी ।

[सं० ए० 12018/1/77-बी०पी०ई०/प्रशासन]

एस० जगन्नारायणन, उप सचिव

G.S.R. 1204.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Executive Engineer, Assistant Engineer and Architectural Assistant Grade I in the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises, Assistant Executive Engineer, Assistant Engineer and Architectural Assistant Grade I Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed thereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Assistant Executive Engineer (Civil)	4	General Central Service, Group 'A', Gazetted	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' experience in designing/planning including supervision of civil construction works, preparation and scrutiny of detailed estimates for factory, buildings, townships, tabulations and scrutiny of statistical data relating to construction projects. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified, in particular, the qualifications regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them. Desirable : Experience in Public Sector Projects.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / transfer, grades from which promotion/deputation / transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	25% by promotion failing which by transfer on deputation (including short term contract) and failing both by direct recruitment; and 75% by transfer on deputation/transfer (including short-term contract)/failing which by direct recruitment.	Promotion : Assistant Engineer (Civil) with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation (including short-term contract/transfer) : Officers under the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings or Local Bodies, holding analogous posts or with 3 years' service in posts in the Scale of Rs. 650-1200 or equivalent and possessing qualifications and experience prescribed in columns 7. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'A' D.P.C. composed of Member, UPSC as Chairman and two departmental representatives as members.	Consultation with UPSC necessary while making direct-recruitment, promotion and appointing an officer on deputation/contract.

1	2	3	4	5	6	7
2. Assistant Engineer (Civil)	1	General Central Service, Group 'B', Gazetted	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not applicable	Not applicable
3. Architectural Assistant Grade I	1	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion, failing which by transfer on deputation (including short-term contract).	Promotion : Section Officers (Engineering) with 3 years' regular service in the grade in the case of those possessing a Degree in Civil Engineering or equivalent qualification and 5 years' regular service in the grade in case of those possessing a Diploma in Civil Engineering. Transfer on deputation (including short-term contracts) : Officers under the Central Government/State Government engineering cadres/Public Sector Undertakings/Local Bodies holding analogous posts or with 5 years' service in post of Junior Engineer or equivalent. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' D.P.C. composed of Additional Secretary and Director General as Chairman, and Adviser (Construction), Adviser (Production) and Deputy Secretary as members.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation/contract.
Not applicable	2 years	By promotion, failing which by transfer on deputation (including short-term contracts).	Promotion : Architectural Assistant Grade II with 2 years' regular service in the grade in the case of those possessing a Degree in Architecture or equivalent qualification and 4 years' regular service in the grade in the case of those possessing a Diploma in Architecture. Transfer on deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government/State Government Architectural Department/Public Sector Undertakings/Local Bodies holding analogous posts or with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 425—700 or equivalent. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' D.P.C. composed of Adviser (Construction) as Chairman and two departmental representatives and one from another Department as members.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation/contract.

[No. A. 12018/1/77-Admn.]

S. JAGANNARAYANAN, Dy. Secy.

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1205.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सांख्यिकी विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसन्धान प्रभाग में समंक विधायन सहायक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(1) ये नियम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसन्धान प्रभाग (समंक विधायन सहायक) भर्ती नियम, 1977 कहलाए जायें।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 2 से लेकर 4 तक के कालमों में दिये गये हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हतायें आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें और उनसे सम्बन्द्ध अन्य बातें, वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के 5 से लेकर 14 तक के कालमों में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हतायें.— (क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका कि एक पति/जिसकी कि एक पत्नी जीवित हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो कि पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/करती है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

5. छूट देने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों में से कोई भी नियम, इस बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 30 के अधीन अनुमत्य जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ इस पद पर लागू होता है।	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
समंक विधायन सहायक	88	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'सी' (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय	330-10-380-द० रो० 12-500-15-560 रु०	नहीं	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (1) सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष तक छूट (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट की जा सकती है। (3) प्रत्येक मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह होगी जिस अन्तिम तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिये कहा जाए।

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती से या पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किये जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किये जाते हैं ।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है ।
8	9	10	11	12	13	14
अनिवार्य . सांख्यिकी अथवा गणित विषय के साथ कला अथवा वाणिज्य में विश्वविद्यालय की डिग्री । वांछनीय : (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का कम्प्यूटर्स सर्टिफिकेट अथवा सांख्यिकीय संगणन (स्टैटिस्टिकल कम्प्यूटेशन) में एक वर्ष का अनुभव ; या (2) विद्युच्चालित की पंच व वेरीफाइंग मशीन चलाने का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, अथवा विद्युच्चालित की पंच मशीन या वेरीफाइंग मशीन चलाने का एक वर्ष का अनुभव, अथवा (3) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण पाने का प्रमाण पत्र अथवा कम्प्यूटर प्रोग्रामर के कार्य का एक वर्ष का अनुभव, अथवा (4) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यूनिट रिकार्ड मशीनों पर प्रशिक्षण लेने का प्रमाणपत्र, अथवा यूनिट रिकार्ड मशीनों पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० ए० 12018/1/76-स० प्र० सर्वे० II]
राजेन्द्र नारायण सक्सेना, उप-सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 26th August, 1977

G.S.R. 1205.—In exercise of the powers confered by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Processing Assistant in the Data Processing Division and Survey Design and Research Division of the National Sample Survey Organisation in the Department of Statistics under the Ministry of Planning namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Data Processing Assistant) Recuitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary on expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether the benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CSS (Pension) Rules is applicable to the post(s)	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direc recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Data Processing Assistant	88	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-15-560	No	Not applicable	Between 18 and 25 years. 1. Relaxable for Govt. servants upto 35 years. 2. The upper age limit prescribed may be relaxed in the case of candidates belonging to the SC/ST and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government. 3. The crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit names.	Essential : University Degree in Arts or Commerce with Statistics or Mathematics as one of the subjects. Desirable : (1) Computer's certificate of a recognised Institution or one years' experience in Statistical computation; or (2) A Certificate of training in the operation of electrically operated key punch and verifying machines, or one year's experience in the operations of electrically operated key punch machines or verifying machines; or (3) Certificate of a recognised Institution of training in Computer programming/or one year's experience of working as a computer programmer; or (4) Certificate of a recognised Institution of training on Unit Record Machines/or one year's experience of working on Unit Record Machines.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation / transfer, grades from which promotion/ deputation / transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Publi Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. A. 12018/1/76—N.S.S. II]

R. N. SAXENA, Dy. Secy

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1206.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण [सहायक सूचना अधिकारी (केन्द्रीय कार्यालय), सहायक सूचना अधिकारी (भारतीय वनस्पति उद्यान), और प्रकाशन अधिकारी] भर्ती नियम, 1976 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण सहायक सूचना अधिकारी (केन्द्रीय कार्यालय), [सहायक सूचना अधिकारी (भारतीय वनस्पति उद्यान) और प्रकाशन अधिकारी] भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 है।

2. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण [सहायक सूचना अधिकारी (केन्द्रीय कार्यालय), सहायक सूचना अधिकारी (भारतीय वनस्पति उद्यान), और प्रकाशन अधिकारी] भर्ती नियम, 1976 में, अनुसूची में प्रकाशन अधिकारी से संबंधित मद 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

अनुसूची

वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में प्रकाशन अधिकारी के पद के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
"3. प्रकाशन अधिकारी	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित	650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु०	चयन	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न, जो अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी।	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि या समतुल्य। (ii) वैज्ञानिक और अन्य कागज-पत्रों को मुद्रण योग्य बनाने के लिये अन्तिम प्रूफ संशोधन कार्य में 5 वर्ष का अनुभव, साथ में सरकारी प्रकाशनों के विक्रय, उचित लेखा और अभिलेख रखने का अच्छा ज्ञान। (iii) पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के मुद्रण और प्रकाशन तथा ब्लाक सम्बन्धी प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान। (अर्हतायें अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं; विशेषकर अनुभव सम्बन्धी अर्हता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, उनके लिये आरक्षित पदों के लिये, शिथिल की जा सकती है)। **वांछनीय :** (i) वनस्पति विज्ञान में मास्टर की उपाधि। (ii) पत्रकारिता में डिप्लोमा। (iii) हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती करने की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जायगा।
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे प्रकाशन सहायक, जिन्होंने उस वर्ग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष सेवा की हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. सम्बद्ध उपसचिव—सदस्य 3. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, हावड़ा—सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति के पुष्टिकरण के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा० सं० 1-63/76-सर्वे० 3(8)(भाग)]

महनाम सिंह भाटिया, उप सचिव

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 29th August 1977

G.S.R. 1286.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Botanical Survey of India [Assistant Information Officer (Central Office), Assistant Information Officer (Indian Botanic Garden) and Publication Officer] Recruitment Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Botanical Survey of India [Assistant Information Officer (Central Office), Assistant Information Officer (Indian Botanic Garden) and Publication Officer] Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Botanical Survey of India [Assistant Information Officer (Central Office), Assistant Information Officer (Indian Botanic Garden) and Publication Officer] Recruitment Rules, 1976, in the Schedule, for item 3 relating to Publication Officer and the entries thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Publication Officer in Botanical Survey of India

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
"3. Publication Officer	1 (one)	General Central Service, Group 'B' Gazetted.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Bachelor's degree in Science of a recognised University or equivalent. (ii) 5 years experience in final proof correcting for making the scientific and other papers pressworthy with a good knowledge of sale of Government publications, maintenance of proper accounting and records. (iii) Good knowledge of printing and publication of books, periodicals as well as block processess. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified; in particular, qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable : (i) Master's degree in Botany. (ii) Diploma in Journalism. (iii) Ability to read and write Hindi.

Whether age and educational qualifications prscribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment/ whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which, by direct recruitment	Promotion : Publication Assistants with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Joint Secretary (Administration)—Chairman 2. Deputy Secretary concerned—Member. 3. Director, Botanical Survey of India, Howrah—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and confirmation of a direct recruit."

[No. F.1-63/76-Surl. 3(B) (Pt)]

MAHTA SINGH BHATIA, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 1207.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, पांडिचेरी में आहार विद के पद की भर्ती विधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों को जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, पांडिचेरी (आहारविद) भर्ती नियम, 1977 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट है।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

4. अनर्हता कोई व्यक्ति:— (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति:—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सेलेक्शन अथवा नान सेलेक्शन	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
आहारविद	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	550-25-750-द० रो०-30-900 प्रारम्भिक नियुक्ति पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों सहित।	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टिप्पणी:—भारत में उम्मीदवारों (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख मानी जाएगी।	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य एवं पोषण विषयों सहित गृह विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री अथवा समतुल्य अर्हता। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (गृह विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र) में बी० एस० सी० जिसमें पोषण का विषय एक विशेष विषय के रूप में हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आहारविद् में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और आहारविद् के कार्य के एक वर्ष के व्यावहारिक अनुभव सहित समतुल्य अर्हता (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हतायें शिथिलनीय हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये अनुभव सम्बन्धी अर्हतायें शिथिलनीय हैं)। वांछनीय : अनुसन्धान/पोषण और/या सम्बन्धित विषयों में व्यावहारिक अनुभव।

क्या पदोन्नत किये जाने वाले उम्मीदवार के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हतायें लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती मामले में वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
8	9	10	11	12	13
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हतायें—हां	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा नोट:— इस ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के स्थायीकरण के बारे में विभागीय पदोन्नति समिति जब भी विचार करे तो उस समय विभागीय पदोन्नति की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा एक सदस्य द्वारा की जाएगी।	पदोन्नति सहायक आहारविद जिसका अपनी नियमित नियुक्ति के बाद अपने ग्रेड में 7 वर्ष का अनुभव हो।	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जिसका गठन इस प्रकार होगा:— 1. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वा० सेवा महानिदेशालय—अध्यक्ष 2. सहायक महानिदेशक—सदस्य 3 सलाहकार, पोषण—सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन) (संगठन एवं पद्धति)—सदस्य सचिव	सीधी भर्ती करने एवं सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये उम्मीदवारों का स्थायीकरण करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अनिवार्य है।

[सं० एफ० 3-66/71-एम० ई० (पी० जी०)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 12th July, 1977

G.S.R. 1207.—In exercise of the powers confered by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating to the method of recruitment to the post of Dietician in the Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry, (Dietician) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay:—Number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc:—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule :

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. Disqualification :—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Dietician	1	General Central Service Group 'B' Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 550-25-750-EB-30-900 with three advance increments on initial appointment.	Selection	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit will be the closing date for receipt of applications in India from candidates (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : Masters' Degree in Home Science/Home Economics with specialisation in food and nutrition of a recognised University or equivalent. OR B. Sc. (Home Science/Home Economics) with Nutrition as a special subject from a recognised University or equivalent with Post graduate Diploma in Dietetics from a recognised Institution and one year's practical experience in Dietetics. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes). Desirable : Research/practical experience in the field of Nutrition and/or related subjects.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recriutment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by the various methods.	In case of recruitment/by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consutled in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age—No Educational Qualifications—Yes	2 Years	By promotion failing which by direct recruitment. Note: Whenever the Departmental Promotion Committee is to consider the case of confirmation of a direct recruit in the grade, Chairman or a Member of the UPSC will be associated with it and he will preside over the meeting of the Departmental Promotion Committee.	Promotion : Assistant Dietician with 7 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services. —Chairman 2. Assistant Director General—Member. 3. Adviser Nutrition—Member. 4. Deputy Director, (Administration) (Organisation and Methods)—Member Secretary.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and confirmation of a direct recruit.

[No. F. 3-66/71-M.E. (PG)]

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1208.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियमावली, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात

1. (1) इन नियमों का नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1977 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, संस्थान पांडिचेरी (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियमावली, 1959 में :—

(1) "श्रेणी III और श्रेणी IV" शब्द और अंक के लिए "श्रेणी III" और "श्रेणी IV" जहां कहीं भी आये हों, "समूह 'ग' और समूह 'घ'" के स्थान पर क्रमश "समूह 'ग'" और "समूह 'घ'" रखे जाएंगे;

(2) कालम 14 में चपरासी के पद से सम्बन्धित मद 32 की अनुसूची की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"उन मेहतरों, मेहतर/सफाई कर्मचारियों, फर्राशों पहरेदारों और चौकीदारों में से स्थानान्तरण के द्वारा जिन्होंने अपने पद पर कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो अंग्रेजी अथवा हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने की योग्यता का सबूत दें।

[सं० ए० 12018/5/77-सामान्य (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)]

New Delhi, the 20th August, 1977

G.S.R. 1208.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Class III and Class IV) posts Recruitment Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. In the Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1959 :—

(i) for the words and figures "Class III and Class IV" "Class III and Class IV" wherever they occur, the words and letters Group 'C' and Group 'D', Group 'C' and Group 'D' shall respectively be substituted,

(ii) in the Schedule against item 32 relating to the post of peon, in column 14, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Transfer from sweepers, sweeper/scavengers, Farashes, Watchmen and Chowkidars, who have put in a minimum of 5 years' regular service in the post and who give proof of ability to read either English or Hindi or regional language."

[No. A. 12018/5/77-G(DGRS)]

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1209.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान, पाण्डिचेरी में (i) सांख्यिकी तथा जनांकिकी के लेक्चरर (ii) स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण के लेक्चरर के पदों पर भर्ती की विधि के विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : इन नियमों का नाम जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी सांख्यिकी तथा जनांकिकी के लेक्चरर तथा स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण के लेक्चरर, भर्ती नियम 1977 है।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि आयुसीमा अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में निर्दिष्ट है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

5. अनर्हता : कोई व्यक्ति :—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एकपत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

7. व्यावृत्ति : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों का किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्रम सं० पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सैलेक्शन है अथवा नान-सैलेक्शन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. सांख्यिकी तथा जनांकिकी में लेक्चरर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	700-40-900-द०रो० 40-1100-50-1300 रुपये	लागू नही होता	35 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय टिप्पण : भारत में उम्मीद्वारों (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख मानी जाएगी।	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा क्रिया अनुसंधान अथवा गणित-शास्त्र (सांख्यिकी सहित) में द्वितीय श्रेणी में मास्टर्स डिग्री अथवा समतुल्य । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनांकिकी में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट । (3) जनांकिकी के आंकड़ों में शिक्षण / अनुसंधान/संकलन, संग्रह तथा विश्लेषण करने में 2 वर्ष का अनुभव । (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति उम्मीदवारों के के लिये आरक्षित पदों के बारे में अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं) ; वांछनीय : अध्यापन कार्य का अनुभव

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवार के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और अर्हतायें लागू शैक्षिक होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसमें अल्प-कालिक कान्ट्रेक्ट भी शामिल है ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसमें अल्प-कालिक कान्ट्रेक्ट भी शामिल है केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों जनांकिकीय संस्थाओं / अनुसंन्धान संस्थाओं के अधीन जिन अधिकारियों के पास समानान्तर पद है अथवा जिन्होंने 650-1200 के वेतनमान में उन पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा 550-900 रुपये के वेतनमान अथवा समतुल्य में 5 वर्ष की निमित सेवा की हो और स्तम्भ 8 में सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई अर्हताएं और अनुभव हो (प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक कान्ट्रेक्ट की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए) ।	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को स्थायी बनाने पर विचार करने के लिए) अध्यक्ष : अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग । सदस्य : 1 संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग 2 उप-महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य सचिव : प्रशासन तथा सतर्कता निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ।)	चयन और स्थायीकरण के प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायेगा ।

1	2	3	4	5	6	7
2. स्वास्थ्य शिक्षा तथा परिवार कल्याण में लेक्चरर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित	700-40-900-द०रो० 40-1100-50-1300 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय) भारत में उम्मीदवारों (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख मानी जायेगी।	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान/समाज विज्ञान/ समाज कार्य/ नर्सिंग/ शिक्षण में मास्टर्स डिग्री अथवा समकक्ष। (2) जन स्वास्थ्य में मास्टर्स डिग्री जिसमें प्रधान विषय जन-स्वास्थ्य शिक्षा रहा हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा अथवा समतुल्य। (3) स्वास्थ्य शिक्षा/ परिवार कल्याण / सामुदायिक विकास के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के बारे में अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय है। वांछनीय: परिवार कल्याण कर्मचारियों के लिये शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को स्थायी बनाने पर विचार करने के लिए अध्यक्ष—अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग सदस्य (1) संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग। (2) उप महानिदेशालय/ स्वा० स० महानिदेशालय सदस्य सचिव—निदेशक, प्रशासन तथा सतर्कता स्वा० से० महानिदेशक	सीधी भर्ती करते तथा सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को स्थायी बनाते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है।

[सं० ए० 12018/6/74-एम०-ई० (पी०जी०)]

के० सी० कपूर, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 27th August, 1977

G.S.R. 1209.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating to the method of recruitment to the posts of (i) Lecturer in Statistics and Demography (ii) Lecturer in Health Education and Family Welfare in the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research Pondicherry, Lecturer in Statistics and Demography and Lecturer in Health Education and Family Welfare, Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—Number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns 6 to 14 of the said schedule :

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. Disqualification :—No person :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of Post	No. of posts.	Classification	Scale of pay.	Whether Selection Post or non-selection Post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1		2	3	4	5	6	7
1.	Lecturer in Statistics and Demography.	1	General Central Service, Group 'A' Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Not Applicable.	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) At least Second Class Master's degree in Statistics or Operations Research or in Mathematics (with Statistics) of a recognised University or equivalent. (ii) Diploma/Certificate in Demography of a recognised Institution. (iii) 2 years' experience in teaching/research/collection, compilation and analysis of demographic data. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for post reserved for them). Desirable : Teaching experience.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By transfer on deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation including short-term Contract Officers under the Central Government/State Government/Universities/Demographic Institutions/Research Institutions holding analogous posts or with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent or with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent and possessing the qualifications and experience laid down for direct recruits in column 8. (Period of deputation/short-term contract shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'A' D. P. C. (for considering confirmation of the direct recruit): Chairman: Chairman/Member, U.P.S.C. Members : 1. Joint Secretary, Department of Health. 2. Deputy Director-General, Directorate General of Health Services. Member-Secretary : Director Administration and Vigilance, Directorate General of Health Services.	Selection and confirmation on each occasion shall be made in consultation with the U.P.S.C.

1	2	3	4	5	6	7
2. Lecturer in Health Education and Family Welfare.	1	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.	Not applicable.	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants). The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Master's degree in Psychology/Sociology/Social Anthropology/Social Work/Nursing/Education of a recognised University or equivalent. (ii) Master's degree in Public Health Majoring in Public Health Education or Diploma in Health Education of a recognised University or equivalent. (iii) Five years' experience in the field or Health Education/Family Welfare/Community Development (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified, in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable : Experience in conducting training programme for Family Welfare personnel.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By Direct recruitment.	Not applicable.	Group 'A' D.P.C. (for considering confirmation of a direct recruit): Chairman—Chairman/ Member, Union Public Service Commission. Members. 1. Joint Secretary, Department of Health. 2. Deputy Secretary, General, Directorate General of Health Services. Member-Secretary. Director, Administration and Vigilance, Directorate General of Health Services.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and confirmation of a direct recruit.

[No. A. 12018/6/74-M.E. (PG)]
K .C. KAPOOR, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1210:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में लेखा अधिकारी के पद की भर्ती विधि का आगे और और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों को केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची (लेखा अधिकारी) भर्ती नियमावली, 1977 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित तिथि से लागू होंगे।

2 संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 13 में निर्दिष्ट हैं

4. अनर्हता : कोई व्यक्ति :—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता / करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता / करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. लेखा अधिकारी	1	समूह 'ग' सामान्य सिविल सेवा अराजपत्रित अननुसचिवीय	500-20-700-द०रो 25-900 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में भी लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या/स्थानान्तरण किया जायेगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है ।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति पर स्थानान्तरण द्वारा	केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत लेखा कार्यालयों में लेखा अधिकारी के पद पर काम कर रहे व्यक्ति अथवा एस० ए० एस० अकाऊण्टेण्ट विभागीय हेड क्लार्क के बारे में भी विचार किया जाएगा और यदि नियुक्ति करने के लिए उसका चयन हो जाता है तो पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा ।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति का गठन इस प्रकार होगा :— चिकित्सा अधीक्षक—अध्यक्ष उप-चिकित्सा अधीक्षक—सदस्य प्रशासन अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं० पी० 16011/4/75-एम० पी० टी. (पी० एम० एस०)]

New Delhi, the 16th August, 1977

G.S.R. 1210.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the Central Institute of Psychiatry, Ranchi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Institute of Psychiatry (Accounts Officer) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 3 to 5 of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 6 to 13 of the said schedule.

4. Disqualification :—No person,

(a) who has entred into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party, to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expendient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservation and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Accounts Officer	1	Group 'C' General Civil Service, non-Gazetted, non-ministerial	Rs. 500-20-700-EB-25-900	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By transfer on deputation/promotion	Officers holding analogous posts or S.A.S. Accountants working in Accountants Offices under the Central Government. The Departmental Head Clerk shall also be considered and in case, he is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled up by promotion	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : Medical Superintendent—Chairman Deputy Medical Supdt.—Member Administrative Officer—Member.	Not applicable.

[No. P. 16011/4/75-MPT (PMS)]

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1211.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में फोर्मेन के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (फोरमेन) भर्ती नियम, 1977 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हतायें तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बात वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

4. अनर्हता :—कोई व्यक्ति—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता / करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो अथवा (ख) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5 छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सैलेक्शन है अथवा नान-सैलेक्शन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
फोरमैन	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	550-25-750-द०रो०-30-900 रुपये	सैलेक्शन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय) टिप्पणी : भारत में उम्मीदवारों (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अलावा) से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख आयुसीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख मानी जाएगी।	अनिवार्य : (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान या समकक्ष से विद्युत / यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष। या (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से विद्युत यांत्रिक इंजीनियरी में (3 वर्ष पाठ्यक्रम) का डिप्लोमा अथवा समकक्ष (ii) प्रयोगशाला उपकरण अथवा समकक्ष तथा रेफ्रीजिरेशन प्लांटों की रखरखाव का 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के बारे में अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं)।

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवार के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका/सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : टेक्नीकल सुपरवाइजर (इलैक्ट्रीकल) इस ग्रेड में नियमित रूप से नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष की सेवा।	'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : 1. प्रशासन तथा सतर्कता निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय—अध्यक्ष 2. सहायक महानिदेशक (जन स्वास्थ्य)—स्वा० सेवा महानिदेशालय—सदस्य 3. उप-निदेशक (प्रशासन) स्वा० सेवा महानिदेशालय—सदस्य 4 उप-निदेशक (स्थापना)—स्वा० सेवा महानिदेशालय—सदस्य सचिव	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं० 19-66/71-एम०ए० एम० एस०]

आर० वी० श्रीनिवासन, सचिव

New Delhi, the 26th August, 1977

G.S.R. 1211.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Foreman in the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health and Family Welfare namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Central Research Institute, Kasauli (Foreman) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, Qualifications etc :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid :

Provided that the upper age limit specified for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Foreman	1	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (a) Degree in Electrical/Mechanical Engineering of a recognised University/Institution or equivalent. OR (b) (i) Diploma (3 years Course) in Electrical/Mechanical Engineering of a recognised University/Institution or equivalent. (ii) 2 years' practical experience in the maintenance of Laboratory equipment and refrigeration plants. (Qualification relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable :— Some experience as at (ii) above for (a) only.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promottees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment, by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	Technical Superviser (Flectrical) with 5 years Service in the grade rendered after appointment thereto and regular basis.	'B' Departmental Promotion Committee consisting of : (1) Director of Admn. & Vigilance, Directorate General of Health Services—Chairman (2) ADG (PH)—Directorate General of Health Services—Member (3) DDA (G) Directorate General of Health Services—Member (4) DDA(E)—Directorate General of Health Services—Member Secretary.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[No. 19-66/M. A. (MS)]

R.V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1212.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 3 और वर्ग 4) (अतिरिक्त) पद (दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली) भर्ती नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. (1) इन नियमों का नाम साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 और वर्ग 4 (अतिरिक्त) पद (दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली), भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 और वर्ग 4 (अतिरिक्त) पद (दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली) भर्ती नियम, 1964 में.—

(i) 'वर्ग 3' और 'वर्ग 4' शब्दों जहां कहीं भी वे आए हैं, के स्थान पर, 'समूह ग' और 'समूह घ' शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(ii) अनुसूची में, मेट पद के सामने, स्तम्भ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्.—

"18–27 वर्ष के बीच"

[सं० 3–33/76 पशुधन विकास-I]

प्र० गो० रामरख्यानी, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 19th August, 1977

G.S.R. 1212.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Central Services Class III and Class IV (Additional) posts (Delhi Milk Scheme, New Delhi) Recruitment Rules, 1964.

1. (1) These rules may be called the General Central Services Class III and Class IV (Additional) posts (Delhi Milk Scheme, New Dehli) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Central Services Class III and Class IV (Additional) posts (Delhi Milk Scheme, New Delhi) Recruitment Rules, 1964—

(i) for the words and figures "Class III" and "Class IV", wherever they occur, the words and letters "Group C" and "Group D" shall respectively be substituted;

(ii) in the schedule against the post Mates, in column 5, for the existing entry, the following entry shall be substituted namely :—

"Between 18—27 years"

[No. 3-33/76-LD-I]

P. G. RAMRAKHIANI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1213:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर, मध्यप्रदेश में समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर, मध्यप्रदेश (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1977 है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका/उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं: —वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पदों मे से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर में समूह 'ग' और 'घ' पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. वन रेंजर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)	425-15-500-द०-रो०-15-560-20-700 रु०	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	राज्य वन विभाग में किसी प्रशिक्षित वन रेंजर के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. अनुसंधान सहायक वर्ग-1	3	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)	425-15-500-द०-रो०-15-560-20-700 रु०	चयन	18—25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	2. उस विद्या शाखा में, जिसमें पद भरा जाना अपेक्षित है, द्वितीय श्रेणी में मास्टर की उपाधि ।
3. कलाकार अनुसंधान सहायक वर्ग-1	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)	425-15-500-द०-रो०-15-560-20-700 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	3. मैट्रिकुलेशन/किसी मान्यताप्राप्त कला और शिल्प विद्यालय में वाणिज्यिक या ललित कला में प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा/पोस्टर वाणिज्यिक कला/आदि ड्राइंग प्लांट बनाने में 2 वर्ष का अनुभव ।
4. अनुसंधान सहायक वर्ग-2	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)	380-12-500-द०-रो०-15-560 रु०	अचयन	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	4. उस विद्या शाखा पर निर्भर करते हुए, जिसमें पद भरा जाना अपेक्षित है, द्वितीय श्रेणी में बी० एस० सी० की उपाधि ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	66⅔ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 33⅓ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे अनुसंधान सहायक वर्ग 2 की प्रोन्नति द्वारा, जिसके पास सुसंगत विषय में एम०एससी० की या उस शाखा में 5 वर्ष की सेवा सहित ससंगत विषय में बी०एससी० की उपाधि हो, या वह उस शाखा में 8 वर्ष की सेवा सहित हावर्ड मेडल पाने वाला हो ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जो केन्द्र का भारसाधक हो—अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी—सदस्य 3. एक बाह्य सदस्य (जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्य भी सम्मिलित है)—सदस्य 4. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से एक सदस्य—सचिव	लागू नहीं होता
नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	तकनीकी सहायक समूह 'ग' की प्रोन्नति द्वारा	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जो केन्द्र का भारसाधक हो—अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी—सदस्य 3. एक बाह्य सदस्य (जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्य भी सम्मिलित है)—सदस्य 4. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से एक सदस्य—सचिव	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. नक्शानवीस	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	सिविल नक्शानवीसी में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र
6. तकनीकी सहायक	7	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)	260-8-300-द०रो०-8-340-10-380-द०रो०-10-430 रु०	अचयन	18—25 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल 35 वर्ष की जा सकती है)	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य वांछनीय :— विज्ञान में उस विद्याशाखा, जिसमें पद भरा जाना अपेक्षित है, इंटरमीडिएट ।
7. तकनीकी सहायक वर्ग-1 (भंडारी)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)	260-6-280-द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु०	अचयन	18—28 वर्ष के बीच (विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल 35 वर्ष की जा सकती है)	मैट्रिक या उसके समतुल्य, साथ में भंडार कार्य का 3 वर्ष का अनुभव
8. तकनीकी सहायक (चालक) जिसमें स्टाफ कार चालक भी है ।	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	अचयन	18—25 वर्ष के बीच	(i) मिडिल स्कूल स्तर तक उत्तीर्ण । (ii) भारी और हल्के मोटर यानों के लिए विधिमान्य मोटर चालन अनुज्ञप्ति/सेमी अनुरक्षण और सर्विसिंग से सुपरिचित; और 3 वर्ष के अनुभव सहित मोटर यानों की चालू मरम्मत कर सकने के योग्य होना चाहिए ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
नियमित रूप से नियुक्त समूह 'घ' कर्मचारिवृन्द के लिए आयु—नहीं अर्हताएं—हां	दो वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा		समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जो केन्द्र का भारसाधक हो—अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी—सदस्य 3. एक बाह्य सदस्य (जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्य भी सम्मिलित है)—सदस्य 4. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से एक—सदस्य सचिव	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
9. प्रधान लिपिक एवं लेखापाल	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (लिपिक-वर्गीय)	425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु०	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
10. कनिष्ठ आशुलिपिक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (लिपिक-वर्गीय)	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560-रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच	मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य अर्हताएं और आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए । वांछनीय :— उस भाषा से, जिसमें उसकी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति है, भिन्न भाषा में आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :— ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों को, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :— वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय के प्रधान लिपिकों या ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर कृषि विभाग के अधीन अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में या राज्य वन विभाग के अधीन अन्य समतुल्य पदों पर काम करने वाले प्रधान लिपिकों या ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों को, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जो केन्द्र का भारसाधक हो—अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी—सदस्य 3. एक बाह्य सदस्य (जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सदस्य भी सम्मिलित है)—सदस्य 4. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से एक—सदस्य सचिव	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
11. उच्च श्रेणीलिपिक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (लिपिक-वर्गीय)	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति :— ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों की प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :— वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय के उच्च श्रेणीलिपिकों या ऐसे निम्न श्रेणीलिपिकों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर कृषि विभाग के अधीन अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में या राज्य वन विभाग के संस्थान समतुल्य पदों पर काम करने वाले उच्च श्रेणीलिपिकों या ऐसे निम्न श्रेणीलिपिकों को जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जो केन्द्र का भारसाधक हो—अध्यक्ष 2. ज्येष्ठतम ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी—सदस्य 3. एक बाह्य सदस्य (जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सदस्य भी सम्मिलित है)—सदस्य 4. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से एक—सदस्य सचिव	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
12. निम्न श्रेणीलिपिक	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (लिपिक वर्गीय)	260-6-290-द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच	(i) मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य अर्हता। (ii) टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति, परन्तु:— (क) ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास टंकण में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकेगा कि वह वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए या उस श्रेणी में स्थायिकरण के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त नहीं कर लेता और

1	2	3	4	5	6	7
						(ख) शारीरिक रूप से बाधा ग्रस्त व्यक्ति को, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित हैं, किन्तु जिसके पास टंकण में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकेगा कि बाधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड नहीं है, वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर दे कि उक्त बाधाग्रस्त व्यक्ति टाइप कर सकने के योग्य दशा में नहीं है ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह 'घ' कर्मचारिवृन्द में से भरी जाएंगी जो मैट्रिकुलेट हैं या जिनके पास समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने प्रतियोगिता परिक्षा के आधार पर समूह 'घ' में 5 वर्ष सेवा की है, परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 वर्ष) है, परन्तु इस पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, एक वर्ष में होने वाली निम्न श्रेणी लिपिकों की रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होंगी और भरी न गई रिक्तियां अग्रनीत नहीं की जाएंगी, परन्तु यह और कि प्रधान दो परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल करके 45 वर्ष की आयु तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष की आयु तक) की जाएगी ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
13 धन रक्षक	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच	मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
14. चपरासी	5	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच	मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण वांछनीय
15. चौकीदार	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच	प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण वांछनीय
16. खलासी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच	प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण वांछनीय
17. माली	5	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच	प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण वांछनीय
18. झाड़ूकश	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच	प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा	ऐसे झाड़ूकश, चौकीदार, फराश आदि का स्थानान्तरण, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए विहित अर्हता न हो किन्तु जिनके पास हिन्दी/अंग्रेजी/प्रादेशिक भाषा पढ़ने का साक्षरता ज्ञान हो, योग्यता का अवधारण दी गई भाषाओं में साधारण लिखित परीक्षा लेकर किया जाएगा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

टिप्पण:—आयु सीमा अवधारण की निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, वह अन्तिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा जाता है।

[सं० जी० 11015/7/72-एफ आर वाई-1]

सी० कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd August, 1977

G.S.R. 1213.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' and Group 'D' posts in the Regional Forest Research Centre, Jabalpur, Madhya Pradesh, namely :—

1. (1) Short title and commencement :—These rules may be called the Regional Forest Research Centre, Jabalpur, Madhya Pradesh (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application —These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc :—The method of recruitment, age limit, qualifications, and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification :—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for Group 'C' and 'D' posts at Regional Research Centre, Jabalpur

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Forest Ranger	1	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2. Research Assistant Grade I	3	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Selection	18-25 years (Relaxable for Govt. servants)	Second Class Masters' Degree in the discipline in which the post is required to be filled.
3. Artist Research Assistant Grade I.	1	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Not applicable	18-25 years (Relaxable for Govt. servants)	Matriculation: First Class Diploma in Commercial or Fine Arts from a recognised School of Arts and Crafts. 2 years experience in making posters, Commercial Art etc. drawing plants.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promottees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment, by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	By transfer on deputation of a trained Forest Ranger from State Forest Department (period of deputation not exceeding 3 years to be extended by one year).	Not applicable	Not applicable
No	2 years	Direct recruitment 66$\frac{2}{3}$% Promotion 33$\frac{1}{3}$% failing which by direct recruitment.	By promotion of Research Assistant Grade II with M.Sc. Degree in the relevant subject or B.Sc. in the relevant subject with 5 years service in the Branch or recipient of Howard Medal with 8 years service in the Branch.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Senior Research Officer-in-charge of the Centre—Chairman 2. Senior most Senior Research Officer—Member 3. One outside Member (including for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)—Member. 4. One of the Senior Research Officer—Member Secretary	Not applicable
No	2 years	Direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
4. Research Assistant Grade II	1	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 380-12-500-EB-15-560.	Non-selection	18-25 years (Relaxable for Govt. servants)	Second Class B.Sc. degree depending upon the discipline in which the post is requird to be filled.
5. Draftsman	1	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable	18-25 years (Relaxable for Govt. servants)	Diploma/Certificate in the Civil Draftsmanship.
6. Technical Assistants	7	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 260-8-300-EB-8-340-10-380-EB-10-430.	Non-selection	Between 18-25 (Relaxable upto 35 years for Departmental candidates)	Matriculation or equivalent. Desirable : Intermediate in Science/in the descipline in which the post is required to be filled.
7. Technical Assistant Grade I (Store Keeper)	1	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Non-selection	Between 18-25 years (Relaxable for Departmental candidate)	Matric or its equivalent with 3 years experience in handling of stores.
8. Technical Assistant (Dirvers including Staff Car Driver)	1	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	Non-Selection	Between 18-25 years	(i) Middle School Standard pass. (ii) Valid Motor Driving Licence for heavy and light Motor Vehicles. Should be conversent with routine maintenance and servicing and be able to do running repairs of Motor Vehicles with 3 years experience.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	By promotion of Technical Assistants (Group 'C')	Group 'C' Departmental Promotion Committee consists of— 1. Senior Research Officer-in-Charge of the Centre—Chairman. 2. Senior most Senior Research Officer—Member 3. One outside Member (including for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)—Member 4. One of the Senior Research Officers—Member Secretary	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
For regularly appointed Group 'D' Staff. Age : No Qualification—Yes	2 years	By transfer failing which by direct recruitment		Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Senior Research Officer-in-Charge of the Centre—Chairman 2. Senior most Senior Research Officer—Member 3. One outside Member (including for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes)—Member 4. One of the Senior Research Officers—Member Secretary	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
9. Head Clerk-cum-Accountant	1	General Central Service Group 'C' (Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Non-Selection	Not applicable	Not applicable
10. Junior Steno-grapher	1	General Central Service Group 'C' (Ministerial)	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable	Between 18-25 years	Matriculation or its equivalent qualifications and should possess a minimum speed of 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typing. Desirable : 80 words per minute in shorthand and 30 words per minute in typing in the language other than in which he possesses 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typing as essential.
11. Upper Division Clerk	1	General Central Service, Group 'C' (Ministerial)	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	Promotion failing which by transfer on deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion : By promotion from Upper Division Clerks with 5 years service in the grade. Transfer on deputation : By transfer on deputation from Head Clerks or Upper Division Clerks with 5 years service in the grade of Forest Research Institute and Colleges, failing which by deputation of Head Clerks or Upper Division Clerks with 5 years service in the grade working in other subordinate offices under the Department of Agriculture or equivalent posts under the State Forest Department (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Senior Research Officer-in-Charge of the Centre—Chairman. 2. Senior most Senior Research Officer—Member 3. One outside Member (including for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes)—Member. 4. One of the Senior Research Officers—Member Secretary.	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : By promotion of Lower Division Clerks with 8 years service in the grade. Transfer on deputation : By transfer on deputation from Upper Division Clerks or Lower Division Clerks with 8 years regular service in the grade of Forest Research Institute and Colleges failing which by deputation of Upper Division Clerks or Lower Division Clerks with 8 years regular service in the grade working in other Subordinate offices under the Department of Agriculture or equivalent posts under the State Forest Departments (Period of deputation not exceeding 3 years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— 1. Senior Research Officer-in-Charge of the Centre—Chairman. 2. Senior most Senior Research Officer—Member. 3. One outside Member (including for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes)—Member. 4. One of the Senior Research Officers—Member Secretary.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
12. Lower Division Clerks	2	General Central Service, Group 'C' (Ministerial)	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Not applicable	Between 18-25 years	(i) Matriculation or its equivalent qualification. (ii) Minimum speed of 30 words per minute in typing provided that :— (a) A person not possessing the said qualifications in typing may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing increments in the pay scale or for quasi-permanency in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute in typing; and (b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a Clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the special Employment Exchange for the handicapped or where there is no such board the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in fit condition to be able to type.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	(i) 90% by direct recruitment. (ii) 10% vacancies shall be filled from amongst the Group 'D' Staff who are matriculate or possess equivalent qualification and have rendered 5 years service, in Group 'D' on the basis of competitive examination, the maximum age limit for eligibility for the examination being 40 years (45 years for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes) provided that the maximum number of persons to be recruited by the method shall be limited to 10% of the vacancies of Lower Division Clerks occuring in a year and unfilled vacancies shall not be carried over, and provided further that for the first two examinations the maximum age limit shall be relaxed upto 45 years (50 years for Scheduled Caste/ Scheduled Tribe employees).	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
13. Forest Guard	2	General Central Service, Group 'D'.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Between 18-25 years	Middle School Standard pass.
14. Peon	5	General Central Service, Group 'D'.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Between 18-25 years	Middle School Standard pass.
15. Chowkidar	2	General Central Service, Group 'D'.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Between 18-25 years	Desirable : Primary School pass.
16. Khalasi	1	General Central Service, Group 'D'.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Between 18-25 years	Desirable : Primary School pass.
17. Mali	5	General Central Service, Group 'D'.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Between 18-25 years	Desirable : Primary School pass.
18. Sweeper	2	General Central Service, Group 'D'.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Between 18-25 years.	Desirable : Primary School pass.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	75% by direct recruitment. 25% by transfer	Transfer of Sweepers, Chowkidars, Farashes etc. having 5 years service in the grade who do not possess the qualification prescribed for direct recruitment but possess the knowledge of literary to read in Hindi/English/Regional Language, ability will be determined by a simple written test in the given languages.	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Note :— The crucial date for determining the age lim't will, in each case, be the last date up to which the Employment Exchange is asked to furnish names.

[No. G-11015/7/72-FRY-I]
V. KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1214.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन स्वीकृत मात्स्यकी परियोजना में समूह ग और घ पदों पर भर्ती की पद्धति की विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मात्स्यकी परियोजना (समूह ग और समूह घ पद) भर्ती नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 मे विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. सहायक फोरमैन (बढ़ईगीरी)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अलिपिकवर्गीय	380-12-500-15-560 रु०	चयन	30 वर्ष	यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा लकड़ी की नाव बनाने और उनकी मरम्मत करने का 2 वर्ष का अनुभव या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से बढ़ई गीरी व्यवसाय में प्रमाण-पत्र तथा लकड़ी की नाव बनाने या उसकी मरम्मत करने का 7 वर्ष का अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न/पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	260—350 रु० के वेतनमान में ऐसे बढ़ई जिन्होंने इस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की हो।	समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. निदेशक, एकीकृत मात्स्यकी परियोजना—अध्यक्ष 2. यांत्रिक समुद्री इंजीनियर—सदस्य 3. सहायक निदेशक—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक फोरमैन (मशीन शाप)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अलिपिकवर्गीय	380-12-500-15-560 रु०	चयन	30 वर्ष	यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा किसी मान्यता प्राप्त मशीन शाप में 2 वर्ष का अनुभव। या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से यांत्रिक/खरादी का प्रमाण-पत्र तथा किसी मान्यताप्राप्त मशीन शाप में 7 वर्ष का अनुभव
3. सहायक फोरमैन (वेल्डन)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अलिपिकवर्गीय	380-12-500-15-560 रु०	चयन	30 वर्ष	यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा वेल्डन अभ्यास में अधिमानतः समुद्री इंजीनियरी संबंध मरम्मत करने के काम का 2 वर्ष का अनुभव। या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वेल्डन प्रमाण पत्र तथा पोत की मरम्मत में लगी किसी मान्यताप्राप्त समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला में वेल्डन का 7 वर्ष का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	260—350 रुपए के वेतनमान में खरादी, जिसने इस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की हो।	वर्ग ग, विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. निदेशक, एकीकृत मात्स्यकी परियोजना—अध्यक्ष 2. यांत्रिक समुद्री इंजीनियर—सदस्य 3. सहायक निदेशक—सदस्य	लागू नहीं होता
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	260—350 रु० वेतनमान में वेल्डर, जिसने इस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की हो।	वर्ग ग, विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. निदेशक, एकीकृत मात्स्यकी परियोजना—अध्यक्ष 2. यांत्रिक समुद्री इंजीनियर—सदस्य 3. सहायक निदेशक—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. सहायक फोरमैन (इंजिन तथा उपस्कर)	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अलिपिकवर्गीय	380-12-500-15-560 रु०	चयन	30 वर्ष	यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा और किसी मान्यता प्राप्त कर्मशाला में डीजल इंजिन की मरम्मत/समुद्री इंजीनियरी सम्बन्धी मरम्मत का 2 वर्ष का अनुभव। अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डीजल मशीन/फिटर का प्रमाणपत्र या इसके समतुल्य तथा किसी मान्यताप्राप्त कर्मशाला में डीजल इंजिन की मरम्मत/समुद्री इंजीनियरी संबंधी मरम्मत का 7 वर्ष का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	260–350 रु० वेतनमान में कर्मशाला (स्लिपवे) मैकेनिक जिसने इस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की हो।	समूह ग, विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे। 1. निदेशक, एकीकृत मात्स्यकी परियोजना–अध्यक्ष 2. यांत्रिक समुद्री इंजीनियर–सदस्य 3. सहायक निदेशक–सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. सहायक फोरमैन (संरचनाएं)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अलिपिकवर्गीय	380-12-500-15-560 रु०	चयन	30 वर्ष	यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा गढ़ाई नलकारी, फिटिंग, अधिष्ठापन आदि से संबंधित समुद्रीयान की मरम्मत के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से लोहारी/फिटिंग में प्रमाण पत्र या इसके समतुल्य, तथा गढ़ाई नलकारी, फिटिंग, अधिष्ठापन आदि से संबंधित समुद्रीयान की मरम्मत के कार्य का 7 वर्ष का अनुभव।
6. सहायक फोरमैन (स्लिपवे)	दो	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अलिपिकवर्गीय	380-12-500-15-560 रु०	चयन	30 वर्ष	यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा डाकयार्ड या स्लिपवे में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव या भारतीय नौसेना डाक यार्ड से व्यवसाय प्रमाण पत्र तथा डाकयार्ड/स्लिपवे में 7 वर्ष का अनुभव। या फिटर मैकेनिक/लोहार के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र और डाकयार्ड/स्लिपवे में 5 वर्ष का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	260–350 रु० वेतनमान में लोहार तथा फिटर जिसने इस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की हो।	समूह ग, विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1 निदेशक, एकीकृत मात्स्यकी परियोजना–अध्यक्ष 2. यांत्रिक समुद्री इंजीनियर–सदस्य 3. सहायक निदेशक–सदस्य	लागू नहीं होता
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	260–350 रु० वेतनमान में मैकेनिक (स्लिपवे) जिसने इस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की हो।	समूह ग, विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. निदेशक, एकीकृत मात्स्यकी परियोजना–अध्यक्ष 2. यांत्रिकी समुद्री इंजीनियर–सदस्य 3. सहायक निदेशक–सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
7. जाल निर्माण पर्यवेक्षक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अलिपिकवर्गीय	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	चयन	30 वर्ष	(1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) केन्द्रीय मात्स्यकी प्रचालन संस्थान से गियर तकनीकज्ञ पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो। वांछनीय : जाल निर्माण में 2 वर्ष का अनुभव।
8. नक्शानवीस (यांत्रिक)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अलिपिकवर्गीय	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष	यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला, अधिमानतः समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला के आरक्षण कार्यालय में 2 वर्ष का अनुभव। अथवा नक्शानवीसी (यांत्रिक) का प्रमाण पत्र तथा किसी ख्यातिप्राप्त कर्मशाला, अधिमानतः समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला के आरक्षण कार्यालय में 2 वर्ष का अनुभव।
9. गेस्टेटनर प्रचालक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह घ, अलिपिकवर्गीय	210-4-250-द०रो०-5-270 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
10. स्लिपवे कर्मकार	18	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह घ अलिपिकवर्गीय	200-3-206-4-234-द०रो०-4-250	चयन	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त स्लिपवे अथवा डाकयार्ड में काम करने का 3 वर्ष का अनुभव। (2) चौथी कक्षा तक पढ़ा हो। (3) अच्छा स्वास्थ्य रखता हो। वांछनीय : जलयानों की सफाई, छीलन तथा रंग रोगन करने का 2 वर्ष का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	210-270 रु० वेतनमान में ऐसे निर्माता के स्थानान्तरण द्वारा जिसने उस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	200-250 रु० वेतनमान में ऐसा दफ्तरी जिसने इस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो।	समूह घ, विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1. निदेशक, एकीकृत मात्स्यकी परियोजना—अध्यक्ष 2. यांत्रिक समुद्री इंजीनियर—सदस्य 3. सहायक निदेशक—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	196-232 रु० वेतनमान में ऐसा अकुशल कर्मकार, जिसने इस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो।	समूह घ, विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :— 1 निदेशक, एकीकृत मात्स्यकी परियोजना—अध्यक्ष 2. यांत्रिक समुद्री इंजीनियर—सदस्य 3. सहायक निदेशक—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
11. अकुशल कर्मकार	10	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह घ, अलिपिकवर्गीय	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष	(1) किसी कर्मशाला में एक वर्ष का अनुभव। (2) पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए। (3) अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

टिप्पण :—(1) पात्रता : सरकारी सेवा की अवधि को घटाने के बाद यदि सरकारी कर्मचारी की आयु पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा के भीतर है तो वह नियुक्ति का पात्र है।

(2) आयु-अवधारण : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया हो और ऐसी निर्णायक तारीख बाहर के प्रार्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।

(3) सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति की पद्धति रोजगार कार्यालय के माध्यम से होगी अथवा इसके लिए मौखिक परीक्षा होगी।

[सं० 15-5/76-मात्स्यकी (प्रशासन)]

एच० एम० रे, अवर सचिव

New Delhi, the 24th August, 1977

G.S.R. 1214.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group C and D posts in the Integrated Fisheries Project under the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Integrated Fisheries Project (Group C and D Posts) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligibe for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reason to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Cactes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Assistant Foreman (Carpentry).	1	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-15-560.	Selection	30 years.	Diploma in Mechanical Engineering with 2 years' experience in building of wooden boat carpentry repairs of wooden boats. OR Industrial Training Institute Certificate in the grade of carpentry with 7 years' experience in building or repairs of wooden boats.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age : No. Educational qualification : Yes.	2 years.	Promotion failing which by direct recruitment.	Carpenters in the scale of Rs. 260-350 with 7 years' service in the grade.	Group C Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Director, Integrated Fisheries Project—Chairman. 2. Mechanical Marine Engineer—Member. 3. Assistant Director—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
2. Assistant Foreman (Machine shop).	1	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-15-560.	Selection	30 years	Diploma in Mechanical Engineering with 2 years' experience in a recognised machine shop. OR Industrial Training Institute Certificate as mechanist/turner with 7 years' experience in a recognised machine shop.
3. Assistant Foreman (Welding)	1	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-15-560.	Selection	30 years	Diploma in Mechanical Engineering with 2 years' experience in welding practices preferably in Marine Engineer Repairs. OR Industrial Training Institute Certificate in welding with 7 years' experience in welding in recognised Marine Engineering workshop engaged in ship repairs.

8	9	10	11	12	13
Age : No. Educational qualification: Yes	2 years.	Promotion failing which by direct recruitment.	Turner in the sacle of Rs. 260-350 with 7 years' service in the grade.	Group C Depatmental Promotion Committee consisting of:— 1. Director, Integrated Fisheries Project—Chairman. 2. Mechanical Marine Engineer—Member. 3. Assistant Director—Member.	Not applicable.
Age : No. Educational qualification: Yes.	2 years.	Promotion, failing which by direct recruitment.	Welders in the sacle of Rs. 260-350 with 7 years' service in the grade.	Group C Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Director, Integrated Fisheries Project—Chairman. 2. Mechanical Marine Engineer—Member. 3. Assistant Director—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
4. Assistant Foreman (Engines and Equipment).	2	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-15-560.	Selection	30 years	Diploma in Mechanical Engineering with 2 years' experience in repairs of diesel engines/marine engineering repairs in a recognised workshop. OR Industrial Training Institute Certificate in diesel machine/Fitter or equivalent with 7 years' experience in repairs of diesel engines/marine engineering repairs in a recognised workshop.
5. Assistant (Foreman Structurals).	1	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-15-560.	Selection	30 years	Diploma in Mechanical Engineering with 2 years' experience in Marine craft repairs connected with forging, plumbing, fitting installation etc. OR Industrial Training Institute Certificate in blacksmithing/fitting/or equivalent with 7 years' experience in marine craft repairs connected with forging plumbing, fitting, installation etc.

8	9	10	11	12	13
Age : No. Educational qualification : Yes.	2 years.	Promotion, failing which by direct recruitment.	Workshop (Slipway) Mechanics in the scale of Rs. 260-350 with 7 years service in the grade.	Group C Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Director, Integrated Fisheries Project—Chairman. 2. Mechanical Marine Engineer —Member. 3. Assistant Director—Member.	Not applicable
Age : No Educational qualification : Yes.	2 years.	Promotion, failing which by direct recruitment.	Blacksmith and Fitter in the scale of Rs. 260-350 with 7 years' service in the grade.	Group C Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Director, Integrated Fisheries Project—Chairman. 2. Mechanical Marine Engineer—Member. 3. Assistant Director—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
6. Assistant Foreman (Slipway).	2	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-15-560.	Selection	30 years	Diploma in Mechanical Engineering with 2 years experience in dockyard or slipway. OR Trade Certificate from the Indian Naval Dockyard with 7 years experience in dockyard/slipway. OR Industrial Training Institute Certificate in the trade of fitter/mechanic/blacksmith with 5 years experience in dockyard/slipway.
7. Net Making Supervisor	1	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Selection	30 years	(1) Matriculation or equivalent. (2) Should have successfully undergone gear technician's course conducted by Central Institute of Fisheries Operatives. Desirable: 2 years experience in net making.
8. Draftsman (Mechanical).	1	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable	30 years	Diploma in Mechanical Engineering with two years experience in a drawing office of a reputed workshop preferably in a Marine Engineering Workshop. OR Certificate of Draftsmanship (Mechanical) with 2 years experience in a drawing office of a reputed workshop preferably in a Marine Engis-neering Workshop.

8	9	10	11	12	13
Age : No. Educational qualification: Yes.	2 years	Promotion failing which by direct recruitment.	Mechanics (Slipway) in the scale of Rs. 260-350 with 7 years service in the grade.	Group C Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Director, Integrated Fisheries Project—Chairman. 2. Mechanical , Marine Engineer—Member. 3. Assistant Director —Member.	Not applicable
Age : No. Educational qualification: Yes.	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer from Net Menders in the grade of Rs. 210-270 with 7 years service in the grade.	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	Direct Recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
9. Gestetner Operator	1	General Central Service Group 'D' Ministerial.	Rs. 210-4-250-EB-5-270.	Selection	Not applicable	Not applicable
10. Slipway Workers	18	General Central Service Group 'D' Non-Ministerial.	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	Selection	30 years	3 years experience in a recognised slipway or dry dock. (2) Studied upto IV standard. (3) Should possess good physical health. Desirable: 2 years experience in a workshop cleaning, chipping and painting of vessels.
11. Unskilled Workers	10	General Central Service Group 'D' Non-Ministerial.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	30 years	(1) One year experience in a workshop. (2) Should know how to read and write. (3) Should have good physique

8	9	11	12	13	
Not applicable	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	Daftry in the scale of Rs. 200-250-with 3 years service in the grade.	Group D Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Director, Integrated Fisheries Project —Chairman. 2. Mechanical Marine Engineer—Member. 3. Assistant Director —Member.	Not applicable
No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	Unskilled workers in the scale of Rs. 196-232 with 5 years service in the grade.	Group D Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Director, Integrated Fisheries Project —Chairman. 2. Mechanical Marine Engineer —Member. 3. Assistant Director —Member.	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Note: (1) Eligibility:—If, after deducting the period rendered in Government service, the Government servant is within the maximum age limit prescribed for the post he is eligible for appointment to the post.

(2) Determination of age:—The crucial date for determining the age limit will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names and last date in respect of application called for in the open market.

(3) Method of appointment for direct recruitment will be through employment exchange or viva-voce.

[No. 15-5/76-Fy. (Admn.)]
H. M. RAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1215 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार निदेशालय में फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्तार निदेशालय, फोटोग्राफर (भर्ती) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसक। वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के संबन्ध मे शिथिल की जा सकेगी।

4. निरर्हताएं:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
फोटोग्राफर	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख,' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	550-25-750-द० रो०-30-900 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहते है) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड की मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष (2) दृश्य संचार अथवा चलचित्र फोटोग्राफी में डिप्लोमा अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा संस्था द्वारा प्रदान किया गया सिनेमाटोग्राफी में डिप्लोमा/लाइसेंसिएट (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है) वांछनीय : फोटोग्राफी में पर्याप्त दक्षता जिसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। वर्षों में खींचे गए महत्वपूर्ण और रोचक फोटोग्राफ की कुछ नमूना प्रतियां संलग्न करते हुए, उनका विस्तृत उल्लेख किया जाना चाहिए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां प्रोन्नति जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन किया जाएगा।

[सं० एफ० 29-7/75-फसल प्रशासन—4]

स० पी० सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 25th August, 1977

G.S.R. 1215.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographer in the Directorate of Extension (Vistar Nideshalaya) namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Extension (Vistar Nideshalaya), Photographer (Recruitment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its calssification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

4. Disqualification.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contract a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expendient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Photographer	2	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Not applicable	35 years (Relaxable for Government Servants). Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Essential: (i) Matriculation or equivalent of a recognised University/Board. (ii) Diploma in Visual Communication or Motion Picture Photography or Licenciate/Diploma in Cinematography awarded by a recognised Board or Institution. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). Desirable: Adequate proficiency in Photography, evidence of which should be furnished. Detailed mention should be made of the important or interesting photographs taken indoors, enclosing a few specimen copies thereof.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of deputation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation / transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion / deputation / transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in mahing rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. F.29-7/75-CA-IV]
S. P. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1216.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमि गत जल बोर्ड (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमि गत जल बोर्ड (समूह ग और घ पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमि गत जल बोर्ड (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जल विज्ञान) के पद से संबन्धित क्रम सं० 1 के सामने :—

(1) स्तम्भ 3 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"75"।

(2) स्तम्भ 4 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित-अलिपिकवर्गीय";

(3) स्तम्भ में 5, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"550-25-750-द०रो०-30-900";

(4) स्तम्भ 6, में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"लागू नहीं होता";

(5) स्तम्भ 7 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"35 वर्ष;

(6) स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"भू विज्ञान में मास्टर की उपाधि या इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद से डिप्लोमा भू विज्ञान में"।

[सं० 23-7/76-एम आई (ए)]

New Delhi, the 24th August, 1977

G.S.R. 1216.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Group C and D posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Ground Water Board (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1968, against serial No. 1 relating to the post of Senior Technical Assistant (Hydrogeology) :—

(i) In column 3, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"75";

(ii) in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted-Non Ministerial";

(iii) in column 5, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 550-25-750-EB-30-900";

(iv) in column 6, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Not applicable";

(v) in column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"35 years";

(vi) in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Master's degree in Geology or Diploma in Geology from Indian School of Mines, Dhanbad".

[No. 23-7/76-MI(A)]

सा०का०नि० 1217.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (वर्ग 1 और वर्ग 2 सेवा) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (समूह क और समूह ख सेवाएं) भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (समूह क और समूह ख सेवाएं) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में,—

(1) कनिष्ठ जल-भूवैज्ञानिक के पद से संबन्धित क्रम सं० 6 के सामने;—

(1) स्तम्भ 8 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में एम०एस०सी० या समतुल्य

या

भारतीय खान विद्यालय, धनबाद से अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में सह-सदस्यता (असोसिएट शिप) में डिप्लोमा

या

कोई अन्य अर्हताएं, जिनका स्तर, संघ लोक सेवा आयोग की राय में, किसी अभ्यर्थी के भू-वैज्ञानिक की परीक्षा में प्रवेश को न्यायोचित ठहराता है" ;—

(2) स्तम्भ 13 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"समूह क पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति:—

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष

2. सम्बद्ध प्रभाग का संयुक्त सचिव — सदस्य

3. सम्बद्ध प्रभाग का तकनीकी प्रधान — सदस्य

4. उपसचिव (भू-जल) — सदस्य सचिव";

(2) लेखा अधिकारी के पद से संबन्धित क्रम सं० 8क के सामने, स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि, रखी जाएगी, अर्थात्:—

"स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा" ;

(3) सहायक भू-जल वैज्ञानिक के पद से संबन्धित क्रम सं० 10 के सामने;—

(1) स्तम्भ 13 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि, रखी जाएगी, अर्थात्:—

"समूह 'ख' पदों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—

1. सम्बद्ध प्रभाग के संयुक्त सचिव — अध्यक्ष

2. सम्बद्ध प्रभाग के तकनीकी प्रधान — सदस्य

3. मुख्य भू-जलवैज्ञानिक : केन्द्रीय भू-जल बोर्ड — सदस्य

4. उपसचिव (भू-जल) — सदस्य सचिव"।

[सं० 7-94/75-एम०आई०(ए)]

G.S.R. 1217.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Class I and Class II Services) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Group A and Group B Services) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Ground Water Board (Group A and Group B Services) Recruitment Rules, 1963;—

(1) against serial No. 6 relating to the post of Junior Hydrogeologist :—

(i) in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"M.Sc. in Geology or Applied Geology from a recognised university or equivalent

OR

Diploma of Associateship in Applied Geology from the Indian School of Mines, Dhanbad

OR

Any other qualifications, the standard of which, in the opinion of the Union Public Service Commission, is held to be justifying the admission of a candidate to the Geologists' Examination.";—

(ii) in column 13, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Departmental Promotion Committee for Group A posts :—

1. Chairman or Member of Union Public Service Commission ...Chairman

2. Joint Secretary of the Division concerned ...Member.

3. Technical Head of the Division concerned ...Member

4. Deputy Secretary (Ground Water) ...Member Secretary." ;

(2) against serial No. 8A relating to the post of Accounts Officer, in column 11, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"By transfer/transfer on deputation." ;

(3) against serial No. 10 relating to the post of Assistant Hydrogeologist;—

(i) in column 13, for the entry, the following entry shall be substituted, namely;—

"Departmental Promotion Committee for Group 'B' posts :—

1. Joint Secretary of the Division concerned ...Chairman

2. Technical Head of the Division concerned ...Member

3. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board ...Member

4. Deputy Secretary (Ground Water) ...Member Secretary."

[No. 7-94/75-MI(A)]

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1218.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में बरकन्दाज के पद पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (बरकन्दाज) भर्ती नियम, 1977 है।

2 ये राजपत्र म प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निरर्हताएं:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
बरकन्दाज	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रु० 10 रु० विशेष वेतन के रूप में	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा	स्थायी या स्थायीवत् चपरासी जिसने 3 वर्ष से अधिक लगातार सेवा की हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 23-34/76-एस आई (ए)]

एस० दयाल, उप सचिव

New Delhi, the 25th August, 1977

G.S.R. 1218.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Barkandaz in the Central Ground Water Board, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Central Ground Water Board (Barkandaz) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligibe for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Cactes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Barkandaz	1	General Central Service, Group 'D'	Rs. 196-3-220-EB-3-232-Rs.10/- as special pay.	Non-selection	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case recruitment by promotion/deputation / transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Not applicable.	100% by transfer.	Permanent or quasi-permanent peon who has put in more than 3 year's continuous service.	Not applicable.	Not applicable.

[No. 23-34/76-M.I.(A)]
S. DAYAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1219.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) में अधीक्षक इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि विभाग (अधीक्षण इंजीनियर) भर्ती नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु स्तम्भ 6 में विहित अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
अधीक्षक इंजीनियर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	1500-60-1800-100-2000 रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) नोट : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान, निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में उपाधि। (ii) 10 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव, जिसमें भू-जल स्कीम सहित सिंचाई कार्यों के परियोजना भारसाधक, आदि के रूप में किसी कार्यपालक प्रास्थिति में 5 वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है, विशेषकर अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए शिथिल की जा सकती है) वांछनीय : सतह पर के जल की छोटी छोटी परियोजनायें और भू-जल संरचनाओं की प्रायोजना और डिजाइन से संबन्धित जल-विज्ञान का अनुभव और ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्प अवधि संविदा सम्मिलित है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्प अवधि संविदा सम्मिलित है) सदृश पदों के धारक अधिकारी या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारी जिन्होंने कार्यपालक इंजीनियर के वर्ग में नियमित रूप से 5 वर्ष सेवा की हो और जो सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ 7 में विहित योग्यताएं और अनुभव रखते हों) (प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	चयन प्रत्येक अवसर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

[सं० 12018/11/76-स्था० 5]
रूप राम, अवर सचिव

New Delhi, the 26th August, 1977

G. S. R. **1219**.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution, the President hereby make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintending Engineer in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Department of Agriculture (Superintending Engineer) Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, its classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid :

Provided that the upper age limit specified for direct recruitment in column 6 of the Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time.

4. Disqualifications :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required by direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Superintending Engineer	One	General Central Service Group 'A', Gazetted.	Rs. 1500-60-1800-100-2000.	Not applicable	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government Servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) A degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent; (ii) 10 years' practical experience including 5 years' in an executive capacity as in-charge of a project etc. of irrigation work including ground water scheme. (Qualifications relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified; in particular the qualification regarding experience is relaxable in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for post reserved for them). Desirable : Experience and knowledge of Hydrology as related to planning and design of small surface water projects and ground water structures.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	Transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Transfer on Deputation (Including short-term Contract) : Officers holding analogous posts or with 5 years' regular service in the grade of Executive Engineer or equivalent under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Recognised Research Institution/Agricultural Universities and possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. A-12018/11/76-E.V.]

RUP RAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1220—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मूल्य आयोग, अनुसंधान अन्वेषक (वर्ग 2) और संगणक भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मूल्य आयोग अनुसंधान अन्वेषक (वर्ग-2) और संगणक भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि मूल्य आयोग, अनुसंधान अन्वेषक (वर्ग 2) और संगणक भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में अनुसंधान अन्वेषक (वर्ग 2) के सामने, स्तम्भ 10 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"66⅔ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ;

33⅓ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा "

[संख्या 6-3/72-अर्थ नीति]

एम० वी० केसवन, अवर सचिव

New Delhi, the 30th August, 1977

G.S.R. 1220.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Agricultural Prices Commission, Research Investigators (Grade II) and Computors Recruitment Rules, 1966, namely :—

1. (i) These rules may be called the Agricultural Prices Commission Research Investigators (Grade II) and Computors Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Agricultural Prices Commission Research Investigators (Grade II) and Computors Recruitment Rules, 1966, against the post of Research Investigator (Grade II) for the entry column in column 10, the following entry shall be substituted, namely :—

"66⅔ per cent by promotion failing which by direct recruitment ;

33⅓ per centby direct recruitment."

[No. 6-3/72-Econ. Py.]

M. V. KESAVAN, Under Secy.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1221—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग 1 और वर्ग 2 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग 1 और वर्ग 2 राजपत्रित पद) भर्ती (छठवां संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग 1 और वर्ग 2 राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में क्रम संख्या 31 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
"32. संरक्षण निदेशक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	1500-60-1800-100-2000 रु०	चयन	45 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी या वास्तुकला में उपाधि या समतुल्य। (ii) सिविल निर्माण कार्य के वास्तविक निष्पादन में, जिसमें सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग के अधीन या किसी सुस्थापित फर्म में भवनों के रख-रखाव भी हैं, 10 वर्ष का अनुभव (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी ; विशेषकर अनुभव संबन्धी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में, उनके लिए आरक्षित पदों के लिए, शिथिल की जा सकेंगी।) वांछनीय : (i) सिविल इंजीनियरी या वास्तुकला में मास्टर की उपाधि। (ii) पुरानी संरचनाओं के परिरक्षण का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर और वास्तुविद, जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अपनी-अपनी श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव या अपर सचिव—सदस्य 3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण—सदस्य 4 अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण—सदस्य	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और पुष्टिकरण के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।"

[सं० 14-2/15-प्रशा० I]

म०न० देसपांडे, महानिदेशक और पदेन संयुक्त सचिव

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

(Department of Culture)

New Delhi, the 29th August, 1977

G.S.R. 1221.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Archaeological Survey of India (Class I and Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, namely :

1. (1) These rules may be called the Archaeological Survey of India (Class I and Class II Gazetted Posts) Recruitment (Sixth Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Schedule to the Archaeological Survey of India (Class I and Class II Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, after Serial Number 31 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"32. Director Conservation	1	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1500-60-1800-100-2000.	Selection	Not exceeding 45 years (Relaxable for Govt. servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Union territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree in Civil Engineering or in Architecture of a recognised University or equivalent. (ii) 10 years' experience in actual execution of Civil Works including maintenance of buildings under Government or a Semi-Government Department or in a well established private firm. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified; in particular the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable : (i) Master's degree in Civil Engineering or Architecture. (ii) Experience in preservation of ancient structures.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion : Superintending Archaeological Engineer and Architect with 5 years' service in the respective grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group A Departmental Promotion Committee:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman. 2. Secretary or Additional Secretary—Member. 3. Director General, Archaeological Survey of India—Member. 4. Additional Director General, Archaeological Survey of India—Member Secretary.	Consultation with the Union Public Service Commission shall be necessary which making direct recruitment and confirmation of a direct recruit."

[No. 14-2/75 Admn.-I]
M.N. DESHPANDE, Director General & Ex-Officio Jt. Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1222.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धो द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा लक्ष्यद्वीप प्रशासन (मछली-उद्योग प्रशिक्षक) भर्ती नियम, 1975 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को लक्ष्यद्वीप प्रशासन (मछली-उद्योग प्रशिक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 कहा जाये ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके छपने की तारीख से लागू होंगे।

2. लक्ष्यद्वीप प्रशासन (मछली-उद्योग प्रशिक्षक) भर्ती नियम, 1975 की अनुसूची के कालम 13 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"सीधी भर्ती करते समय, सीधी भर्ती वाले को स्थायी करते समय तथा राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना।"

[संख्या एच० 11013/2/76-यू०टी०-1]
शारदा राव (श्रीमती), उप-शिक्षा सलाहकार

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 31st August, 1977

G.S.R. 1222.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Lakshadweep Administration (Fisheries Instructor) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Lakshadweep Administration (Fisheries Instructor) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Lakshadweep Administration (Fisheries Instructor) Recruitment Rules, 1975, for the entry in column 13, the following shall be substituted, namely :—

"Consultation with the Union Public Service Commission while making direct recruitment, confirmation of a direct recruit and appointing an officer from a State Government on deputation".

[No. H. 11013/2/76-Sch. 6]
SHARDA RAO (MRS.), Dy. Educational Adviser.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(वाणिज्य पोत परिवहन)

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1977

सा०का०नि० 1223.—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 458 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 289 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि साधित्र) नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि साधित्र) संशोधन नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि साधित्र) नियम, 1969 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"3. पोतों का वर्गीकरण:—इन नियमों के प्रयोजनार्थ पोतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात् :—

वर्ग-I—अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रयात्राओं में लगे हुए (वर्ग III पोतों से भिन्न) यात्री पोत,

वर्ग-II—छोटी अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रयात्राओं में लगे हुए (वर्ग IV पोतों से भिन्न) यात्री पोत,

वर्ग-III—अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रयात्राओं में लगे हुए विशेष व्यापार यात्री पोत,

वर्ग-IV—छोटी अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्राओं में लगे हुए विशेष व्यापार यात्री पोत,

वर्ग-V—अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्राओं से भिन्न समुद्रयात्राओं में लगे हुए (वर्ग VI और वर्ग VII पोतों से भिन्न) विशेष व्यापार यात्री पोत,

वर्ग-VI—ऐसे भारतीय तटवर्ती व्यापार में समुद्रयात्रा में लगे हुए विशेष व्यापार यात्री पोत, जिसके दौरान वे निकटतम भूमि से 20 मील से अधिक दूरी तक नहीं जाते हैं,

वर्ग-VII—भारत में पत्तनों के मध्य स्वच्छ मौसम में ऐसी समुद्री यात्राओं में लगे हुए विशेष व्यापार यात्री पोत, जिनके दौरान वे निकटस्थ भूमि से 5 मील से अधिक दूरी तक नहीं जाते हैं।

वर्ग-VIII—अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रयात्राओं में लगे हुए स्थौरा पोत।

वर्ग-IX—अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रयात्राओं से भिन्न समुद्रयात्राओं में लगे हुए (वर्ग X पोतों से भिन्न) स्थौरा पोत।

वर्ग-X—ऐसे भारतीय तटवर्ती व्यापार में लगे हुए स्थौरा पोत (वर्ग IX पोतों से भिन्न पोत), जिसके दौरान वे निकटस्थ भूमि से 20 मील से अधिक दूरी तक नहीं जाते हैं।

वर्ग-XI—भारत में पत्तनों के मध्य स्वच्छ मौसम में ऐसी समुद्रयात्राओं में लगे हुए स्थौरा पोत, जिनके दौरान वे निकटस्थ भूमि से 5 मील से अधिक दूरी तक नहीं जाते हैं।

वर्ग-XII—टग, टेंडर, लांच, लाइटर, निकर्षण पोत, बजरें और हापर जो समुद्र पर जाते हैं।

वर्ग-XIII—वर्ग XIV से भिन्न मत्स्य-ग्रहण जलयान,

वर्ग-XIV—चलत जलयान, जिसमें चलत मत्स्य ग्रहण जलयान सम्मिलित हैं।

वर्ग-XV—क्रीडा नौका।

स्पष्टीकरण—यथास्थिति वर्ग VI या वर्ग X का पोत, केवल इस कारण कि वह अपनी समुद्रयात्रा के दौरान कच्छ, कैम्बे और मन्नार की खाड़ी पार करता है, संबंधित वर्ग का पोत होने से परिविरत नहीं होगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"12. जल-नल, बम्बा, अग्नि रबर नलिका, (हौज)—वर्ग I के हर पोत पर, जब वह मार्ग में हो, उतने जल सेवा नलों, बम्बों और रबर नलिकाओं की व्यवस्था होगी जितने केन्द्रीय सरकार की राय में, कम से कम ऐसा दो अग्नि रबर नलिकाओं के, जो एकही बम्बे से न जुड़ी हों क्षिप्र और साथ-साथ प्रचालन के लिये जल का प्रदाय बनाये रखने के लिये और जल के ऐसे दो शक्तिशाली जेटों से प्रक्षेपण के लिये, जो यात्रियों और कर्मीदल की पहुंच के भीतर आने वाले पोत के किसी भी भाग में पहुंचने में समर्थ हो, पर्याप्त हो।"

4. उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"14. फायरमैन उपकरण (आउटफिट) :—वर्ग I के हर पोत पर निम्नलिखित होंगे —

(क) (1) दो फायरमैन उपकरण; और इसके अतिरिक्त,

(2) डेकपर के सभी यात्री स्थानों और सेवा-स्थानों की, जिस डेकपर ऐसे स्थान हों, कुल लम्बाई के हर 80 मीटर या उसके भाग के लिये, या यदि एक से अधिक ऐसे डेक हों तो ऐसे डेकपर, जिस पर ऐसी लंबाइयों का योग सबसे अधिक है, दो फायरमैन उपकरण और दो सेट निजी उपकरण;

(ख) हर फायर मैन-उपकरण के लिये, जिस में स्वयंपूर्ण श्वसन उपकरण भी सम्मिलित है, हर ऐसे साधित्र के लिये एक अतिरिक्त चार्ज;

(ग) दूर-दूर पृथक-पृथक स्थानों पर फायरमैन उपकरण और कर्मचारी उपस्कर के सैट जो हर समय प्रयोग के लिये तैयार हालत में हों तथा कम से कम दो फायरमैन-उपकरण और कर्मचारी उपस्कर का एक सैट, किसी एक स्थान पर।"

5. उक्त नियमों के नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"16-क. यात्री और कर्मीदल स्थान:—(1) वर्ग VI के हर पोत में ऐसे साधित्रों की व्यवस्था होगी जिनसे जल के शक्तिशाली जैट की दिशा यात्री और कर्मीदल स्थानों के किसी भी भाग में क्षिप्रता से स्थिर की जा सके।

(2) हर ऐसे पोत पर ऊपरी डेक के ऊपर हर यात्री स्थान में कम से कम एक सुवाह्य द्रव्य अग्नि शामक की तथा उस डेक के नीचे प्रत्येक कर्मीदल स्थान और यात्री स्थान पर कम से कम दो अग्नि शामकों की की व्यवस्था होगी।

(3) प्रत्येक गैली स्थान (रसोईघर) पर एक सुवाह्य अग्नि शामक की व्यवस्था होगी।

16-ख. स्थौरा स्थान और भंडार-कक्ष—वर्ग VI के हर पोत में ऐसे साधित्रों की व्यवस्था होगी जिनसे जल के शक्तिशाली जैट की दिशा स्थौरा स्थान या भंडार-कक्ष के, जब वह खाली हो, किसी भाग मे क्षिप्रता से स्थिर की जा सके।

16-ग. मशीनरी स्थान, आदि :—(1) वर्ग VI के हर पोत में ऐसे साधित्रों की व्यवस्था होगी जिनसे जल के शक्तिशाली जेट की दिशा बंकर स्थान, बायलर कक्ष और इंजन कक्ष के किसी भाग में क्षिप्रता से स्थिर की जा सके।

(2) वर्ग VI के ऐसे हर पोत में, जिसमें तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन नोदन मशीनरी लगी है, मशीनरी स्थान में कम से कम एक अग्नि शमन बम्बा और एक अग्नि शमन रबर नलिका की ऐसी टोटी के साथ व्यवस्था होगी जो तेल पर जल-फुहार करने के लिये उपयुक्त हो।

16-घ. मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलरों या तेल ईंधन यूनिटों से युक्त पोतों के मशीनरी स्थान :—(1) वर्ग 6 के ऐसे हर पोत जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या तेल ईंधन यूनिट लगी हो, ऐसे स्थान पर, जहां ये चीजें हों, एक पात्र की व्यवस्था की जायेगी जिसमें बालू या अन्य सूखी सामग्री, जो तेल-अग्नि को बुझाने के लिये उपयुक्त हो, पर्याप्त मात्रा में रखी होंगी, पात्र में रखी सामग्री के वितरण के लिये बेलचे रखे जायेंगे।

(2) हर ऐसे पोत के बायलर कक्ष में और उसके हरेक मशीनरी-स्थान में, जिसमें किसी तेल ईंधन यूनिट का कोई भाग हो, दो ऐसे सुवाह्य अग्नि शामकों की व्यवस्था की जायेगी जो झाग, या तेल-अग्नि बुझाने के लिये उपयुक्त कोई अन्य द्रव्य निकाल सकने में समर्थ हो।

(3) एक नियत अग्निशमन संस्थापन होगा जो नियम 19 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(4) हर ऐसे पोत की मशीनरी-स्थान में कम से कम 45 लिटरों की क्षमता वाले दो झाग अग्निशामकों या समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामकों की व्यवस्था की जायेगी।

16ङ—इंजन कक्ष मोटर पोत :—(1) अन्तर्दहन मशीनरी द्वारा नोदित वर्ग VI के हर पोत के हरेक मशीनरी कक्ष में कम से कम निम्नलिखित की व्यवस्था की जायेगी।

(क) 45 लिटरों की क्षमता वाले दो झाग अग्नि शामक या समतुल्य क्षमता वाली एक कार्बन डाइआक्साइड अग्नि शामक।

(ख) उक्त मशीनरी के प्रत्येक 1000 ब्रेक अश्वशक्ति या उसके भाग के लिये एक सुवाह्य झाग अग्नि शामक, किन्तु प्रत्येक दशा में ऐसे कम से कम दो शामक,

परन्तु किसी पोत में ऐसे छह अग्नि शामकों से अधिक की आवश्यकता नहीं होगी ।

(2) (क) 1000 ब्रेक अश्वशक्ति और उससे अधिक की अन्तर्दहन मशीनरी वाले हर मशीनरी-स्थान पर एक नियत अग्नि शामक की व्यवस्था की जायेगी जो नियम 39 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा ।

(ख) 1000 ब्रेक अश्वशक्ति के नीचे के अन्तर्दहन मशीनरी लगे पोत पर, 45 मीटर क्षमता वाले एक झाग शामक या समतुल्य कार्बन डाइ-आक्साइड शामक, की व्यवस्था की जायेगी ।

16-च. अग्नि-पम्प : (1) वर्ग VI के हर पोत में शक्ति द्वारा चालित कम से कम एक अग्नि पम्प की व्यवस्था की जायेगी ।

(2) वर्ग VI के ऐसे पोत में, जिसमें तेल ज्वलित मुख्य या सहायक बायलर या अन्तर्दहन नोदन मशीनरी लगी हो, एक अतिरिक्त अग्नि पम्प की व्यवस्था की जायेगी, जिसके लिये यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह शक्ति चालित हो, और जो स्थायी रूप से नल से संयोजित होगा । ऐसा पम्प और उसके शक्ति का स्रोत, यदि कोई हो, उसी कक्ष में स्थित नहीं होंगे जिसमें उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित पम्प स्थित है, यदि इस उपनियम के अनुपालन में किसी हैंड पम्प की व्यवस्था की गई है, तो वह पूर्ण प्रकार की होगी, अतिरिक्त पम्प के साथ प्रयोग किये जाने के लिये एक समुद्र जल चूषण वाल्व की व्यवस्था की जायेगी और उसे मशीनरी स्थान के बाहर से नियंत्रित किया जा सकेगा ।

16-छ. अन्तर्राष्ट्रीय तट संयोजन—(1) 1000 टन या उससे अधिक के वर्ग VI के हर पोत पर—

(क) प्रथम अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय तट संयोजन ।

पोत के दोनों पार्श्वों में ऐसे संयोजन के प्रयोग के लिये आवश्यक सुविधाओं ;

की व्यवस्था की जायेगी ।

16-ज, फायर मैन उपकरण—1000 टन या उससे अधिक के वर्ग VI के हर पोत पर कम से कम दो फायरमैन उपकरण होंगे, 500 टन या उससे अधिक, लेकिन 1000 टन से कम के हर पोत पर ऐसा एक उपस्कर होगा ।

16-झ—वर्ग VII के पोत : 500 टन या उससे अधिक के वर्ग VII के पोत नियम 16 क से 16 ज 'दोनों को सम्मिलित करते हुए' की अपेक्षाओं का अनुपालन वैसे ही करेंगे जैसे वे वर्ग VI के पोतों को लागू होते हैं ।

16-ञ 500 टन से कम के वर्ग VI के पोत : (1) 500 टन से कम के वर्ग VII के हर पोत पर शक्ति चालित स्वतन्त्र पम्प और समुद्री जल चूषण से संयोजित स्थायी हैंड पम्प, 8 मि०मी० व्यास की टोटी वाली रबर नलिका की जो कम से कम 6 मीटर जल का जेट उत्पन्न करने में समर्थ हो और जिसकी दिशा पोत के किसी भाग पर भाग स्थिर की जा सके, और जल फुहार के लिये टोटी की भी व्यवस्था की जायेगी, हैंड पम्प मशीनरी-स्थानों के बाहर स्थित होगा ।

(2) 500 टन से कम के वर्ग VII के हर पोत पर ऊपरी डेक के ऊपर हरेक यात्री स्थान पर कम से कम एक सुवाह्य अग्नि शामक की और ऊपरी डेक के नीचे के हर यात्री स्थान और कर्मीदल स्थान पर कम से कम दो ऐसे शामकों की व्यवस्था की जायेगी । प्रत्येक गैली स्थान (रसोई घर) में एक सुवाह्य अग्नि शामक रहेगा ।

(3)(i) अन्तर्दहन इंजन द्वारा नोदित 500 टन से कम के वर्ग VII के हर पोत पर मशीनरी स्थान पर झाग निकालने वाला 45 लीटर का का एक शामक और उस दिशा पर स्थिर करने के लिये उचित रबर नलिका या समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामक की व्यवस्था की जायेगी ।

(ii) अन्तर्दहन मशीनरी वाले प्रत्येक मशीनरी-स्थान में कम से कम दो सुवाह्य झाग अग्नि शामकों की व्यवस्था की जायेगी ।

(iii) तेल पर जल की फुहार करने के लिये उपयुक्त, रबर नलिका और टोटी सहित, बम्बे की व्यवस्था की जायेगी ।

(iv) बालू या सूखे पदार्थ की पर्याप्त मात्रा से भरे एक पात्र और एक बेलचे की व्यवस्था की जायेगी ।

6. उक्त नियमों के नियम 21 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(1)(क) वर्ग VIII के हर पोत पर पोत की रजिस्ट्री कृत लंबाई के हर 30 मीटर के लिये एक फायरमैन उपकरण रहेगा जो नियम 54 और चतुर्थ अनुसूची के उपबन्धों का अनुपालन करेगा ।

(ख) ऐसे तीन से अधिक उपकरणों को ले जाने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) असाधारण विशेषताओं वाले पोतों, टैंकरों और रासायनिक वाहकों पर अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होगी ।"

7. उक्त नियमों के नियम 26 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"26-क—500 टन से कम के वर्ग VIII के पोत में स्थोरा स्थान :—

(1) 500 टन से कम के वर्ग viii के हर पोत में ऐसे साधनों की व्यवस्था की जायेगी जिससे कि कम से कम एक जल-जेट पोत के यात्री और कर्मीदल की सामान्य पहुंच में आने वाले भाग में, और किसी भंडार कक्ष तथा स्थोरा स्थानों के किसी भाग में, जब पोत खाली हो तब, पहुंच सके ।

(2) हर पोत में शक्ति चालित कम से कम एक अग्नि-पम्प की व्यवस्था की जायेगी जिससे किसी अग्नि-शामक बम्बे, रबर नलिका और टोटी से, जिस की व्यवस्था पोत पर की गई हो, कम से कम एक जल-जेट का इस्तेमाल हो सके ।

(3) हर पोत में तेल पर पानी की फुहार करने के लिये मशीनरी स्थान में एक अग्निशामक बम्बे, रबर नलिका और टोटी की व्यवस्था की जायेगी ।

(4) ऐसे हर पोत में, जिसमें तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन इंजन लगे हों, उस स्थान से बाहर जहां बायलर या मशीनरी हो किसी स्थान पर एक अतिरिक्त अग्निशामक पम्प की व्यवस्था की जायेगी जिसका अपना निजी शक्ति स्रोत और समुद्र सम्बद्ध होगा । उक्त पम्प शक्ति चालित या हस्त प्रचालित होगा । जहां यह हस्त प्रचालित हो वहां उसे 12 मीटर से अन्यून प्रक्षेप वाले शक्तिशाली जल-जेट प्रक्षेपण में सक्षम होना चाहिये और वह ऐसा हो कि उसकी दिशा पोत के किसी भी भाग पर स्थिर की जा सके ।

(5) ऐसे हर पोत में कम से कम 3 सुवाह्य अग्नि शामकों की व्यवस्था की जायेगी जिन्हें इस प्रकार रखा जायेगा कि वे आवास और सेवा (सर्विस) स्थानों में प्रयोग के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सकें । ऐसा एक शामक गैली (रसोई घर) में लगाया जायेगा ।

(6) हर पोत में—

(क) प्रत्येक बायलर कक्ष में और ऐसे प्रत्येक स्थान पर, जिसमें तेल ईंधन संस्थापन का कोई भाग हो, तेल-अग्नि बुझाने के लिये सक्षम कम से कम दो सुवाह्य अग्नि-शामकों की;

(ख) प्रत्येक आग जलाने वाले स्थान में, बालू या तेल-अग्नि बुझाने के लिये उपयुक्त किसी अन्य सूखी सामग्री से भरे एक पात्र की, और उसके साथ उसके वितरण के लिये एक बेलचे की;

(ग) प्रत्येक ऐसे स्थान में, जहां कोई तेल ज्वलित बायलर, तेल ईंधन निःस्थायी टंकी या तेल ईंधन यूनिट हो, कम से कम 45 लीटर क्षमता के एक शामक की या समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामक की;

(घ) अन्तर्दहन इंजनों द्वारा नोदित हर पोत, मे, मशीनरी स्थानों मे झाग निकालने वाले 45 लीटर के कम से कम एक शामक की और इसकी दिशा स्थिर करने के लिये एक उपयुक्त रबर नलिका की या समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामक की;

(ङ) अन्तर्दहन इंजनों से नोदित हर पोत, से, मशीनरी स्थान में, हर 100 ब्रेक अश्वशक्ति (75 कि० वा०) या उसके, भाग के लिये तेल-अग्नि बुझाने के लिये एक उपयुक्त सुवाह्य अग्नि शामक की;

(च) हर पोत में कम से कम एक फायरमैन उपकरण की, जिसमें वायुनली प्रकार का एक श्वसन उपकरण होगा;

व्यवस्था की जायेगी"

8. उक्त नियमों के नियम 27 से 31 तक (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"27 वर्ग IX के पोत—3000 टन और उससे अधिक के वर्ग IX के पोत—नियम 17 से 26 तक (जिसमें दोनों सम्मिलित है) 3000 टन और उससे अधिक के वर्ग IX के पोतों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे 500 टन और उससे अधिक के वर्ग VIII के पोतों को लागू होते हैं।

28. 1000 टन और उससे अधिक के किन्तु 3000 टन से कम के वर्ग IX के पोत—(1)(क) ये नियम 1000 टन और उससे अधिक के किन्तु 3000 टन से कम के वर्ग IX के पोतों को लागू होंगे।

(ख) हर ऐसे पोत में ऐसे साधित्रों की व्यवस्था की जायेगी, जिससे कि कम से कम 2 शक्तिशाली जल-जेट पोत के यात्री और कर्मीदल की सामान्य पहुंच में आने वाले भाग और किसी और भंडारकक्ष तथा, किसी स्थोरा स्थान तक, जब पोत खाली हो, तब पहुंच सके। उस पर कम से कम तीन अग्नि रबर नलिकाओं और टोटियों की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) हर ऐसे पोत में शक्ति चालित कम से कम दो अग्नि-शामक पम्पों की व्यवस्था की जायेगी, हर ऐसा पम्प किसी अग्नि-शामक बम्बे, रबर नलिका और टोटी से कम से कम एक जल-जेट का इस्तेमाल करने में समर्थ होना चाहिये।

(घ) हर पोत में, जिसमें किसी कक्ष में अग्नि के कारण, उप-पैरा (ख) में दिये गये अग्नि-शामक पम्प बेकार हो सकते हों, कक्ष के बाहर एक ऐसे अतिरिक्त पम्प की व्यवस्था की जायेगी जिसका अपना निजी शक्ति स्रोत और सागर संबंधन हो।

(ङ) हर पोत में पर्याप्त संख्या में सुवाह्य अग्नि-शामकों की व्यवस्था की जायेगी जिससे एक यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे अग्नि-शामकों में से कम से कम एक, आवास और ऐसा सेवा (सर्विस) स्थानों में प्रयोग के लिये तुरन्त उपलब्ध रहे, ऐसे शामकों की संख्या पांच से कम नहीं होगी। प्रत्येक गैली (रसोईघर) या भोजन पकाने के स्थान के प्रवेश द्वार पर कम से कम एक अग्नि-शामक की व्यवस्था की जायेगी।

(च) हर पोत पर दो फायरमैन उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी जो नियम 44 के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे, किसी ऐसे पोत पर रखे गये ऐसे कम से कम एक उपकरण में वायु नली प्रकार का एक श्वसन उपकरण भी होगा।

(2)(क) ऐसे हर पोत में, जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन प्रकार की मशीनरी लगी हो मशीनरी स्थान में एक बम्बे और रबर नलिका तथा तेल पर जल की फुहार करने के लिये उपयुक्त एक टोटी की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) ऐसे हर पोत में, जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर लगे हों प्रत्येक बायलर कक्ष में एक पात्र की, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बालू या तेल अग्नि बुझाने के लिये उपयुक्त अन्य सूखी सामग्री होगी और उन पदार्थों का वितरण करने के लिये एक बेलचे की व्यवस्था की जायेगी। विकल्पतः उसके स्थान पर एक सुवाह्य अग्नि-शामक लगाया जा सकता है।

(ग) अग्नि जलाने के ऐसे प्रत्येक स्थान और कक्ष में, जिसमें पूर्ण तेल ईंधन संस्थापन या उसका भाग हो, कम से कम दो ऐसे सुवाह्य अग्नि-शामकों की व्यवस्था की जायेगी जो तेल अग्नि को बुझाने के लिये उपयुक्त झाग या कोई द्रव्य निकालने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बायलर कक्ष में कम से कम 45 लीटर क्षमता का झाग-शामक या उसके समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामक की व्यवस्था की जायेगी, जहां बायलरों में बर्नरों की संख्या पांच से कम हो वहां, ऊपरी शामक के स्थान पर, बायलर में लगे हर बर्नर के लिये एक सौ लीटर शामक की दर से, सुवाह्य शामक रखे जायेंगे।

(घ) ऐसे हर पोत पर, जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन मशीनरी लगी हो मशीनरी स्थान में एक नियम अग्नि-शामक से स्थापन की व्यवस्था की जायेगी जो नियम 40, 41 और 42 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(ङ) हर पोत में, ऐसे किसी भी स्थान पर, जहां अन्तर्दहन प्रकार की ऐसी मशीनरी लगी हो जिस की कुल शक्ति 500 अश्व-शक्ति से कम न हो, कम से कम 45 लीटर क्षमता के झाग-शामक या उसके समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामक की व्यवस्था की जाएगी।

(च) हर पोत में मशीनरी-स्थान में ऐसी मशीनरी के प्रत्येक 150 ब्रेक अश्वशक्ति या उसके एक भाग के लिए तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त एक सुवाह्य अग्नि-शामक की व्यवस्था की जाएगी, परन्तु ऐसे किसी स्थान पर 3 से अन्यून और 6 से अनधिक ऐसे शामक नहीं लगाये जाएंगे।

29. 500 टन और उससे अधिक किन्तु 1000 टन से कम के वर्ग IX के पोत—(1) यह नियम 500 टन और उससे अधिक किन्तु 1000 टन से कम के पोतों को लागू होता है।

(2) (क) ऐसे हर पोत में ऐसे साधित्रों की व्यवस्था की जाएगी जिनसे कम से कम एक शक्तिशाली जल-जेट की दिशा पोत में कहीं भी क्षिप्रता से स्थिर की जा सके।

(ख) हर पोत में शक्ति द्वारा चालित कम से कम दो अग्नि पम्प होंगे जिनमें से एक मुख्य इंजन द्वारा चालित होगा। हर ऐसा पम्प किसी अग्नि-शामक बम्बे, रबर नलिका और टोटी से कम से कम एक जल-जेट का इस्तेमाल करने में समर्थ होना चाहिए।

(ग) हर पोत में कम से कम चार सुवाह्य अग्नि शामकों की ऐसे स्थान पर व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे आवास और सेवा (सर्विस स्थानों

में प्रयोग के लिए तुरन्त उपलब्ध हो सके। प्रत्येक गैली (रसोईघर) में कम से कम एक अग्नि-शामक लगा होगा।

(घ) हर पोत पर एक फायरमैन उपकरण की व्यवस्था की जाएगी जिसके साथ वायु नली प्रकार के एक श्वसन उपकरण भी होगा।

(3) (क) ऐसे हर पोत में, जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन नोदन मशीनरी लगी हो मशीनरी स्थान में एक पम्प और रबर नलिका तथा तेल पर जल फुहार करने के लिए उपयुक्त एक टोटी की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) हर पोत में ऐसे किसी स्थान के संरक्षण के लिए, जिसमें कोई तेल ज्वलित बायलर या तेल ईंधन यूनिट रखी हो, एक नियत अग्नि बुझाने के संस्थापन की व्यवस्था की जाएगी जो इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(ग) हर बायलर कक्ष और प्रत्येक कक्ष में, जिसमें संपूर्ण तेल ईंधन संस्थापन या उसका भाग हो, तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त कम से कम दो सुवाह्य अग्नि शामकों की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) आग जलाने के हर स्थान में एक ऐसे पात्र की व्यवस्था की जाएगी जिसमें पर्याप्त मात्रा में बालू या तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य सामग्री रखी होगी जिसके साथ उस पदार्थ के वितरण के लिए बेलचा भी होगा। विकल्पत: तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त एक सुवाह्य अग्नि-शामक की व्यवस्था की जाएगी।

(4) ऐसे हर पोत पर, जिसमें अन्तर्दहन नोदन मशीनरी लगी हो, मशीनरी स्थान पर:—

(क) कम से कम 45 लीटर क्षमता का अग्नि-शामक या उसके समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामक।

(ख) तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त कम से कम दो सुवाह्य शामकों;

(ग) एक ऐसे पात्र की, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बालू या तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य सूखी सामग्री रखी हो, और उस के साथ पात्र के पदार्थों के वितरण के लिए एक बेलचे;

(घ) हर 150 ब्रेक अश्वशक्ति या उसके एक भाग के लिए एक की दर से तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त सुवाह्य अग्नि-शामकों की व्यवस्था की जाएगी।

परन्तु ऐसे 3 से अन्यून किन्तु 6 से अनधिक शामकों को लगाया जाना चाहिए।

30. **500 टन से कम के वर्ग IX के पोत**:—(1) यह नियम 500 टन से कम के वर्ग IX के पोतों को लागू होता है।

(2) ऐसे हर पोत में, जिस को यह नियम लागू होता है:—

(क) एक पम्प, जिससे पोत के किसी भाग में एक शक्तिशाली जल-जेट की दिशा स्थिर की जा सके;

(ख) 3 सुवाह्य अग्नि शामकों;

(ग) 3 अग्नि बाल्टियों;

(घ) 2 अग्नि शामक रबर नलिकाओं और टोटियों;

(च) फायरमैन को एक कुल्हाड़ी; की व्यवस्था की जाएगी।

(3) ऐसे हर पोत में, जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन मशीनरी लगी हो, निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी,:—

(क) एक पात्र जिसमें, पर्याप्त मात्रा में बालू या तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य सामग्री रखी हो तथा उस पात्र के पदार्थों के वितरण के लिए एक बेलचा;

(ख) कम से कम 45 लीटर क्षमता का झाग अग्नि शामक या उसके समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामक।

(ग) तेल-अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त झाग या अन्य द्रव्य निकालने में सक्षम कम से कम दो सुवाह्य अग्नि शामक;

(घ) जहां उप-नियम (2) में दिया गया पम्प मशीनरी स्थान में स्थित हो वहां मशीनरी स्थान के बाहर एक हस्त चालित पम्प, जिसका अपना निजी स्थायी समुद्र संबंध न हो और जो कम से कम 6 मीटर जल-जेट के प्रक्षेपण में समर्थ हो।

(च) तेल पर जल की फुहार करने के लिए एक टोटी;

(छ) अन्तर्दहन मशीनरी द्वारा नोदित हर पोत में मशीनरी स्थान पर इंजिन के प्रत्येक 150 ब्रेक अश्वशक्ति के लिए तेल अग्नि के लिए उपयुक्त एक सुवाह्य अग्नि शामक,

परन्तु ऐसे 2 से अन्यून और 4 से अनधिक शामकों को लगाया जाना चाहिए।

31. **3000 टन और उससे अधिक के वर्ग X के पोत**:—नियम 30, 3000 टन और उससे अधिक के वर्ग X के पोतों को वैसे ही लागू होता है जैसे वह 1000 टन और उससे अधिक के वर्ग IX के पोतों को लागू होता है।

31. क. **1000 टन और उससे अधिक किन्तु 3000 टन से कम के पोत**:—(1) यह नियम, 1000 टन और उससे अधिक किन्तु 3000 टन से कम के वर्ग X के पोतों को लागू होता है।

(2) (क) ऐसे हर पोत में ऐसे साधित्रों की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि कम से कम दो शक्तिशाली जल-जेट पोत के यात्री और कर्मीदल की सामान्य पहुंच में आने वाले भाग में और किसी भण्डार कक्ष या स्थोरा स्थान तक, जब वह खाली हो, जल पहुंच सके उस पर कम से कम 3 अग्नि रबर नलिकाओं और टोंटियों की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) हर पोत में शक्ति चालित कम से कम दो अग्नि शामक पम्पों की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक ऐसा पम्प किसी अग्नि-शामक बम्बे, रबर नलिका और टोटी से कम से कम एक जल-जेट का इस्तेमाल करने में समर्थ होना चाहिए।

(ग) हर पोत में पर्याप्त संख्या में सुवाह्य अग्नि शामकों की व्यवस्था की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे शामकों में से कम से कम एक आवास और सेवा (सर्विस) स्थानों में प्रयोग के लिए तुरन्त उपलब्ध रहे। ऐसे शामकों की संख्या 5 से कम नहीं होगी। हर गैली (रसोईघर) या भोजन पकाने के स्थान के प्रवेश द्वार पर एक शामक की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) हर पोत पर दो फायर मैन-उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी जो नियम 44 के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे। किसी ऐसे पोत पर रखे गए ऐसे कम से कम एक उपकरण में वायु-नली प्रकार का एक श्वसन उपकरण भी होगा।

(3) (क) ऐसे हर पोत में, जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन मशीनरी नोदन लगी हो, मशीनरी स्थान में एक नियत अग्नि-शामक संस्थापन की व्यवस्था की जाएगी जो नियम 41 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

(ख) ऐसे हर पोत में, जिसे यह नियम लागू होता है, ऐसे किसी स्थान पर, जहां 500 ब्रेक अश्वशक्ति से अन्यून कुल शक्ति की अन्तर्दहन प्रकार की मशीनरी लगी हो, कम से कम 45 लीटर क्षमता का एक झाग शामक अथवा उसके समतुल्य एक कार्बन डाइआक्साइड शामक की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) हर पोत में मशीनरी स्थान में प्रत्येक 150 ब्रेक अश्वशक्ति या उसके भाग के लिए एक ऐसे सुवाह्य अग्नि-शामक की व्यवस्था की जाएगी, जो तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त हो:—

परन्तु ऐसे किसी स्थान में 3 से अन्यून और 6 से अनधिक ऐसे शामक लगाये जाने चाहिए।

(घ) ऐसे हर पोत में, जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन प्रकार की मशीनरी लगी हो मशीनरी स्थान में एक बम्बे और रबर-नलिका और तेल पर जल फुहार करने के लिए उपयुक्त एक टोंटी की व्यवस्था की जाएगी।

(ङ) ऐसे हर पोत में, जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर लगे हों, प्रत्येक बायलर कक्ष में एक ऐसे पात्र की, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बालू या तेल-अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य सूखी सामग्री रखी हो, और उसमें रखे पदार्थों के वितरण के लिए एक बेलचे की व्यवस्था की जाएगी। विकल्पतः उसके स्थान पर एक सुवाह्य अग्नि-शामक लगाया जाएगा।

(च) ऐसे प्रत्येक अग्नि जलाने वाले स्थान या कक्ष में, जिसमें सम्पूर्ण तेल ईंधन संस्थापन या उसका भाग हो, कम से कम दो ऐसे सुवाह्य अग्नि-शामकों की व्यवस्था की जाएगी जो आग या तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त किसी द्रव्य को निकालने में समर्थ हो। उसके अतिरिक्त बायलर में लगे प्रत्येक बर्नर के लिए 9 लीटर क्षमता वाले एक सुवाह्य शामक की व्यवस्था की जाएगी।

परन्तु जहां बर्नरों की संख्या पांच से अधिक हो वहां कम से कम 45 लीटर क्षमता वाला एक झाग शामक या उसके समतुल्य कार्बन डाइ-आक्साइड शामक की व्यवस्था करना पर्याप्त होगा।

31. ख. 500 टन और उससे अधिक के किन्तु 1000 टन से कम के वर्ग X के पोत :—(1) यह नियम, 500 टन और उससे अधिक के किन्तु 1000 टन से कम के वर्ग X के पोतों को लागू होता है।

(2) (क) हर पोत पर ऐसे साधित्रों की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि पोत के किसी भी भाग में कम से कम एक शक्ति जल-जेट की दिशा स्थिर की जा सके।

(ख) हर पोत में कम से कम दो शक्ति चालित अग्नि-शामक पम्पों की व्यवस्था की जाएगी जिसमें से एक मुख्य इंजन से चालित किया जा सकेगा।

प्रत्येक पम्प किसी अग्नि-शामक बम्बे, रबर नालिका और टोंटी से कम से कम एक जल-जेट का इस्तेमाल करने में समर्थ होना चाहिए।

(ग) ऐसे हर पोत में जिसे यह नियम लागू होता है, कम से कम चार सुवाह्य अग्नि शामकों की ऐसे स्थान पर व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे आवास और सेवा (सर्विस) स्थानों में प्रयोग के लिए तुरन्त उपलब्ध रहें। प्रत्येक गैली (रसोई घर) या भोजन पकाने के स्थान के प्रवेश द्वार पर एक शामक लगाया जाएगा।

(घ) ऐसे हर पोत पर, जिसे यह नियम लागू होता है, एक फायर-मैन उपकरण की व्यवस्था की जाएगी जिसके साथ वायु-नली प्रकार का श्वसन उपकरण होगा।

(3) ऐसे हर पोत में जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन मशीनरी लगी हो, मशीनरी स्थान में, एक खम्भा रबर नलिका और तेल पर जल फुहार करने के लिए उपयुक्त एक टोंटी की व्यवस्था की जाएगी।

(4) (क) हर पोत में ऐसे किसी स्थान के संरक्षण के लिए, जिसमें तेल ज्वलित बायलर या तेल ईंधन यूनिट हो, रबर नलिका और टोंटियों सहित दो 45 लीटर झाग के अग्नि-शामकों की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) हर बायलर कक्ष और प्रत्येक कक्ष में जिसमें संपूर्ण तेल ईंधन संस्थापन या उसका भाग हो, तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त कम से कम दो सुवाह्य अग्नि-शामकों की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) हर आग जलाने के स्थान में एक ऐसे पात्र की व्यवस्था की जाएगी जिसमें पर्याप्त मात्रा में बालू या तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य सामग्री हो और उसके साथ उसके पदार्थों के वितरण के लिए एक बेलचे की भी व्यवस्था की जाएगी, विकल्पतः उस के स्थान पर तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त एक सुवाह्य अग्नि-शामक की व्यवस्था की जाएगी।

(5) (क) ऐसे हर पोत में, जिसमें अन्तर्दहन नोदन मशीनरी लगी हो, मशीनरी स्थान में कम से कम 45 लीटर क्षमता के अग्नि-शामक, की, या उसके समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामक की;

(ख) तेल-अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त कम से कम दो सुवाह्य शामकों की;

(ग) एक ऐसे पात्र की, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बालू या तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य सूखी सामग्री रखी हो और उसके साथ उस पात्र के पदार्थों के वितरण के लिए एक बेलचे की;

(घ) शक्ति के हर 150 ब्रेक अश्वशक्ति के लिए एक की दर से तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त सुवाह्य अग्नि-शामकों की; व्यवस्था की जाएगी;

परन्तु ऐसे 3 से अन्यून किन्तु 6 से अनधिक शामकों को लगाया जाना चाहिए।

31. ग. 500 टन से कम के वर्ग X के पोत :—(1) यह नियम 500 टन से कम वर्ग X के पोतों को लागू होता है।

(2) ऐसे हर पोत में जिससे यह नियम लागू होता है :—

(क) एक पम्प जिससे पोत के किसी भाग में शक्तिशाली जल-जेट की दिशा स्थिर की जा सके;

(ख) तीन सुवाह्य अग्नि शामकों;

(ग) तीन अग्नि शामक बाल्टियों;

(घ) दो अग्नि शामक रबर-नलिकाओं और टोंटियों,

(ङ) फायरमैन को एक कुल्हाड़ी ; की व्यवस्था की जाएगी।

(3) ऐसे हर पोत में जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन मशीनरी लगी हो, निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी :—

(क) एक ऐसा पात्र; जिसमें पर्याप्त मात्रा में बालू या तेल-अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य सामग्री रखी हो, और साथ में उस पात्र के पदार्थों के वितरण के लिए एक बेलचा;

(ख) कम से कम 45 लीटर क्षमता का एक झाग अग्नि-शामक या उसके समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामक;

(ग) कम से कम दो सुवाह्य अग्नि-शामक, जो उपयुक्त झाग या तेल अग्नि बुझाने के लिए अन्य द्रव्य निकालने में समर्थ हो।

(घ) जहां मशीनरी-स्थान पर ऐसा पम्प हो जिसकी व्यवस्था उप-नियम (2) (क) के अनुसार की गई हो वहां; एक सुवाह्य डीजल इंजन चालित पम्प या हस्त चालित पम्प, जिसका अपना निजी सागर संबंधन हो जो मशीनरी स्थान के बाहर कम से कम 6 मीटर जल-जेट का प्रक्षेपण करने में समर्थ हो;

(ङ) तेल पर जल की फुहार करने के लिए एक टोंटी;

(च) प्रत्येक 150 ब्रेक अश्वशक्ति के लिए एक की दर से, तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त सुवाह्य अग्नि-शामक, परन्तु 2 से अन्यून किन्तु 4 से अनधिक शामकों को लगाया जाना चाहिए।

31. घ. वर्ग XI के पोत-500 टन और उससे अधिक के पोत :—

(1) यह नियम 500 टन और उससे अधिक के पोतों को लागू होता है।

(2) नियम 31 ख 500 टन और उससे अधिक के वर्ग XI के पोतों को वैसे ही लागू होगा जैसे वह 500 टन और उससे अधिक लेकिन 1000 टन से कम के वर्ग X के पोतों को लागू होता है।

31. ङ 150 टन और उससे अधिक किन्तु 500 टन से कम के वर्ग XI के पोत :—(1) यह नियम 150 टन और उससे अधिक किन्तु 500 टन से कम के वर्ग XI के पोतों को लागू होता है।

(2) (क) ऐसे हर पोत में कम से कम एक अग्नि शामक पम्प और टोंटी सहित अग्नि शामक रबर नलिका की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि पोत के किसी भी भाग पर एक शक्तिशाली जल-जेट की दिशा स्थिर की जा सके;

(ख) जहां ऐसा पम्प, जिसकी व्यवस्था खण्ड (क) के अनुसार की गई है, ऐसे स्थानों के भीतर स्थित है, जहां तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन मशीनरी हो वहां, ऐसे स्थान के बाहर एक सुवाह्य डीजल चालित पम्प या हस्तचालित पम्प की रबर नलिका, और ऐसी टोंटी के साथ व्यवस्था की जाएगी जो 6 मीटर से अन्यून प्रक्षेप के जल-जेट का प्रक्षेपण करने में समर्थ हो।

(ग) ऐसे हर पोत में आवास और सेवा (सर्विस) स्थानों के संरक्षण के लिए कम से कम तीन सुवाह्य अग्नि शामकों की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) ऐसे हर पोत में तीन अग्निशामक बाल्टियों की व्यवस्था की जाएगी।

(3) (क) ऐसे हर पोत में, जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन नोदन मशीनरी लगी हो, उपनियम 2(क) में उल्लिखित अग्नि शामक रबर नलिका सहित तेल पर जल फुहार करने के लिए उपयुक्त एक टोंटी की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) ऐसे हर पोत में, जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन नोदन मशीनरी लगी हों, एक पात्र की, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बालू या तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य सूखी सामग्री रखी होगी, और उस पात्र के पदार्थों का वितरण करने के लिए एक बेलचे की व्यवस्था की जाएगी;

(ग) ऐसे हर बॉयलर कक्ष या स्थान पर, जिसमें तेल ईंधन संस्थापन का कोई भाग हो, तेल अग्नि बुझाने के लिए कम से कम दो सुवाह्य अग्नि शामकों की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) हर मशीनरी-स्थान में कम से कम 15 लीटर क्षमता का एक भाग शामक या उसके समतुल्य कार्बन डाइआक्साइड शामक की व्यवस्था की जाएगी।

(ङ) तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त झाग या अन्य किसी द्रव्य को निकालने में समर्थ कम से कम दो सुवाह्य शामकों की व्यवस्था की जाएगी।

31. च. 150 टन से कम के पोत :—(1) यह नियम 150 टन से कम के वर्ग XI के पोतों को लागू होता है।

(2) 150 टन से कम के वर्ग XI के हर पोत में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी :—

(क) एक अग्नि शामक पम्प और अग्नि शामक रबर नलिका और टोंटी जिससे कि शक्तिशाली जल-जेट की दिशा पोत के किसी भी भाग पर स्थिर की जा सके। ऊपर अपेक्षित अग्निशामक पम्प मुख्य इंजन द्वारा चलाया जा सकता है जहां यह मुख्य इंजन द्वारा चालित हो वहां मशीनरी स्थान के बाहर एक ऐसे उपयुक्त हस्तचालित पम्प की, जिसका अपना सागर संबंध न हो, और रबर नलिका और ऐसी टोंटी की व्यवस्था की जाएगी जो 6 मीटर से अन्यून प्रक्षेप वाला जल-जेट उत्पन्न करने मे समर्थ हो। इसके अतिरिक्त तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त जल फुहार करने के लिए एक टोंटी की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) कम से कम दो अग्नि शामक बाल्टियों और फायरमैन की एक कुल्हाड़ी की व्यवस्था की जाएगी।

(3) ऐसे हर पोत में जिसमें मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन नोदन मशीनरी लगी हो :—

(क) एक पात्र, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बालू या तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य सूखी सामग्री रखी हो, और साथ में उस पात्र के पदार्थ के वितरण के लिए एक बेलचे की,

(ख) तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त झाग या अन्य द्रव्य निकालने म समर्थ कम से कम 4 सुवाह्य अग्नि शामकों की व्यवस्था की जाएगी।

31 छ. वर्ग XII के पोत-1000 टन और उससे अधिक के वर्ग XII के पोत :—नियम 31क, 1000 टन और उससे अधिक के वर्ग XII के पोतों को वैसे ही लागू होगा जैसे वह 1000 टन और उससे अधिक के किन्तु 3000 टन से कम के वर्ग X के पोतों को लागू होता है।

31. ज. 500 टन और उससे अधिक के किन्तु 1000 टन से कम के वर्ग XII के पोत :—नियम 31 ख 500 टन और उससे अधिक के किन्तु 1000 टन से कम के वर्ग XII के पोतों को वैसे ही लागू होगा जैसे यह 500 टन और उससे अधिक के किन्तु 1000 टन से कम के वर्ग X के पोतों को लागू होता है।

31. झ. 150 टन और उससे अधिक के किन्तु 500 टन से कम के वर्ग XII के पोत :—नियम 31 ङ 150 टन और उससे अधिक के किन्तु 500 टन से कम के वर्ग XII के पोतों को वसे ही लागू होगा जैसे वह वर्ग XI के पोतों को लागू होता है।

31. ञ. 150 टन से कम के वर्ग XII के पोत :—नियम 31 च के उपबन्ध 150 टन से कम के वर्ग XII के पोतों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे 150 टन से कम के वर्ग XI के पोतों को लागू होते हैं।

31. ट वर्ग XIII के पोत—स्थोरा और आवास स्थान :—(1) वर्ग XIII के हर पोत में अग्नि शामक पम्पों की निम्नलिखित रूप में व्यवस्था की जाएगी—(क) 45 मीटर से कम लम्बे पोतों में एक अनाश्रित शक्ति पम्प की व्यवस्था की जाएगी। विकल्पतः शक्ति पम्प को मुख्य इंजन द्वारा चालित किया जा सकेगा किन्तु ऐसी दशा में एक हस्तचालित पम्प की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) 45 मीटर और उससे अधिक के किन्तु 60 मीटर से कम लम्बे पोतों में एक अनाश्रित शक्ति पम्प की व्यवस्था की जाएगी;

(ग) 60 मीटर और उससे अधिक लम्बे पोतों में दो अनाश्रित शक्ति पम्पों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) जहां अग्नि शामक पम्प मुख्य नोदन मशीनरी द्वारा चालित हो वहां मुख्य मशीनरी ऐसी होनी चाहिए जिसे नोदक शैफ्टिंग से तुरन्त वियोजित किया जा सके। यह बात ऐसे जलयान के लिए आवश्यक नहीं है जिसमें ऐसे पिच नोदन लगे हों जिन पर नियंत्रण रखा जा सकता हो।

(3) जहां हस्तचालित पम्पों की व्यवस्था की गई हो वहां पम्प, समुद्र चूषण वाल्व और चूषण नली मशीनरी स्थान के बाहर स्थित होंगी।

(4) (क) 60 मीटर के और उससे अधिक लम्बे पोतों में, जहां किसी एक कक्ष में की अग्नि ऊपर अपेक्षित शक्ति चालित पम्पों को बेकार कर सकती हो वहां एक आपाती अग्नि शामक पम्प लगाया जाएगा।

(ख) 60 मीटर से कम लम्बे पोतों में आपाती पम्प हस्तचालित पम्प हो सकता है।

(ग) हर आपाती अग्नि शामक पम्प, समुद्र चूषण वाल्व, नल और अन्य फिटिंग के, मशीनरी कक्ष के बाहर स्थित होंगे।

(5) 60 मीटर लम्बे हर पोत में एक अन्तर्राष्ट्रीय तट संबंध न लगा होगा जो प्रथम अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(6) अग्नि शामक बम्बा ऐसे स्थान पर स्थित होगा कि अग्निशामक रबर नलिकाओं को उससे आसानी और शीघ्रता से जोड़ा जा सके ताकि 45 मीटर से कम लम्बे पोतों में एक जल-जेट, और 45 मीटर और उससे अधिक लम्बे पोतों में एक साथ दो जल-जेटों की दिशा पोत के किसी ऐसे भाग पर स्थित की जा सके जहां नौचालन के दौरान सामान्यतया पहुंचाया जा सकता हो। जहां केवल एक बम्बे की व्यवस्था की गई हो वहां वह ऐसे स्थान पर स्थित होगा जिससे कि ऐसा न हो कि किसी बन्द स्थान में आग लगने के समय उस तक न पहुंचा जा सके।

(7) (क) पर्याप्त संख्या में सुवाह्य अग्नि शामकों की एक व्यवस्था की जाएगी जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम एक अग्नि शामक आवास, सर्विस स्थानों और नियंत्रण स्टेशनों के किसी भी भाग में उपयोग के लिए तुरन्त उपलब्ध रहे। लम्बाई में 45 मीटर से कम लम्बे पोतों में कम से कम तीन अग्नि शामकों की और 45 मीटर से अधिक लम्बे पोतों में कम से कम तीन पांच शामकों की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) प्रत्येक गैली या रसोई पकाने के स्थान के प्रवेश द्वार पर कम से कम एक अग्नि शामक की व्यवस्था की जाएगी।

(8) 45 मीटर और उससे अधिक लम्बे पोतों में ऐसे दो फायरमैन उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी जिनसे इन नियमों के उपबन्धों का अनुपालन होता हो।

(9) हर पोत पर फायरमैन की कम से कम एक कुल्हाड़ी होगी।

(10) (क) 45 मीटर और उससे अधिक लम्बे हर पोत में जहां मुख्य या सहायक तेल ज्वलित बायलर स्थित हो या उन स्थानों में जहां तेल ईंधन यूनिटें या निसादन टंकियां स्थित हों, एक नियत अग्नि शामक संस्थापन की व्यवस्था की जाएगी जो इन नियमों का अनुपालन करता हो।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रत्येक बायलर कक्ष में और प्रत्येक ऐसे स्थान में जहां किसी तेल ईंधन संस्थापन का कोई भाग हो, तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त कम से कम दो सुवाह्य अग्नि शामकों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त बायलर के प्रत्येक बर्नर के लिए एक शामक की व्यवस्था की जाएगी : सात से अधिक शामकों की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) आग जलाने के प्रत्येक स्थान में एक ऐसे पात्र की, जिसमें बालू या तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त अन्य सूखी सामग्री हो और साथ ही उस के वितरण के लिए एक बेलचे की, या विकल्पतः तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त एक अतिरिक्त सुवाह्य अग्नि शामक की, व्यवस्था की जाएगी।

11. (क) जहां 1000 ब्रेक अश्वशक्ति से अन्यून कुल शक्ति की अन्तर्दहन प्रकार की मशीनरी का प्रयोग मुख्य नोदन या सहायक प्रयोजनों के लिए होता हो वहां 45 मीटर और उससे अधिक लम्बे हर जलयान में एक ऐसे अग्नि शामक संस्थापन की व्यवस्था की जाएगी जिनसे इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन होता हो।

(ख) हर मशीनरी स्थान में 45 लीटर क्षमता से अन्यून या उसके समतुल्य एक झाग किस्म के शामक की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) प्रत्येक 100 ब्रेक अश्वशक्ति या उसके भाग के लिए एक अनुमोदित सुवाह्य झाग शामक की व्यवस्था की जाएगी ऐसे दो से अन्यून किन्तु 6 से अनधिक शामकों को लगाया जाना चाहिए।

(घ) ऐसे पोतों में जो मुख्यतः काष्ठ या कांच प्रबलित प्लास्टिक से बने हों और जिनमें तेल ज्वलित बायलर या अन्तर्दहन मशीनरी लगी हो और मशीनरी स्थान तक के सारे रास्ते पर डेक हो, एक नियत आग बुझाने की प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। मशीनरी के नीचे और जहां कहीं आवश्यक हो वहां निगल (बिलय) में तेल का क्षरण रोकने के लिये क्षरण पात्र (ड्रिप ट्रे) लगाये जाएंगे।

(ङ) कुल 1000 ब्रेक अश्वशक्ति से कम शक्ति वाले पोतों में तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त कम से कम 45 लीटर के झाग शामक या समतुल्य शामक की व्यवस्था की जाएगी।

31. ठ. वर्ग XIV के पोत :—(1) यह नियम 150 टन और उससे अधिक के किन्तु 500 टन से कम के पोतों को लागू होता है।

(2) नियम 31 छ के उपबन्ध 150 टन और उससे अधिक के किन्तु 500 टन से कम के पोतों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे 150 टन और उससे अधिक के किन्तु 500 टन से कम के वर्ग XI के पोतों को लागू होते हैं।

(3) नियम 31च के उपबन्ध, 150 टन से कम के पोतों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे 150 टन से कम के वर्ग XI के पोतों को लागू होते हैं।

31. ड. वर्ग XV के पोत :—(1) नियम 31ङ 150 टन और उससे अधिक के वर्ग XV के पोतों को वैसे ही लागू होगा जैसे वह 150 टन और उससे अधिक के किन्तु 500 टन से कम के वर्ग XI के पोतों को लागू होता है।

(2) (क) 150 टन से कम के और 24 मीटर या उससे अधिक लम्बे वर्ग XV के हर पोत में ऐसे साधित्रों की व्यवस्था की जाएगी जिनसे कि कम से कम एक जल-जेट पोत के ऐसे किसी भाग में, जहां तक यात्री या कर्मीदल साधारणतया पहुंच सकते हों और किसी भण्डार गृह और किसी स्थोरा स्थल के किसी भाग में, जब वह खाली हो, तब पहुंच सके।

(ख) ऐसे हर पोत में कम से कम एक ऐसे शक्ति चालित अग्नि शामक पम्प की व्यवस्था की जाएगी जो मुख्य इंजन द्वारा चलाया जा सके।

(ग) ऐसे हर पोत में जिसमें अन्तर्दहन नोदन मशीनरी लगी हो, यदि उपरोक्त पम्प और उसका शक्ति स्रोत मशीनरी स्थान के बाहर स्थित नहीं है तो, मशीनरी स्थान के बाहर एक अतिरिक्त अग्नि शामक पम्प की व्यवस्था की जाएगी जिसका अपना शक्ति-स्रोत और सागर संबंध न होगा। यह पम्प हस्तचालित या डीजल चालित सुवाह्य हो सकता है और उस पर 8 मीटर व्यास की टोटी की व्यवस्था की जाएगी और वह कम से कम 6 मीटर का जल-जेट उत्पन्न करने से सक्षम होगा। हर पोत में अग्नि शामक रबर नलिका के साथ प्रयोग में लाए जाने के लिए एक फुहार टोटी की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) 150 टन से कम के और 24 मीटर से कम लम्बे वर्ग XV के हर पोत में मशीनरी स्थान के बाहर किसी स्थिति में एक हस्तचालित पम्प की और एक स्थायी समुद्र संबंधन की और कम से कम 6 मि० मीटर व्यास की ऐसी टोटी सहित एक अग्नि शामक रबर नलिका की

व्यवस्था की जाएगी जो कम से कम 6 मीटर तक की प्रक्षेपण करने वाला एक जल-जेट उत्पन्न कर सके। इसके अतिरिक्त एक फुहार टोटी की भी व्यवस्था की जाएगी।

(ङ) 150 टन के नीचे के वर्ग XV के हर पोत में निम्नलिखित मापमान के अनुसार सुवाह्य शामकों या अग्नि शामक बाल्टियों की व्यवस्था की जाएगी।

पोत की लम्बाई मीटरों में	शामकों या बाल्टियों की न्यूनतम संख्या
24 मी० से कम	2
24 मी० से अथवा उससे अधिक	3

जहां अग्नि शामक बाल्टियों की व्यवस्था की गई हो वहां कम से कम एक लैनयार्ड के साथ लगी होगी।

(च) 150 टन से कम के हर पोत में मशीनरी स्थान पर, तेल अग्नि बुझाने के लिए उपयुक्त, दो सुवाह्य अग्नि शामकों की व्यवस्था की जाएगी।

(ज) 150 टन से कम के हर पोत में जो 24 मी० या उससे अधिक लंबा और पूरे डेक की जलयान हो एक फायर-मैन की कुल्हाड़ी की व्यवस्था की जाएगी।

9. उक्त नियमों की चतुर्थ अनुसूची में पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरे अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"2. क. हर फायरमैन उपकरण के साथ निम्नलिखित कार्मिक उपकरण होंगे; अर्थात् :—

(i) संरक्षक वस्त्र, जो अग्नि से विकरणकारी ताप और जलन-व्रण तथा वाष्प-वहन से त्वचा की रक्षा करने वाले पदार्थ का हो। उसकी बाहरी सतह जल रोधी होनी चाहिए।

(ii) रबड़ या अन्य विद्युत असंवाहक पदार्थ के बूट और दस्ताने।

(iii) संघट्टन से प्रभावकर संरक्षण देने वाला हेल्मेट।

(iv) कम से कम 3 घंटे तक जल सकने वाला अनुमोदित प्रकार का विद्युत सुरक्षा लैंप।

(v) कुल्हाड़ी जिस में रोधी हत्था लगा हो।"

[सं० 5-एम०एस०आर०(2)/74-एम०ए०/नौ० 4-1]

श्रीमती बी० निर्मल, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 27th August, 1977

(MERCHANT SHIPPING)

G.S.R. 1223.—In exercise of the powers conferred by section 289 read with clause (b) of sub-section (2) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Merchant Shipping (Fire Appliances) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Fire Appliances) Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Merchant Shipping (Fire Appliances) Rules, 1969, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Classification of ships.—For the purposes of these rules, ships shall be classified as follows, namely :—

Class I.—Passenger ships engaged on international voyages other than the ships of Class III.

Class II.—Passenger ships engaged on short international voyages other than the ships of Class IV.

Class III.—Special Trade Passenger ships engaged on international voyages.

Class IV.—Special Trade Passenger ships engaged on short international voyages.

Class V.—Special Trade Passenger ships (other than the ships of Class VI and Class VII) engaged on voyages other than international voyages.

Class VI.—Special Trade Passenger ships engaged on voyages in the coasting trade of India during the course of which they do not go more than 20 miles from the nearest land.

Class VII.—Special Trade Passenger ships engaged on voyages in fair weather season between ports in India during the course of which they do not go more than 5 miles from the nearest land.

Class VIII.—Cargo ships engaged on international voyages.

Class IX.—Cargo ships (other than the ships of Class X) engaged on voyages other than international voyages.

Class X.—Cargo ships engaged on the coasting trade of India (other than the ships of Class IX) during the course of which they do not go more than 20 miles from the nearest land.

Class XI.—Cargo ships engaged on voyages during the fair weather season between ports in India during the course of which they do not go more than 5 miles from the nearest land.

Class XII.—Tugs tenders, launches, lighters, dredgers, barges and hopers which go to sea.

Class XIII.—Fishing vessels other than those of Class XIV.

Class XIV.—Sailing Vessels including sailing fishing vessels.

Class XV.—Pleasure Yachts.

Explanation.—A ship of Class VI, or as the case may be, of Class X shall not cease to be a ship of the respective class merely for the rason that during its voyage it crosses the Gulf of Kutch, Cambay and Mannar."

3. For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"12. Water pipes, Hydrants and fire hoses.—Every ship of Class I shall be provided with such number of water service pipes, hydrants and hoses as in the opinion of the Central Government, would be adequate for maintaining supply of water for rapid and simultaneous operation of atleast two fire hoses, not emanating from the same hydrant, for the projection of two powerful jets of water capable of reaching any part of the ship accessible to passengers and crew while the ship is en-route."

4. For rule 14 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"14. Firemen's outfit.—Every ship of Class I shall carry,—

(a) (1) 2 firemen's outfit; and in addition

(2) for every 80 metres or part thereof the aggregate of the length of all passenger spaces and service spaces on the deck which carries such spaces or if there is more than one such deck, on the deck which has a largest aggregate of such lengths, two firemen's outfit and two sets of personnel equipment;

(b) for each firemen's outfit which includes a self-contained breathing apparatus, one spare charge for each such apparatus;

(c) fireman's outfit and sets of personnel equipment in widely separate positions ready for use at all times atleast two firemen's outfit and one set of personnel equipment at any one position."

5. After rule 16 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"16A. Passenger and Crew Spaces.—(1) Every ship of Class VI shall be provided with appliances whereby a powerful jet of water can be rapidly directed upon any part of the passenger and crew spaces.

(2) Every such ship shall be provided with atleast one portable fluid fire extinguisher in each of the passenger spaces above the upper deck and with atleast two extinguisher in each of the crew spaces and passengers spaces below that deck.

(3) There shall be provided one portable fire extinguisher in each galley space.

16B. Cargo Spaces and Store Rooms.—Every ship of Class VI shall be provided with appliances whereby a powerful jet of water can be rapidly directed into any part of any cargo space or store room when empty.

16C. Machinery Spaces, etc.—(1) Every ship of Class VI shall be provided with appliances whereby a powerful jet of water can be rapidly directed into any part of the bunker spaces, boiler rooms and engine rooms.

(2) Every ship of Class VI fitted with oil-fired boilers or internal combustion propelling machinery shall be provided in the machinery spaces with atleast one fire hydrant and fire hose with a nozzle suitable for spraying water on oil.

16D. Machinery Spaces of Ships fitted with main or auxiliary oil-fired boilers or oil fuel units.—(1) Every ship of Class VI fitted with main or auxiliary oil fired boilers or oil fuel units shall be provided in the space containing these a receptacle which shall contain an adequate quantity of sand, or other dry material suitable for quenching oil fires. Scoops shall be provided for distributing the contents of the receptacle.

(2) Two portable fire extinguishers, capable of discharging froth or another substance suitable for quenching oil fires, shall be provided in the boiler room of every such ship and in each machinery space therein which contains any part of any oil fuel unit.

(3) A fixed fire extinguishing installation complying with the provisions of rule 39.

(4) Two foam fire extinguishers of atleast 45 litres capacity shall be provided in the machinery space of every such ship or equivalent carbon dioxide extinguishers.

16E. Engine rooms : Motor Ships.—(1) Every ship of Class VI propelled by internal combustion machinery shall be provided in each machinery compartment with atleast :—

(a) two foam fire extinguisher of atleast 45 litres capacity or a carbon dioxide fire extinguisher of equivalent capacity;

(b) one portable foam fire extinguisher for each 1000 B.H.P. or fraction thereof of the said machinery, but in no event less than 2 such extinguishers :

Provided that not more than 6 such extinguishers shall be required in any ship.

(2) (a) In every machinery space containing internal combustion machinery of 1000 BHP and above there shall be provided a fixed fire extinguishing system complying with the provisions of rule 39.

(b) In ships fitted with internal combustion machinery below 1000 BHP a foam extinguisher of 45 litres capacity or an equivalent carbon dioxide extinguisher shall be provided.

16F. Fire Pumps.—(1) Every ship of Class VI shall be provided with atleast one fire pump operated by power.

(2) Every ship of Class VI fitted with oil-fired main or auxiliary boilers or internal combustion propelling machinery shall be provided with an additional fire pump, which shall not be required to be operated by power and shall be permanently connected to the water pipes. Such pump and its source of power, if any, shall not be situated in the same compartment as the pump required by sub-rule (1). If a hand pump is provided in compliance with this sub-rule, it shall be of the rotary type. A sea suction valve for use with the additional pump shall be provided and shall be capable of being controlled from outside the machinery space.

16G. International Shore Connection.—(1) Every ship of Class VI of 1000 tons or over shall be provided with :—

(a) One international shore connection complying with the requirements of the First Schedule.

(b) Necessary facilities for enabling such a connection to be used on both sides of the ship.

16H. Firemen's outfit.—Every ship of Class VI of 1000 tons or more shall carry atleast two firemen's outfit. Every ship of 500 tons or more but less than 1000 tons shall carry one such outfit.

16I. Ships of Class VII.—Ships of Class VII of 500 tons and above shall comply with the requirements of rules 16A to 16H (inclusive) as they apply to ships of Class VI.

16J. Ships of Class VII of less than 500 tons.—(1) Every ship of Class VII of less than 500 tons shall be provided with a power driven independent pump and also a hand pump permanently connected to a sea suction, a hose with a nozzle of 8 mm diameter capable of producing a jet of water of atleast 6 m. which can be directed into any part of the ship and also a nozzle for spraying water. The hand pump shall be located outside the machinery spaces.

(2) Every ship of Class VII of less than 500 tons shall be provided with atleast one portable fire extinguisher in each of the passenger spaces above the upper deck and atleast two such extinguishers in each passenger and crew spaces below the upper deck. There shall be one portable fire extinguisher in each galley.

(3) (i) Every ship of Class VII of less than 500 tons propelled by internal combustion engines shall be provided in the machinery space with one 45 litre extinguishers discharging foam and a suitable hose for directing it or equivalent carbon dioxide extinguishers.

(ii) In each machinery space containing internal combustion machinery there shall be provided atleast two portable foam fire extinguishers.

(iii) A hydrant with a hose and nozzle suitable for spraying water on oil shall be provided.

(iv) A receptacle containing an adequate quantity of sand or other dry material and a scoop shall be provided."

6. For sub-rule (1) of rule 21 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) (a) Every ship of Class VIII shall carry one fireman's outfit for each 30 metres of the registered length of the ship complying with the provisions of rule 44 and the fourth Schedule.

(b) Not more than three such outfits need be carried.

(c) Ships having novel features, tankers and chemicals carriers shall be required to have additional outfits."

7. After rule 26 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"26A. Ships of Class VIII of under 500 tons—Cargo spaces.—

(1) Every ship of Class VIII of under 500 tons shall be provided with appliances whereby atleast one jet of water can reach any part of the ship normally accessible to passengers and crew and any store room and any part of the cargo spaces when the ship is empty.

(2) Every ship shall be provided with atleast one fire pump operated by power which shall be capable of delivering atleast one jet of water from any fire hydrant hose and nozzle provided in the ship.

(3) In every ship a fire hydrant, hose and nozzle for spraying water on oil shall be provided in the machinery spaces.

(4) In every ship fitted with oil fired boilers or internal combustion engines there shall be provided in a position outside the spaces containing the boilers or machinery an additional fire pump with its own source of power and sea connection. The said pump may be powered or manually operated it shall be capable of projecting a powerful jet of water having a throw of not less than 12 metres when can be directed to any part of the ship.

(5) Every such ship shall be provided with atleast 3 portable extinguishers so situated as to be readily available for use in the accommodation and service spaces. One such extinguisher shall be fitted in the galley.

(6) In every ship there shall be provided—

(a) in each boiler room and each space containing any part of the oil fuel installation atleast 2 portable fire extinguishers suitable for extinguishing oil fires;

(b) in each firing space a receptacle containing sand or other dry material suitable for quenching oil fires together with a scoop for its distribution;

(c) in each space containing any oil fired boiler, oil fuel settling tank or oil fuel unit one extinguisher of atleast 45 litre capacity or an equivalent carbon dioxide extinguishers;

(d) in every ship propelled by internal combustion engines, in the machinery space one portable fire extinguisher suit-discharging foam and a suitable hose for directing it or an equivalent carbon dioxide extinguisher;

(e) in every ship propelled by internal combustion engines, in the machinery space one portable fire extinguisher suitable for extinguishing oil fires for each 100 BHP (75 KW) or part thereof;

(f) in every ship atleast one fireman's outfit which shall contain a breathing apparatus of the air hose type."

8. For rules 27 to 31 (inclusive) of the said rules, the following rules shall be substituted, namely :—

27. Ships of Class IX.—Ships of Class IX of 3000 tons and above.—Rules 17 to 26 (inclusive) shall apply to ships of Class IX of 3000 tons and above as they apply to ships of Class VIII of 500 tons and above.

28. Ships of Class IX of 1000 tons and above but less than 3000 tons.—(1) (a) These rules shall apply to ships of Class IX of 1000 tons and above but less than 3000 tons.

(b) Every such ship shall be provided with appliances whereby atleast 2 powerful jets of water can reach any part of the ship normally accessible to passengers and crew and any store room or any cargo space when empty. There shall be provided atleast three fire hoses and nozzles.

(c) Every such ship shall be provided with atleast two fire pumps operated by power. Each such pump shall be capable of delivering atleast one jet of water from any fire hydrant, hose and nozzle.

(d) In every ship where a fire in any compartment may put out of action the fire pumps provided in sub-para (C), there shall be provided outside the compartment an additional pump with its own source of power and sea connection.

(e) Every ship shall be provided with a sufficient number of portable fire extinguishers to ensure that at least one such extinguisher will be readily available for use in the accommodation and service spaces. The number of such extinguishers shall be not less than five.

At least one fire extinguisher shall be provided at the entrance to each galley or cooking space.

(f) Every ship shall be provided with two firemen's outfits complying with the provisions of rule 44. Atleast one such outfit carried in any such ship shall include a breathing apparatus of air hose type.

(2) (a) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion type machinery there shall be provided in the machinery space a hydrant and hose and a nozzle suitable for spraying water on oil.

(b) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers shall be provided in each boiler room with a receptacle containing an adequate quantity of sand or any other dry material suitable for quenching oil fires and a scoop for distributing the contents thereof. Alternatively a portable fire extinguisher may be fitted in lieu.

(c) In each firing space and compartment containing the whole or part of the oil fuel installation there shall be provided atleast two portable fire extinguishers which shall be capable of discharging foam or any substance suitable for quenching oil fires. In addition a foam extinguisher of atleast 45 litre capacity or any equivalent carbon dioxide extinguisher shall be provided in each boiler room. Where the number of burners in the boilers is less than five the above extinguisher may be replaced by portable extinguishers at the rate of one nine litre extinguisher for each burner fitted to the boiler.

(d) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion machinery shall be provided in the machinery space with a fixed fire extingiushing installation complying with the provisions of rules 40, 41 and 42.

(e) In every ship there shall be provided in any space containing internal combustion type machinery having in the aggregate total power of not less than 500 H.P. a foam extinguisher of at least 45 litre capacity or an equivalent carbon dioxide extinguisher.

(f) In every ship there shall be provided in the machinery space one portable fire extinguisher suitable for extinguishing oil fires for each 150 BHP or part thereof of such machinery provided that not less than 3 not more than 6 such extinguishers need be fitted in any such space.

29. Ships of Class IX of 500 tons and above but less than 1000 tons.—(1) This rule applies to ships of Class IX of 500 tons and above but less than 1000 tons.

(2)(a) Every ship shall be provided with appliances whereby atleast one powerful jet of water can be rapidly directed into any part of the ship.

(b) Every ship shall be provided with at least two fire pumps operated by power one of which may be driven by the main engine. Each pump shall be capable of delivering atleast one jet of water from any fire hydrant, hose and nozzle.

(c) Every ship shall be provided with atleast four portable fire extinguishers so situated as to be readily available for use in the accommodation and service spaces. At least one extingiusher shall be fitted in each galley.

(d) Every ship shall be provided with a fireman's outfit with a breathing apparatus of the air hose type.

(3) (a) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion propelling machinery shall be provided in the machinery space with a hydrant, hose and nozzle suitable for spraying water or oil.

(b) In every ship there shall be provided for the protection of any space containing any oil fired boiler or oil fuel unit a fixed fire extinguishing installation complying with the requirements of these rules.

(c) In every boiler room and each compartment containing the whole or part of the oil fuel installation there shall be provided atleast 2 portable fire extinguishers suitable for quenching oil fires.

(d) In every firing space there shall be provided a receptacle containing an adequate quantity of sand or other material suitable for quenching oil fires together with a scoop for distributing its contents. Alternatively a portable fire extinguisher suitable for extinguishing oil fires may be provided.

(4) Every ship fitted with internal combustion propelling machinery shall be provided in the machinery space with—

(a) a fire extinguisher of atleast 45 litres capacity or an equivalent carbon dioxide extinguisher;

(b) at least 2 portable extinguishers suitable for quenching oil fires;

(c) a receptacle containing an adequate quantity of sand or other dry material suitable for quenching oil fires together with a scoop for distributing the contents of the receptacle;

(d) portable fire extinguishers suitable for quenching oil fires at the rate of one for every 150 BHP or part thereof :

Provided that not less than three but not more than six such extinguishers need be fitted.

30. Ships of Class IX of under 500 tons.—(1) This rule applies to ships of Class IX of under 500 tons.

(2) Every ship to which this rule applies shall be provided with,—

(a) a pump whereby a powerful jet of water can be directed into any part of the ship ;

(b) 3 portable fire extinguishers;

(c) 3 fire buckets ;

(d) 2 fire hoses and nozzles ;

(e) a fireman's axe.

(3) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion machinery shall be provided with, —

(a) a receptacle containing an adequate quantity of sand or other material suitable for quenching oil fires together with a scoop for distributing the contents of the receptacle ;

(b) a foam fire extinguisher of at least 45 litre capacity or an equivalent carbon dioxide extinguisher ;

(c) atleast 2 portable fire extinguishers capable of discharging foam or other substance suitable for quenching oil fires ;

(d) where the pump provided in sub-rule (2) is situated in the machinery space, a hand pump with its own permanent sea connection capable of projecting a jet of water at least 6 m. outside the machinery space ;

(e) a nozzle for spraying water on oil ;

(f) in every ship propelled by internal combustion machinery in the machinery space one portable extinguisher suitable for oil fires for each 150 BHP of engine :

Provided that not less than 2 but not more than 4 such extinguishers need be fitted.

31. Ships of Class X of 3000 tons and above.—Rule 30 applies to ships of Class X of 3000 tons and above as it applies to ships of Class IX of 1000 tons and above.

31A. Ships of Class X of 1000 tons and above but less than 3000 tons.—(1) This rule applies to ships of Class X of 1000 tons and above but less than 3000 tons.

(2) (a). Every such ship shall be provided with appliances whereby at least two powerful jets of water can reach into any part of the ship normally accessible to passengers and crew and any store room or any cargo space when empty. There shall be provided at least 3 fire hoses and nozzles.

(b) Every ship shall be provided with at least two fire pumps operated by power. Each such pump shall be capable of delivering at least one jet of water from any fire hydrant, hose and nozzle.

(c) Every ship shall be provided with a sufficient number of portable fire extinguishers to ensure that atleast one such extinguisher will be readily available for use in the accommodation and service spaces. The number of such extinguishers shall be not less than five. One extinguisher shall be provided at the entrance to each galley or cooking place.

(d) Every ship shall be provided with two firemen's outfit complying with the provisions of rule 44. Atleast one such outfit carried in any such ship shall include a breathing apparatus of the air hose type.

(3) (a) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion propelling machinery shall be provided in the machinery space with a fixed fire extinguishing installation complying with the provisions of rule 41.

(b) In every ship to which this rule applies there shall be provided in any space containing internal combustion type machinery having in the aggregate total power of not less than 500 BHP a foam extinguisher at least 45 litre capacity or an equivalent carbon dioxide extinguisher.

(c) In every ship there shall be provided in the machinery space one portable fire extinguisher suitable for extinguishing oil fires for each 150 BHP or part thereof :

Provided that not less than 3 but not more than 6 such extinguishers need be fitted in any such space.

(d) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion type machinery there shall be provided in the machinery space a hydrant and hose with a nozzle suitable for spraying water on oil.

(e) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers shall be provided in each boiler room with a receptacle containing an adequate quantity of sand or other dry material suitable for quenching oil fires and a scoop for distributing the contents. Alternatively a portable fire extinguisher may be fitted instead.

(f) In each firing space and compartment containing the whole or part of the oil fuel installation there shall be provided atleast 2 portable fire extinguishers which shall be capable of discharging foam or any substance suitable for quenching oil fires. In addition, there shall be provided a portable extinguisher of nine litre capacity for each burner fitted to the boiler.

Provided that where the number of burners exceeds five it shall be sufficient to provide a single foam extinguisher of atleast 45 litre capacity or an equivalent carbon dioxide extinguisher.

31B. Ships of Class X of 500 tons and above but less than 1000 tons.—(1) This rule applies to ships of Class X of 500 tons and above but less than 1000 tons.

(2) (a) Every ship shall be provided with appliances whereby atleast one powerful jet of water can be rapidly directed into any part of the ship.

(b) Every ship shall be provided with atleast two fire pumps operated by power one of which may be driven by the main engine. Each pump shall be capable of delivering atleast one jet of water from any fire hydrant, hose and nozzle.

(c) Every ship to which this rule applies shall be provided with atleast four portable fire extinguishers so situated as to be readily available for use in the accommodation and service spaces. One extinguisher shall be fitted at the entrance to each galley or cooking place.

(d) Every ship shall be provided with a fireman's outfit with a breathing apparatus of the air hose type.

(3) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion machinery shall be provided in the machinery space with a hydrant, hose and nozzle suitable for spraying water on oil.

(4) (a) In every ship there shall be provided for the protection of any space containing any oil fired boiler or oil fuel unit 245 litre foam fire extinguishers with hoses and nozzles.

(b) In every boiler room and each compartment containing the whole or part of the oil fuel installation there shall be provided atleast 2 portable fire extinguishers suitable for quenching oil fires.

(c) In every firing space there shall be provided a receptacle containing an adequate quantity of sand or other material suitable for quenching oil fires together with a scoop for distributing its contents. Alternatively a portable fire extinguisher suitable for extinguishing oil fires may be provided.

(5) (a) Every ship fitted with internal combustion propelling machinery shall be provided in the machinery space with a fire extinguisher of atleast 45 litre capacity or an equivalent carbon dioxide extinguisher.

(b) Atleast 2 portable extinguishers suitable for quenching oil fires.

(c) A receptacles containing an adequate quantity of sand or other dry material suitable for quenching oil fires together with a scoop for distributing the contents of the receptacle.

(d) Portable fire extinguishers suitable for quenching oil fires at the rate of one for every 150 BHP of power :

Provided that not less than 3 but not more than six such extinguishers need be provided.

31C. Ships of Class X of under 500 tons.—(1) This rule applies to ships of Class X under 500 tons.

(2) Every ship to which this rule applies shall be provided with,—

(a) a pump whereby a powerful jet of water can be directed into any part of the ship;

(b) three portable fire extinguishers ;

(c) three fire buckets ;

(d) two fire hoses and nozzles ;

(e) a fireman's axe.

(3) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion machinery shall be provided with—

(a) a receptacle containing an adequate quantity of sand or other material suitable for quenching oil fires together with a scoop for distributing the contents of the receptacle ;

(b) a foam fire extinguisher of atleast 45 litre capacity or an equivalent carbon dioxide extinguisher ;

(c) atleast 2 portable fire extinguishers capable of discharging foam or other substance suitable for quenching oil fires ;

(d) where the pump provided in accordance with sub-rule (2)(a) is situated in the machinery space, a portable diesel engine driven pump or a hand pump with its own permanent sea connection capable of projecting a jet of water at least 6 m. outside the machinery space ;

(e) a nozzle for spraying water on oil;

(f) portable fire extinguishers suitable for quenching oil fires at the rate of one for every 150 BHP of power.

Provided that not less than 2 but not more than 4 such extinguishers need be provided.

31D. Ships of Class XI—Ships of Class XI of 500 tons and above.—(1) This rule applies to ships of Class XI of 500 tons and above.

(2) Rule 31B shall apply to ships of Class XI of 500 tons and above, as it applies to ships of Class X of 500 tons and above but less than 1000 tons.

31E. Ships of Class XI of 150 tons and above but less than 500 tons.—(1) This rule applies to ships of Class XI of 150 tons and above but less than 500 tons.

(2) (a) Every such ship shall be provided with atleast one fire pump and fire hose with nozzle whereby a powerful jet of water can be directed into any part of the ship.

(b) Where the pump provided in accordance with clause (a) is situated inside spaces containing oil fired boilers or internal combustion machinery there shall be provided out side such space a portable diesel driven pump or a hand pump with a hose and nozzle capable of delivering a jet of water having a throw of not less than 6 m.

(c) Every such ship shall be provided with atleast 3 portable fire extinguishers for the protection of accommodation and service spaces.

(d) Every such ship shall be provided with three fire buckets.

(3) (a) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion propelling machinery shall be provided with a nozzle suitable for spraying water on oil, with a fire hose referred to in sub-rule (2)(a).

(b) Every ship fitted main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion propelling machinery shall be provided with a receptacle containing an adequate quantity of sand or other dry material suitable for quenching oil fires together with a scoop for distributing the contents of the receptacle.

(c) In each boiler room or space containing any part of any oil fuel installation there shall be provided atleast 2 portable fire extinguishers suitable for extinguishing oil fires.

(d) In each machinery space one foam extinguisher of atleast 45 litre capacity or an equivalent carbon dioxide extinguisher shall be provided.

(e) Atleast 2 portable extinguishers capable of discharging foam or any other substance suitable for quenching oil fires shall be provided.

31 F. Ships of under 150 tons.—(1) This rule applies to ships of Class XI of less than 150 tons.

(2) Every ship of Class XI of less than 150 tons shall be provided with—

(a) a fire pump and fire hose and nozzle whereby a powerful jet of water can be directed into any part of the ship. The fire pump required above may be driven by the main engine. Where it is driven by the main engine a suitable hand pump shall be provided in a position outside the machinery space with its sea connection and hose and nozzle capable of producing a jet of water having a throw not less than 6 m. In addition a nozzle for spraying water suitable for quenching oil fires shall be provided;

(b) atleast 2 fire buckets and a fireman's axe.

(3) Every ship fitted with main or auxiliary oil fired boilers or internal combustion propelling machinery shall be provided with—

(a) a receptacle containing an adequate quantity of sand or other dry material suitable for quenching oil fires together with a scoop for distributing the contents of the receptacle.

(b) atleast 4 portable fire extinguishers capable of discharging foam or other substance suitable for quenching oil fires.

31.G. Ships of Class XII—Ships of Class XII of 1000 tons and above.—Rule 31A shall apply to ships of Class XII of 1000 tons and above as it applies to ships of Class X of 1000 tons and above but less than 3000 tons.

31H. Ships of Class XII of 500 tons and above but less than 1000 tons.—Rule 31B shall apply to ships of Class XII of 500 tons and above but less than 1000 tons as it applies to ships of Class X of 500 tons and above but less than 1000 tons.

31I. Ships of Class XII of 150 tons and above but less than 500 tons—Rules 31E shall apply to ships of Class XII of 150 tons and above but less than 500 tons as they apply to ships of Class XI.

31J. Ships of Class XII of under 150 tons.—The provisions of rule 31F shall apply to ships of class XII of less than 150 tons as they apply to ships of Class XI of less than 150 tons.

31K. Ships of Class XIII—Cargo and Accommodation Spaces—(1) Every ship of Class XIII shall be provided with fire pumps as indicated below :

(a) in ships of less than 45m. in length one independent power pump, alternatively the power pump may be driven by the main engine in which case a hand shall also be provided;

(b) in ships of 45 m. of length and over but less than 60 m. an independent power pump;

(c) in ships of 60 m. in length and over two independent power pumps.

(2) Where fire pumps are driven by main propulsion machinery, the main machinery should be capable of being readily disconnected from the propeller shafting. This is not required in the case of a vessel fitted with controllable pitch propellers.

(3) Where hand pumps are provided, the pump, sea suction valves and suction pipes shall be located outside the machinery space.

(4) (a) In ships of 60 m. in length and over where a fire in any one compartment would put out of action the power pumps required above an emergency fire pump shall be fitted.

(b) In ships of less than 60 m. in length the emergency pump may be a hand operated one.

(c) Every emergency fire pump, sea suction valves, pipes and other fittings shall be located outside the machinery compartment.

(5) Every ship of 60 m. in length shall be fitted with an international shore connection complying with the requirements of the First Schedule.

(6) Fire hydrant shall be positioned so as to allow easy and quick connection of fire hoses so that in ships of less than 45 m. in length one jet of water and in ships of 45 m. in length and above, two jets of water simultaneously can be directed into any part of the ship which is normally accessible during navigation. Where only one hydrant is provided it shall be so positioned that it is not rendered inaccessible in the event of fire in any enclosed space.

(7) (a) A sufficient number of portable fire extinguishers shall be provided to ensure that atleast one extinguisher is readily available for use in any part of the accomomdation, service space of control station. Ships of less than 45 m. in length shall be provided with atleast three extinguishers and those above 45 m. in length with atleast five extinguishers.

(b) Atleast one fire extinguisher shall be provided at the entrance of each galley or cooking space.

(8) Ships of 45 m. in length and above shall be provided with two fireman's outfits complying with the provisions of these rules.

(9) Every ship shall have atleast one fireman's axe.

(10) (a) In every ship of 45 m. in length and above where main or auxiliary oil fired boilers are situated or in spaces containing oil fuel units or settling takes fixed fire extinguishing installation complying with these rules shall be provided.

(b) In addition to the above there shall be provided in each boiler room and in each space containing any part of any oil fuel installation atleast two portable fire extinguishers suitable for extinguishing oil fires. In addition one extinguisher shall be provided for each burner of the boiler. Not more than seven extinguishers need be provided.

(c) In each firing space a receptacle containing sand or other dry material suitable for quenching oil fires together with a scoop for its distribution or alternatively an additional portable fire extinguisher suitable for extinguishing oil fires shall be provided.

(11) (a) Where internal combustion type machinery is used either for main propulsion or for auxiliary purposes having a total power of not less than 1000 B. H. P. in every vessel of 45 m. in length and above there shall be provided a fixed fire extinguishing installation complying with the requirements of these rules.

(b) In each machinery space there shall be provided a foam type extinguisher of not less than 45 litres capacity or equivalent.

(c) One approved portable foam extinguisher for each 100 B. H. P. of part thereof shall be provided. Not less than two but not more than six such extinginshers need be provided.

76 GI/77—11

(d) Ships constructed mainly of wood or glass re-inforced plastic and fitted with oil fired boilers or internal combustion machinery and fully decked in way of the machinery space shall be provided with one of the fixed fire extinguishing systems. Drin trays shall be fitted under the machinery and wherever necessary to prevent oil leaking into bilges.

(e) Ships having a total power of less than 1000 B. H. P. shall be provided with at least a 45 litre foam extingiusher or equivalent extinguisher suitable for fighting oil fires.

31L. Ships of Class XIV.—(1) This rule applies to ships of 150 tons and above but below 500 tons.

(2) Provisions of rule 31E shall apply to ships of 150 tons and above but below 500 tons as they apply to ships of Class XI of 150 tons and above but less than 500 tons.

(3) Provision of rule 31F shall apply to ships of under 150 tons as they apply to ships of Class XI of less than 150 tons.

31M. Ships of Class XV.—(1) Rule 31E shall apply to ships of Class XV of 150 tons and above as it applies to ships of Class XI of 150 tons and above but less than 500 tons.

(2) (a) Everyship of Class XV of under 150 tons and 24 m. in length or over shall be provided with appliances whereby atleast one jet of water can reach any part of the ship normally accessible to passengers or crew and any store room and any part of any cargo space when empty.

(b) Every such ship shall be provided with at least one fire pump operated by power which may be driven by the main engine.

(c) In every ship fitted with internal combustion propelling machinery if the above pump and its source of power are not situated outside the machinery space there shall be provided an additional fire pump outside the machinery space with its own source of power and sea connection. This pump may be manually operated or diesel driven, portable and shall be provided with a nozzle 8 m. diameter and shall be capable of producing a jet of water of not less than 6 m. Every ship shall be provided with a spray nozzle for use with the fire hose.

(d) Every ship of Class XV of under 150 tons and less than 23 m. in length shall be provided in a position outside the machinery space with a hand pump and a permanent sea connection. A fire hose with a nozzle of atleast 6 mm. diameter capable of producing a jet of water having a throw not less than 6 mm. In addition there shall be provided a spray nozzle.

(e) Every ship of Class XV of under 150 tons shall be provided with portable extingiushers or fire buckets in accordance with the following scales.

Length of ship in meters.	Minimum number of extinguishers of buckets.
Under 24 m.	2
24 m. or over	3

Where fire buckets are provided atleast one shall be fitted with a lanyard.

(f) In the machinery space of every ship of under 150 tons there shall be provided 2 portable fire extinguishers suitable for extinguishing oil fires.

(g) Every ship of under 150 tons being a fully decked vessels of 24 m. in length or over shall be provided with a fireman's axe."

9. In the Fourth Schedule to the said rules, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"2A. Every Fireman's outfit shall have personnel equipment comprising the following, namely :—

(i) Protective clothing of material to protect the skin from the heat radiating from the fire and from

burns and scalding from steam. The outer surface shall be water resistant.

(ii) Boots and gloves of rubber or other electrically non-conducting material.

(iii) A rigid helmet providing effective protection against impact.

(iv) An electric safety lamp of approved type with a minimum burning period of 3 hours.

(v) An axe fitted with an insulated handle."

[No. 5-MSR (2)/74-MA/DGS]

MRS. B. NIRMAL, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1977

सा०का०नि० 1224—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप धारा 2 खण्ड (ड) और (द) के साथ पठित, उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (डिबेंचर जारी करना) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम 1957 (1957 का 61) अभिप्रेत है।

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(ग) "डिबेंचर" से इस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन जारी किए गए और बेचे गए डिबेंचर अभिप्रेत हैं और इनके अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए बन्ध पत्र भी हैं,

(घ) "विरूपित डिबेंचर" से ऐसा डिबेंचर अभिप्रेत है जो अपाठ्यकर दिया गया हो और जिसके तात्विक भाग अनुवाच्य हो गए हों। डिबेंचर के तात्विक वे भाग हैं जहां—

(1) वह संख्या, वह निर्गम जिससे उसका संबन्ध है, और डिबेंचर का अंकित मूल्य या ब्याज के संदाय अभिलिखित हैं, अथवा

(2) पृष्ठांकन, या पाने वाले का नाम, लिखा हो, अथवा

(3) नवीकरण-रसीद प्रदत्त की जाती है।

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों की अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है,

(च) "खोया हुआ डिबेंचर" से ऐसा डिबेंचर अभिप्रेत है जो खो गया हो, किन्तु उसमें ऐसा डिबेंचर सम्मिलित नहीं है जो दावेदार के व्युत्पन्न अधिकार के प्रतिकूल किसी व्यक्ति के कब्जे में हो;

(छ) "विकृत डिबेंचर" से ऐसा डिबेंचर अभिप्रेत है जिसके महत्वपूर्ण भाग नष्ट हो गये हों, फट गए हों या नुकसान ग्रस्त हो गये हों,

(ज) डिबेंचर के संबन्ध में "निर्गम कार्यालय" से स्टेट बैंक का वह कार्यालय अभिप्रेत है जिसने डिबेंचर बेचे हों,

(झ) "विहित प्राधिकारी" से प्राधिकरण या स्टेट बैंक के ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं, जो नियम 8, 9, 10, 12 और 13 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाएं।

(ञ) डिबेंचर के संबन्ध में, रजिस्ट्रीकृत धारक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन रखे गए डिबेंचरों के धारकों के रजिस्टर में ऐसे डिबेंचर—धारक के रूप में दर्ज है,

(ट) "स्टेट बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (1955 का 23) के अधीन स्थापित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है।

(3) डिबेंचर का प्ररूप और उसका अन्तरण, आदि की प्रक्रिया :— (1) डिबेंचर वचनपत्र के रूप में जारी किया जाएगा जो किसी व्यक्ति को, या उसके आदेश पर, संदेय होगा।

(2) डिबेंचर आदेश पर संदेय वचन-पत्र के समान पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगा।

(3) डिबेंचर का कोई भी पृष्ठांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक डिबेंचर के पृष्ठ भाग पर धारक, या उसके सम्यक रूप से गठित अटर्नी या प्रतिनिधि, के हस्ताक्षर नहीं हो जाते।

(4) किसी भी डिबेंचर पर लिखा हुआ कोई भी लेख परक्रामण के प्रयोजन के लिए विधिमान्य नहीं होगा यदि ऐसे लेख का तात्पर्य डिबेंचर द्वारा अभिहित रकम के केवल एक भाग का अन्तरण करना हो।

(5) डिबेंचर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा जो ऐसी किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मुद्रित, उत्कीर्णित या लिपि-मुद्रित या छापित होगा, जिसका प्राधिकरण निदेश दे और इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्णित, लिपि-मुद्रित या अन्यथा छापित हस्ताक्षर वैसे ही विधि मान्य होगा मानो वह स्वयं हस्ताक्षर कर्ता के समुचित हस्तलेख में अंकित हो।

4. डिबेंचरों का जारी किया जाना:—(1) डिबेंचर स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।

(2) स्टेट बैंक द्वारा बेचे गए डिबेंचरों की एक सूचि, डिबेंचर धारकों के रजिस्टर में जो प्राधिकरण द्वारा रखा जाएगा दर्ज करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के कार्यालय में भेजी जाएगी।

(3) डिबेंचर-धारकों का रजिस्टर एक या अधिक पुस्तकें हो सकती हैं जिनमें डिबेंचर धारकों की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी:—

(क) प्रत्येक डिबेंचर—धारक का नाम और पता तथा व्यवसाय यदि कोई हो,

(ख) प्रत्येक धारक द्वारा धारित डिबेंचर, प्रत्येक डिबेंचर में उसकी संख्या और ऐसी रकम के आधार पर भेद किया जा सकेगा जो दी जा चुकी हो या जिसके संबन्ध में यह सहमति हो गई हो कि ऐसा समझ लिया जायगा कि वह उन डिबेंचरों पर दे दी गई है,

(ग) वह तारीख जिसको प्रत्येक व्यक्ति का नाम रजिस्टर में डिबेंचर धारक के रूप में दर्ज किया गया था, और

(घ) वह तारीख, जिसको कोई व्यक्ति डिबेंचर-धारक नहीं रह गया था।

5. ब्याज का संदाय:—डिबेंचर पर शोध्य ब्याज का संदाय, डिबेंचर और डिबेंचर-धारक द्वारा ऐसी अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर लेने पर, जिनकी निर्गम कार्यालय अपेक्षा करे, निर्गम कार्यालय या डिबेंचर विवरण-पत्रिका में विनिर्दिष्ट स्टेट बैंक के किसी अन्य कार्यालय द्वारा किया

जाएगा और ऐसे ब्याज का संदाय, ऐसे को धारक उसके नाम में ब्याज वारंट जारी करके, स्टेट बैंक के किसी ऐसे कार्यालय में किया जायगा जो ब्याज-वारन्ट में विनिर्दिष्ट हो।

6. डिबेंचर के खो जाने आदि पर प्रक्रिया:—(1) ऐसे किसी डिबेंचर के स्थान पर जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह पूर्णत: या भागत: खो गया है, चुरा लिया गया है, नष्ट हो गया है, विकृत या विरूपित हो गया है, डिबेंचर की दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन निर्गम कार्यालय को सम्बोधित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् :–

(क) निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार डिबेंचर की विशिष्टियां :–

——————————रु० के लिए डिबेंचर——————

——————प्रतिशत डिबेंचर की सं० ——————

(ख) अन्तिम अर्ध-वर्ष, जिसके लिए ब्याज का संदाय किया गया है,

(ग) वह व्यक्ति, जिसे ऐसे ब्याज का संदाय किया गया था,

(घ) वह व्यक्ति, जिसके नाम में डिबेंचर जारी किया गया था (यदि ज्ञात हो),

(ङ) ब्याज के संदाय का स्थान, जहां डिबेंचर अंकित किया गया था,

(च) खो जाने, चोरी चले जाने, नष्ट हो जाने, या विरूपित हो जाने संबन्धी विशिष्टियां, और

(छ) क्या खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने की रिपोर्ट पुलिस को की गई थी ?

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित भी होगा—

(क) जहां डिबेंचर रजिस्ट्रीकृत डाक में पारेषण के दौरान खो गया है वहां, उस लिफाफे के लिए, जिसमें डिबेंचर भेजा गया था, डाकघर की रजिस्ट्रीकरण-रसीद,

(ख) यदि खो जाने, चोरी हो जाने, या नष्ट हो जाने की रिपोर्ट पुलिस को की गई है तो पुलिस-रिपोर्ट की एक प्रति,

(ग) जहां ब्याज का अन्तिम संदाय निर्गम कार्यालय द्वारा न किया गया हो वहां उस स्टेट बैंक के प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र, जहां अन्तिम बार ब्याज दिया गया था, और जिस पत्र में डिबेंचर पर शोध्य ब्याज के अन्तिम संदाय को प्रमाणित किया गया हो और उस पक्षकार के नाम का उल्लेख हो जिसे ऐसा संदाय किया गया था।

(घ) यदि आवेदक रजिस्ट्रीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर लिया गया शपथ पत्र, जिसमें यह साक्ष्य दिया गया हो कि आवेदक डिबेंचर का अन्तिम विधिक धारक है और जिसमें उन सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को भी प्रमाणित किया गया हो जो आवेदक के हक का संबन्ध रजिस्ट्रीकृत धारक से स्थापित करते हैं, और

(ङ) खोये हुए, चोरी चले गए, नष्ट हुए, विकृत या विरूपित हुए डिबेंचर का शेष बचा कोई प्रभाग या हिस्सा।

(3) यदि ऐसे डिबेंचर पर ब्याज निर्गम कार्यालय से भिन्न स्टेट बैंक के किसी अन्य कार्यालय पर संदेय हो तो निर्गम कार्यालय को संबोधित आवेदन की एक प्रति स्टेट बैंक के उस कार्यालय को भी भेजी जानी चाहिए जहां ब्याज संदेय है।

परन्तु आवेदन की प्रति के साथ उप नियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज भेजना आवश्यक नहीं है।

7. राजपत्र में अधिसूचना:—(1) डिबेंचर या डिबेंचर के किसी भाग के खो जाने, चोरी चले जाने नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने या विरूपित हो जाने की अधिसूचना तुरन्त आवेदक द्वारा भारत के राजपत्र के, और उस राज्य के राजपत्र के, जिसमें वह खोया था, चुरा लिया गया था, नष्ट विकृत या विरूपित हो गया था, तीन आनुक्रमिक अंकों में दी जानी चाहिए।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना निम्नलिखित प्ररूप में या यथाशक्य वैसे ही प्ररूप में, जैसा परिस्थितियों में आवश्यक हो, होगा, अर्थात्:—

"खो गया" (या यथास्थिति "चोरी हो गया" या "नष्ट हो गया" या "विकृत" या "विरूपित")

——————रु० का—————— प्रतिशत वाला दिल्ली विकास प्राधिकरण डिबेंचर सं० जो मूलत: के नाम में था और जो अन्तिम बार स्वत्वधारी के नाम पृष्ठांकित किया गया था, जिसे किसी अन्य व्यक्ति के नाम में इसलिए कभी नहीं किया गया था कि वह खो गया है, (यथास्थिति चुरा लिया गया है, नष्ट हो गया है, विकृत हो गया है या विरूपित हो गया है), इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि निर्गम कार्यालय में उपर्युक्त डिबेंचर और उस पर ब्याज का संदाय रोक दिया गया है और स्वत्वधारी के नाम में डिबेंचर की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन दिया जा रहा है (दिया जा चुका है)। जनता को चेतावनी दी जाती है कि वह ऊपर लिखित डिबेंचर को न खरीदे और न ही उसके संबन्ध में अन्यथा कोई व्यवहार करे।

अधिसूचना देने वाले व्यक्ति का नाम स्थान

निवास स्थान तारीख

8. डिबेंचर की दूसरी प्रति जारी करना और क्षतिपूर्ति लेना:—(1) नियम 7 में निर्दिष्ट अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात्, विहित अधिकारी यदि डिबेंचर के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने या विकृत या विरूपित हो जाने, और आवेदक के दावे के अधिप्रमाणन, की बाबत उसका समाधान हो जाए तो :—

क. उस डिबेंचर की विशिष्टयां उस सूची में सम्मिलित करवा देगा जो नियम 9 में यथा उपबन्धित प्रकाशित की जाएगी, और

ख. निर्गम कार्यालय को आदेश देगा कि—

(क) जहां डिबेंचर का केवल एक अंश हो गया हो, चोरी चला गया हो, नष्ट, विकृत या विरूपित हो गया हो और उसका शेष भाग, जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त है, प्रस्तुत किया गया हो वहां, वह आवेदक को, उस पर शोध्य ब्याज, यदि कोई हो, अदा करे और, उसे, यहां इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से, एक क्षतिपूरक बन्धपत्र के निष्पादन पर, उस डिबेंचर के स्थान पर, जिसका एक अंश खो गया है, चोरी चला गया है, नष्ट, विकृत या विरूपित हो गया है, डिबेंचर की दूसरी प्रति, नियम 9 के अधीन सूची के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात्, या उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से ऐसी अतिरिक्त अवधि की, जो विहित अधिकारी आवश्यक समझे, समाप्ति पर, जारी करे,

(ख) यदि इस प्रकार खो गए, चोरी गए, नष्ट, विकृत या विरूपित हो गए डिबेंचर का कोई भाग प्रस्तुत नहीं किया गया है, या प्रस्तुत किया गया अंश पहचान के लिए पर्याप्त नहीं है तो,

(i) वह आवेदक को, पूर्वोक्त सूची के प्रकाशन के पश्चात् दो वर्ष की समाप्ति पर और यहां इसके पश्चात् उपबंधित रीति से एक क्षतिपूरक बन्ध पत्र के निष्पादन पर, इस प्रकार खो गए, चोरी गए, नष्ट विकृत या विरूपित हुए डिबेंचर की बाबत शोध्य ब्याज दे और उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से छह वर्ष की अवधि की समाप्ति तक बराबर देता रहे,

(ii) वह आवेदक को, इस प्रकार खो गए, चोरी गए नष्ट, विकृत या विरुपित हुए डिबेंचर के स्थान पर, उक्त छह वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, डिबेंचर की दूसरी प्रति जारी करें :

परन्तु—

(क) यदि वह तारीख, जिसको डिबेंचर प्रतिसंदाय के लिए शोध्य हो, उस तारीख से पहले आती हो जिसको छह वर्ष की उक्त अवधि समाप्त होती है तो, विहित अधिकारी, पूर्ववर्ती तारीख से छह सप्ताह के भीतर आवेदक के, डिबेंचर पर शोध्य मूल रकम का, उस पर उद्भूत और बकाया ब्याज सहित, प्रतिसंदाय करेगा और

(ख) यदि डिबेंचर का पता चल जाता है या निर्गम कार्यालय को यह प्रतीत होता है कि अन्य कारणों से वह आदेश विखण्डित किया जाना चाहिए तो, मामला आगे विचार के लिए विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और तब तक उस आदेश पर सारी कार्यवाही निलम्बित रहेगी ।

(2) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विहित अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन किया गया आदेश, उसमें निर्दिष्ट छह वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, अन्तिम हो जाएगा ।

(3) विहित अधिकारी, डिबेंचर की दूसरी प्रति जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय, पर्याप्त कारणों से, उपनियम (1) के अधीन अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को परिवर्तित या रद्द कर सकता है और यह भी निदेश दे सकता है कि डिबेंचर की दूसरी प्रति जारी किए जाने से पूर्व का अन्तराल, छह वर्ष से अनधिक अवधि तक उतने समय के लिए बढ़ा दिया जाए जितना वह उस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, या उपनियम (1) वह परन्तुक के खंड (क) के अधीन कोई रकम संदत्त किए जाने से पूर्व आवेदक से क्षतिपूरक बन्धपत्र ले लिया जाए ।

(4) **क्षतिपूरक बन्धपत्र** : (क) जब वह उपनियम (1) के खण्ड ख के उपखण्ड (क) के अधीन निष्पादित किया जाए तब अन्तर्वलित ब्याज अर्थात् डिबेंचर पर उद्भूत शोध्य सभी पिछले ब्याज की दुगुनी रकम धन डिबेंचर की दूसरी प्रति जारी किए जाने से पूर्व जो अवधि व्ययगत हो जाए उसके दौरान उस पर उद्भूत शोध्य होने वाले ब्याज की सारी रकम से दुगनी रकम के लिए होगा, और

(ख) जब वह इस नियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन निष्पादित किया जाए तब, डिबेंचर के अंकित मूल्य से दुगनी धन खण्ड (क) के अनुसार संगणित ब्याज की दुगुनी रकम के लिए होगा और वह क्षतिपूरक बन्धपत्र विहित अधिकारी द्वारा यथा, निदेशित, केवल आवेदक द्वारा या आवेदक और विहित अधिकारी द्वारा अनुमोदित एक या दो प्रतिभूतों द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

9. **सूची का प्रकाशन**:—(1) नियम 10 में निर्दिष्ट सूची, भारत के राजपत्र में छमाही अर्थात् जनवरी और जुलाई मासों में, या सुविधानुसार तत्पश्चात् यथाशीघ्र, प्रकाशित की जाएगी ।

(2) वे सब डिबेंचर, जिनकी बाबत नियम 10 के अधीन कोई आदेश किया गया है, उस आदेश के पारित किए जाने के पश्चात् प्रकाशित प्रथम सूची में सम्मिलित किए जाएंगे, और तत्पश्चात् ऐसे डिबेंचर उस सूची के, जिसमें यह पहले पहल सम्मिलित किए गए थे, प्रकाशन की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति तक प्रत्येक पश्चात्वर्ती सूची में सम्मिलित किए जाते रहेंगे ।

(3) सूची में, उसमें सम्मिलित प्रत्येक डिबेंचर से संबंधित निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी अर्थात् निर्गम का नाम, डिबेंचर की संख्या, उसका मूल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसे वह जारी किया गया था, वह तारीख जिससे उस पर ब्याज लगा, डिबेंचर की दूसरी प्रति के आवेदक का नाम, विहित अधिकारी द्वारा, ब्याज के संदाय या दूसरी प्रति जारी करने के लिए, दिए गए आदेश की तारीख और संख्या ।

10. यह अवधारित करना कि विकृत डिबेंचर को ऐसे डिबेंचर का रूप दिया जाए जिसका नवीकरण आवश्यक है :—ऐसे डिबेंचर की दशा में, जो विकृत या विरुपित हो गया है, विहित अधिकारी, विकृति या विरुपण की प्रकृति या सीमा को ध्यान में रखते हुए, यह विनिश्चित कर सकेगा कि क्या यह ऐसा मामला है जिसमें नियम के अधीन डिबेंचर की दूसरी प्रति जारी की जानी चाहिए या ऐसा मामला जिसमें नियम 13 के अधीन डिबेंचर का नवीकरण होना चाहिए ।

11. डिबेंचर का नवीकरण कब कराना जरूरी है:—(1) किसी डिबेंचर धारक से निर्गम कार्यालय द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह निम्नलिखित में से किसी भी दशा में डिबेंचर को नवीकरण के लिए परिदत्त करे, अर्थात्:—

(क) यदि डिबेंचर के पीछे केवल एक और पृष्ठांकन के लिए पर्याप्त स्थान शेष हो या यदि विद्यमान पृष्ठांकन या पृष्ठांकनों के आर-पार डिबेंचर पर कोई शब्द लिखा हो,

(ख) यदि डिबेंचर, निर्गम कार्यालय की राय में, फटा हो या किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो या उसमें ढेरों लिखावट हो या वह आगे प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो,

(ग) यदि कोई पृष्ठांकन सुस्पष्ट और साफ नहीं है, या उसमें यथास्थिति पाने वाले या पाने वालों के नाम सही हैं या पृष्ठांकन डिबेंचर के पीछे पृष्ठांकनखानों के अलावा किसी स्थान पर किया गया है,

(घ) यदि डिबेंचर का ब्याज दस वर्ष या अधिक से नहीं लिया गया है,

(ङ) यदि डिबेंचर के उलटी ओर वाले ब्याज के खाने पूरे पूरे भर गए हैं या यदि डिबेंचर के उलटी ओर के रिक्त खाने उन छिमाहियों के लिए नहीं है जिनके लिए ब्याज उस तारीख को, जिसका डिबेंचर ब्याज लेने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, शोध्य हो गया है,

(च) यदि डिबेंचर ब्याज के संदाय के लिए तीन बार अंकित किए जाने के पश्चात् पुनः अंकित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और

(छ) यदि, निर्गम कार्यालय की राय में, ब्याज के संदाय के लिए डिबेंचर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हक अनियमित है या पूर्णतया प्रमाणित नहीं है ।

(2) जब किसी डिबेंचर के नवीकरण के लिए कोई अध्यपेक्षा उपनियम (1) के अधीन की गई हो तब उस पर आगे और ब्याज के संदाय से तब तक इंकार कर दिया जाएगा जब तक कि उसे नवीकरण के लिए प्राप्त न कर लिया जाए और उसका वस्तुतः नवीकरण न हो जाए ।

12. व्यक्ति, जिसके किसी मृतक एकमात्र धारक के डिबेंचर पर हक को मान्यता दी जा सकती है :—(1) जहां डिबेंचर के एकमात्र धारक की मृत्यु हो चुकी हो वहां ऐसे एकमात्र धारक (चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, पारसी या कोई और हो) के निष्पादक या प्रशासक, या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अधीन, डिबेंचर की बाबत जारी किये गये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, ही वे व्यक्ति होंगे जिन्हें निर्गम कार्यालय (विहित अधिकारी के किसी साधारण या विशेष अनुदेश के अधीन रहते हुए) डिबेंचर पर कोई हक रखने वाले के रूप में मान्यता देगा ।

(2) दो या अधिक धारकों को जारी किये गये या देये गए डिबेंचर या उन्हें सदेय डिबेंचर की दशा में, यथास्थिति, उत्तरजीवी व्यक्ति, व्यक्ति या लोग और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर (चाहे वह अंतिम उत्तरजीवी हिन्दू, मुसलमान, पारसी या अन्य कोई हो) उसके निष्पादक, प्रशासक या वह

व्यक्ति, जो उस डिबैंचर की बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक हो, ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसे निर्गम कार्यालय (विहित प्रधिकारी के किसी साधारण या विशेष अनुदेश के अधीन रहते हुए) उस डिबैंचर पर कोई हक रखने वाले के रूप में मान्यता देगा और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 के प्रयोजनार्थ यह उपबन्ध संविदा का, उस धारा के उपबन्धों के विपरीत आशय को उपदर्शित करने वाला निबन्धन समझा जायेगा।

(3) निर्गम कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि वे, यथास्थिति, किसी सक्षम न्यायालय या उस स्थान में, जहां निर्गम कार्यालय स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी से प्रोबेट या प्रशासन-पत्र न प्राप्त कर लें।

परन्तु किसी ऐसे मामले में, जहां विहित प्रधिकारी, मामले की परस्थितियों को ध्यान में रखके हुए उचित समझें, उसके लिये यह वैध होगा कि वह क्षतिपूर्ति के संबंध में अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें वह उचित समझे, प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों को पेश किये जाने से अभिमुक्ति प्रदान करें।

13. डिबैंचर का नवीकरण आदि —(1) विहित प्रधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए, निर्गम कार्यालय, धारक के आवेदन पर, और उसके द्वारा सम्बद्ध डिबैंचर या डिबैंचरों के परिदत्त कर दिये जाने पर, और अपने दावे के अधिप्रमाणन के संबंध में निर्गम कार्यालय का समाधान करने पर, आदेश द्वारा, डिबैंचर को नवीकृत, उपविभाजित या समेकित कर सकता है।

परन्तु यह तब जब डिबैंचर, यथास्थिति, प्ररूप 1, प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में प्राप्त हुए हों।

(2) निर्गम कार्यालय, यदि उसे विहित प्रधिकारी द्वारा इस प्रकार आदेश दिया गया हो तो, उपनियम (1) के अधीन डिबैंचर या डिबैंचरों के नवीकरण, उप-विभाजन या समेकन के लिये आवेदन करने वाले से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह विहित प्रधिकारी द्वारा अनुमोदित एक या अधिक प्रतिभूओं सहित प्ररूप 4 में क्षतिपूरक बंधपत्र निष्पादित करें।

14. हक संबंधी विवाद की दशा में डिबैंचर का नवीकरण :—जहां किसी ऐसे डिबैंचर के, जिसकी बाबत नवीकरण के लिये आवेदन किया गया है, हक के संबंध में कोई विवाद हो वहां, विहित प्रधिकारी—

(क) जहां विवाद के किसी पक्षकार ने सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय से कोई ऐसा अंतिम विनिश्चय प्राप्त कर लिया है जिसमें उसे उस डिबैंचर का हकदार घोषित किया गया हो वहां, उस पक्षकार के पक्ष में नवीकृत डिबैंचर जारी कर सकेगा, अथवा

(ख) जब तक सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से खण्ड (क) में यथानिर्दिष्ट विनिश्चय प्राप्त नहीं हो जाता तब तक, डिबैंचर को नवीकृत करने से इन्कार कर सकेगा;

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजनार्थों के लिए अंतिम विनिश्चय पद से अभिप्रेत है ऐसा विनिश्चय जिसकी अपील नहीं हो सकती या ऐसा विनिश्चय जिसकी अपील तो हो सकती है किन्तु अपील करने का समय अपील किये बिना ही समाप्त हो गया है।

15. नवीकृत डिबैंचरों आदि की बाबत दायित्व :—जब किसी व्यक्ति के पक्ष में नियम 8 के अधीन डिबैंचर की दूसरी प्रतिलिपि जारी की गई हो या जब नवीकृत डिबैंचर जारी किया गया हो या नियम 13 के अधीन उप-विभाजन या समेकन की दशा में नया डिबैंचर जारी किया गया हो, इस प्रकार जारी किये गये या नवीकृत डिबैंचर को उस प्राधिकारी और उस व्यक्ति और उसके पश्चात् उसकी मार्फत हक प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच नई संविदा समझा जायेगा।

16. कतिपय मामलों में दायित्व से उन्मोचन :—प्राधिकारी को ऐसे डिबैंचर या डिबैंचरों की बाबत, जिनका संदाय उनके परिपक्व हो जाने पर कर दिया गया है या जिनके स्थान पर दूसरी प्रति के रूप में, या नवीकृत उपविभाजित या समेकित, डिबैंचर जारी किये गये हैं :—

(क) संदाय की दशा में, उस तारीख से, जिसको ऐसा संदाय शोध्य था, छह वर्ष की समाप्ति पर;

(ख) डिबैंचर की दूसरी प्रति के जारी करने की दशा में, उस सूची के, जिसमें डिबैंचर को प्रथम बार सम्मिलित किया गया है, नियम 9 के अधीन प्रकाशन की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति पर, या मूल डिबैंचर पर ब्याज के संदाय की तारीख से, इनमें से जो भी तारीख पश्चात्वर्ती हो;

(ग) उपविभाजित या समेकन होने पर जारी किये गये नवीकृत डिबैंचर की या नए डिबैंचर की दशा में, इसके जारी होने की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति पर, सभी दायित्वों से उन्मोचित कर दिया जायेगा।

17. ब्याज की बाबत उन्मोचन :—डिबैंचर के निबन्धनों में अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति, किसी ऐसी अवधि की बाबत, जो ऐसी पूर्वतम तारीख के पश्चात् जिसको उस डिबैंचर पर शोध्य मूलधन के संदाय के लिए मांग की जा सकती थी, बीत गई है, किसी ऐसे डिबैंचर पर ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

18. डिबैंचर का उन्मोचन :—जब कोई डिबैंचर मूलधन के प्रति-संदाय के लिए शोध्य हो जाये तब वह डिबैंचर, स्टेट बैंक के उस कार्यालय में, जहां उस पर ब्याज संदेय है, या निर्गम कार्यालय में डिबैंचर की उसकी और डिबैंचर धारक के सम्यक् हस्ताक्षर सहित, पेश किया जायेगा।

अनुसूची

प्ररूप 1

[नियम 13(1) देखिए]

डिबैंचर के नवीकरण के लिये पृष्ठांकन-प्ररूप

इसके बदले में, ...को, भारतीय स्टेट बैंक—
(धारक का नाम)

*मुम्बई/कलकत्ता/नई दिल्ली/मद्रास में संदेय ब्याज सहित, संदेय नवीकृत डिबैंचर प्राप्त किया।

*धारक/.............के सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के
(धारक का नाम)

हस्ताक्षर ....

*जो शब्द सुसंगत न हों, उन्हें काट दीजिये।

प्ररूप 2

[नियम 13 (1) देखिए]

डिबैंचर के उपविभाजन के लिए पृष्ठांकन-प्ररूप

इसके बदले में, ...की भारतीय स्टेट बैंक,
(धारक का नाम)

*मुम्बई/कलकत्ता/नई दिल्ली/मद्रास में संदेय ब्याज सहित; संदेय

क्रमशः .... रु० के डिबैंचर प्राप्त किये।

*धारक/...............के सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के
(धारक का नाम)

हस्ताक्षर ....

*जो शब्द सुसंगत न हों, उन्हें काट दीजिये।

प्ररूप 3

[नियम 13(1) देखिए]

डिबेंचर के समेकन के लिए पृष्ठांकन प्ररूप।

इसके बदले में (धारक का नाम) को, भारतीय स्टेट बैंक, *मुम्बई। कलकत्ता/नई दिल्ली/मद्रास में संदेय ब्याज सहित, डिबेंचर सं........ (इसके साथ समेकित करने के लिए वांछित अन्य डिबेंचरों की संख्यायें और रकमें लिखें और निर्गम विनिर्दिष्ट करें) के साथ समेकन द्वारा ....रु० के लिए, संदेय एक नया डिबेंचर प्राप्त किया।

*धारक/ .... के सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर (धारक का नाम)

....

*जो शब्द सुसंगत न हों उन्हें काट दीजिये।

प्ररूप 4

[नियम 13 (2) देखिए]

इस विलेख से सब लोगों को ज्ञात हो कि

.... हम (क) प्रधान

सुपुत्र श्री...................,

निवासी,.....................,

और श्री....................,

सुपुत्र श्री... ....,

निवासी....................,

और श्री....................,

सुपुत्र....................,

निवासी....................,

(ख) प्रतिभू

स्वयं अपने को और हम में से प्रत्येक को, अपने और हम में से प्रत्येक के वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों और उन सभी को, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) द्वारा गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण कहा गया है) को, उक्त प्राधिकरण को, उसके कतिपय अर्तनियों, उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को......रु० की रकम के संदाय के लिए, संयुक्ततः और पृथक्तः आबद्ध करते है।

और मैं/हम में से प्रत्येक अर्थात्...................उक्त प्राधिकरण के साथ यह प्रसंविदा करता हूं/करते हैं कि यदि इस बाध्यता की विषयवस्तु या इसके नीचे लिखित शर्त को प्रभावित करने वाला कोई वाद लाया जाना हो तो, उसे दिल्ली के न्यायालयों में फाईल किया जायेगा।

उक्त..............(क) ने भारतीय स्टेट बैंक/प्राधिकरण, *दिल्ली को, उक्त प्राधिकरण द्वारा जारी किये डिबेंचर (डिबेंचरों) के, जिनका वर्णन इसमें उपाबद्ध अनुसूची में किया गया है, नवीकरण' समेकन/उपविभाजन के लिए, आवेदन किया है।

*इसके पश्चात् उल्लिखित विकल्पों में से वह विकल्प, जो मामले को लागू होता है, रख ले और दूसरों को काट दें

और उक्त भारतीय स्टेट बैंक/प्राधिकरण, दो अच्छे पर्याप्त प्रतिभुओं सहित, जो इसके नीचे लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऊपर लिखित बन्धपत्र में सम्मिलित है, और उन का निष्पादन करते है, उक्त...... (क) का उक्त आवेदन स्वीकार करने के लिए सहमत और राजी हो गया है।

और उपर्युक्त बद्ध....... ....(और)

....

(क) प्रधान

--* उक्त (क)........................की प्रार्थना पर (क) के लिये प्रतिभू बनने और उपर्युक्त लिखित बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए उक्त. ... .(क) से मिल जाने के लिए सहमत हो गया है।

*यदि दो प्रतिभू हों तो

(क) प्रधान

अतः, अब, ऊपर लिखित बन्धपत्र की शर्त यह है कि यदि ऊपर बद्ध (ख) ....या उनमें से प्रत्येक या उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि, या उनमें से कोई, उक्त प्राधिकरण और उक्त भारतीय स्टेट बैंक को, उक्त प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये डिबेंचर (डिबेंचरों) में, जो इसमें उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित हैं, या उसमें के किसी हित में, तथा उक्त डिबेंचर (डिबेंचरों) की बाबत या उनके नवीकरण, समेकन या उपविभाजन की बाबत या उन पर किसी ब्याज के संदाय की बाबत, हक का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के दावों और मांगों से और उनके विरुद्ध, अथवा ऐसी सभी नुकसानी हानि, खर्च, प्रभार और व्यय से और उनके विरुद्ध, जो उक्त प्राधिकारी या भारतीय स्टेट बैंक को ऐसे दावे या मांग के लिए या उसके परिणाम स्वरूप या यथापूर्वोक्त नवीकृत, समेकित या उपविभाजित डिबेंचर (डिबेंचरों) को जारी करने के कारण या उक्त डिबेंचर (डिबेंचरों) पर शोध्य किसी ब्याज के संदाय के कारण करने पड़े या दायी बनायें, समय समय पर और इसके पश्चात् हर समय प्रभावी रूप से बचायेंगे, उनकी प्रतिरक्षा करेंगे, उन्हें हानि से मुक्त रखेंगे और क्षतिपूर्त रखेंगे तो, ऊपर लिखित बंधपत्र शून्य हो जायेगा अन्यथा वह पूरी तरह प्रवृत्त और प्रभावी रहेगा।

.......................और

................की उपस्थिति में

.....................द्वारा

....

तारीख हस्ताक्षरित और परिदत्त

(ख) प्रधान और प्रतिभुओं के नाम

इसमें निर्दिष्ट अनुसूची

डिबेंचर की प्रकृति और विवरण	संख्या	जारी करने की तारीख	राशि

[सं० 2-4/69-यू०डी० (डेस्क I-बी)]

के० विश्वास, डायरेक्टर (यू०डी०)

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 8th September, 1977

G.S.R. 1224.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 56 of the Delhi Deevlopment Act, 1957 (61 of 1957), read with clauses (mm) and (r) of sub-section (2) of that section, and after consultation with the Delhi Development Authority, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Issue of Debentures) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

(b) "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under section 3 of the Act;

(c) "Debenture" means a debenture issued by the Authority under sub-section (5) of section 23 of the Act and includes a bond issued by the Authority;

(d) "Defaced Debenture" means a Debenture which has been made illegible and rendered undecipherable in material parts and the material parts on a Debenture are the parts where—

(i) the number, the issue to which it appertains and the face value of the Debenture or payments of Interest are recorded, or

(ii) the endorsement or the name of the payee is written, or

(iii) the renewal receipt is supplied;

(e) "Form" means a form set out in the Schedule to these rules;

(f) "Lost Debenture" means a Debenture which has been lost and shall not include a Debenture which is in the possession of some person adversely to the claimant;

(g) "Multilated Debenture" means a Debenture which has been destroyed, or torn or damaged, in material parts thereof;

(h) "Office of issue", in relation to a Debenture, means the office of the State Bank which sold the Debenture;

(i) "Prescribed officer" means such officer of the Authority or the State Bank as may be authorised by the Central Government for the purposes of rules 8, 9, 10, 12 & 13;

(j) "Registered holder", in relation to a Debenture, means the person whose name is entered as the holder of such Debenture in the register of holders of Debentures kept under sub-rule (2) of rule 4;

(k) "State Bank" means the State Bank of India established under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955).

3. Form of Debenture and the mode of transfer thereof etc.—(1) A Debenture shall be issued in the form of promissory note payable to, or to the order of a certain person.

(2) A Debenture shall be transferable by endorsement and delivery like a promissory note payable to order.

(3) No endorsement of a Debenture shall be valid unless made by the signature of the holder or his duly constituted attorney or representative, inscribed on the back of the Debenture itself.

(4) No writing on a Debenture is valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only part of the amount denominated by the debenture.

(5) The Debenture shall be issued over the signature of the Vice-Chairman of the Authority which may be printed, engraved or lithographed or impressed by such other mechanical process as the Authority may direct and a signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.

4. Issue of Debenture.—(1) The Debentures shall be issued through the State Bank.

(2) A list of the Debentures sold by the State Bank shall be forwarded to the office of the Authority for the purpose of entry in the register of holders of Debentures which shall be kept by the Authority.

(3) The register of holders of Debentures may be in one or more books and shall contain the following particulars in respect of holders of Debentures, namely :—

(a) the name and address, and the occupation, if any, of each Debenture-holder;

(b) the Debentures held by each holder, distinguishing each Debenture by the number, and the amount paid or agreed to be considered as paid on those Debentures;

(c) the date at which each person was entered in the register as a Debenture-holder; and

(d) the date at which any person ceased to be a Debenture-holder.

5. Payment of interest.—Interest due on a Debenture shall be paid by the office of issue or any other office of the State Bank specified in the Debenture prospectus, on presentation of the Debenture and subject to compliance by the holder of the Debenture with such other formalities as the office of issue may require and such interest shall be paid to such holder by issuing an interest warrant in his favour payable at any of the offices of the State Bank specified on the interest warrant.

6. Procedure when Debenture is lost, etc. :—(1) Every application for the issue of a duplicate Debenture in the place of a Debenture which is alleged to have been lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, either wholly or in part shall be addressed to the office of issue, and shall contain the following particulars, namely :—

(a) particulars of the Debenture according to the following form :—

Debenture for Rs. ....;
No. ....of the .... per cent Debenture....................;

(b) last half-year for which interest has been paid;

(c) the person to whom such interest was paid;

(d) the person in whose name the Debenture was issued (if known);

(e) the place of payment of interest at which the Debenture was enfaced;

(f) the circumstances attending the loss theft, destruction, mutilation or defacement; and

(g) whether the loss, theft or destruction was reported to the police.

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by —

(a) where the Debenture was lost in the course of transmission by registered post, the post office registration receipt for the cover containing the Debenture,

(b) if the loss, theft or destruction was reported to the police, a copy of the police report;

(c) where the last payment of interest was made not by the office of issue, a letter signed by the Manager of the State Bank where interest was last paid, certifying the last payment of interest due on the Debenture and stating the name of the party to whom such payment was made;

(d) if the applicant is not the registered holder, an affidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant was the last legal holder of the Debenture, and all documentary evidence necessary to trace back the title of the applicant to the registered holder, and

(e) any portion or fragments which may remain of the lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced Debenture.

(3) A copy of the application addressed to the office of issue shall also be sent to the office of the State Bank where interest

is payable if the interest on such Debenture is payable at an office of the State Bank other than the office of issue ;

Provided that it shall not be necessary to send with the copy of the application the documents referred to in sub-rule (2).

7. Notification in Gazette.—(1) The loss, theft, destruction, mutilation or defacement of a Debenture or portion of a Debenture shall forthwith be notified by the applicant in three successive issues of the Gazette of India and of the Official Gazette of the state wherein the loss, theft, destruction, mutilation or defacement occurred.

(2) The notification under sub-rule (1) shall be, or as nearly as may be as the circumstances permit, in the following form, namely :—

"Lost", (or "stolen" or "destroyed" or "mutilated" or "defaced" as the case may be).

The Delhi Development Authority Debenture no. .... of the...............per cent Debenture for Rs. ...... originally standing in the name of...................... and last endorsed to................the proprietor, by whom it was never endorsed to any other person having been lost (stolen, destroyed, mutilated, or defaced, as the case may be), notice is hereby given that payment of the above Debenture and the interest thereupon has been stopped at the office of issue, and that application is about to be made (has been made) for the issue of a duplicate Debenture in favour of the proprietor. The public are cautioned against purchasing or otherwise dealing with the above mentioned Debenture.

Name of person notifying. Place ....

Date.......................

Residence.

8. Issue of Duplicate Debenture and taking of indemnity.—(i) After the last publication of the notification referred to in rule 7, the Prescribed Officer shall, if he is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the debenture and of the authenticity of the claim of the applicant—

(A) cause the particulars of the Debenture to be included in a list which shall be published as provided in rule 9 ; and

(B) order the office of issue—

(a) where only a portion of the Debenture has been lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, and the remaining portion thereof which is sufficient for its identification has been produced, to pay to the applicant the interest, if any, due thereon, and to issue to him on execution of an indemnity bond in the manner hereinafter provided, a duplicate debenture in place of that of which a portion has been so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced either immediately after the publication of the list under rule 9 or on the expiry of such further period as the Prescribed Officer may consider necessary, from the date of the publication of the said list;

(b) if no portion of the Debentures so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced has been produced or the portion produced is not sufficient for its identification—

(i) to pay to the applicant, on the expiry of two years after the publication of the aforesaid list, and on the execution of an indemnity bond in the manner hereinafter provided the interest due in respect of the Debenture so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced and to continue to pay to the applicant such interest until the expiry of a period of six years from the date of the publication of the said list ;

(ii) to issue to the applicant a duplicate Debenture in the place of the Debenture so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced on the expiry of the said period of six years;

Provided that—

(a) if the date on which the Debenture is due for repayment falls earlier than the date on which the said period of six years expires, the Prescribed Officer shall, within six weeks of the former date re-pay to the applicant the principal amount due on the Debenture together with the interest which may have accrued thereon and remains outstanding; and

(b) if at any time before the issue of the duplicate Debenture the original Debenture is discovered, or it appears to the office of issue that for other reasons the order should be rescinded, the matter shall be referred to the Prescribed Officer for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3) any order made by the Prescribed Officer under sub-rule (1) shall, on the expiry of the period of six years referred to therein become final.

(3) The Prescribed Officer may, at any time prior to the issue of a duplicate Debenture, for sufficient reason, alter or cancel any order made by him under sub-rule (1) and may also direct that the interval before the issue of a duplicate Debenture shall be extended by such period not exceeding six years as he may think fit in the circumstances of the case or that before any amount under clause (a) of the proviso to sub-rule (1) is paid an indemnity bond shall be taken from the applicant.

(4) Indemnity bonds—

(a) when executed under sub-clause (a) of clause (B) of sub-rule (1) shall be for twice the amount of interest involved, that is to say, twice the amount of all back interest accrued due on the Debenture plus twice the amount of all interest to accrue due thereon during the period which will have to elapse before the issue of a duplicate Debenture can be made, and

(b) when executed under any other provision of this rule shall be for twice the face value of the Debenture plus twice the amount of interest calculated in accordance with clause (a) and such indemnity bond shall be executed by the applicant alone or by the applicant and one or two sureties approved by the Prescribed Officer, as such Prescribed Officer may direct.

9. Publication of list :—(1) The list referred to in rule 10 shall be published half-yearly in the Gazette of India in the months of January and July or as soon afterwards as may be convenient.

(2) All Debentures in respect of which an order has been made under rule 10 shall be included in the first list published next after the passing of such order and thereafter such Debentures shall continue to be included in every succeeding list until the expiration of six years from the date of publication of the list in which it was first included.

(3) The list shall contain the following particulars regarding each Debenture included therein namely, the name of the issue, the number of the Debenture, its value, the name of the person to whom it was issued, the date from which it bears interest, the name of the applicant for a duplicate Debenture, the number and date of the order made by the Prescribed Officer for the payment of interest or issue of a duplicate.

10. Determination of a mutilated Debenture as a Debenture requiring renewal.—In the case of a Debenture which has been mutilated or defaced, the Prescribed Officer may, having regard to the nature and extent of the mutilation or defacement, decide whether it is a case requiring issue of a duplicate Debenture under rule 8 or whether the Debenture could be renewed under rule 13.

11. When a Debenture is required to be renewed.—(1) A holder of a Debenture may be required by the Office of issue to receipt the same for renewal in any of the following cases, namely :—

(a) if sufficient room remains on the back of the Debenture only for one further endorsement or if any

word is written upon the Debenture across the existing endorsement or endorsements ;

(b) if the Debenture is torn or in any way damaged or crowded with writing or unfit for further use in the opinion of the office of issue;

(c) if any endorsement is not clear and distinct or does not indicate the payee or payees, as the case may be, by name or is made otherwise than in one of the endorsement cages on the back of the Debenture;

(d) if the interest on the Debenture has remained undrawn for ten years or more;

(e) if the interest cages on the reverse of the Debenture have been completely filled or if the vacant cages on the reverse of the Debenture do not correspond with the half years for which interest has become due on the date when the Debenture is presented for drawal of interest ;

(f) if the Debenture having been enfaced three times for payment of interest is presented for re-enfacement ; and

(g) if in the opinion of the office of issue, the title of the person presenting the Debenture for payment of interest is irregular or not fully proved.

(2) When requisition for renewal of a Debenture has been made under sub-rule (1) payment of any further interest thereon shall be refused until it is receipted for renewal and actually renewed.

12. Person whose title to Debenture of a deceased sole holder may be recognised.—(1) Where the sole holder of a Debenture has died, the executors or administrators of such sole holder (whether a Hindu, Mohammedan, Parsi or otherwise) or the holder of a succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) in respect of the Debenture shall be the only persons who shall be recognised by the office of issue (subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer) as having any title to the Debenture.

(2) In the case of a Debenture issued, sold or held payable to two or more holders, the survivors or survivor, as the case may be, and on the death of the last survivor, (whether such last survivor is a Hindu, Mohammedan, Parsi or otherwise) his executors, administrators, or any person who is the holder of a succession certificate in respect of such Debenture shall be the only person who shall be recognised by the office of issue (subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer) as having any title to the Debenture and for the purposes of section 45 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), this provision shall be deemed to be a term of the contract indicating an intention contrary to the provisions of that section.

(3) The office of issue shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration, as the case may be, from a competent court or authority having jurisdiction over the place where the office of issue is situated;

Provided that if in any case the Prescribed Officer having regard to the circumstances of the case so thinks fit, it shall be lawful for him to dispense with the production of probate or letters of administration upon such terms as to indemnity or otherwise as he may think fit.

13. Renewal etc. of Debenture.—(1) Subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer, the office of issue may, on the application of the holder and on his delivering the Debenture or Debentures concerned and on his satisfying the office of issue regarding the authenticity of his claim, by order, renew, sub-divide or consolidate a Debenture or Debentures :

Provided that the Debenture or Debentures has or have been receipted in Form I, Form II, or Form III, as the case may be.

(2) The office of the issue may, if so ordered by the Prescribed Officer, require the applicant for renewal, sub-division or consolidation of a Debenture or Debentures under the sub-rule (1) to execute an indemnity bond in Form IV with one of more sureties approved by the Prescribed Officer.

14. Renewal of Debenture in case of dispute as to title.—Where there is a dispute as to the title to a Debenture in respect of which an application for renewal has been made the Prescribed Officer may—

(a) where any party to the dispute has obtained a final decision from a court of competent jurisdiction declaring him to be entitled to such Debenture, issue a renewed Debenture, in favour of such party, or

(b) refuse to renew the Debenture until a decision as is referred to in clause (a) has been obtained from a court of competent jurisdiction.

Explanation :—For the purposes of this rule, the expression 'final decision' means a decision which is not appealable or a decision which is appealable but the time for appealing has expired without an appeal having been preferred.

15. Liability in respect of Debenture renewed etc.—When a duplicate Debenture has been issued under rule 8 or when a renewed Debenture has been issued or a new Debenture has been issued upon sub-division or consolidation, under rule 13, in favour of a person, the Debenture so issued or renewed shall be deemed to constitute a new contract between the Authority and such person and all persons deriving title thereafter through him.

16. Discharge from liability in certain cases.—The Authority shall be discharged from all liability in respect of the Debenture or Debentures paid on maturity or in the place of which a duplicate, renewed, sub-divided or consolidated Debenture or Debentures has or have been issued—

(a) in the case of payment, on the expiry of six years from the date on which such payment was due;

(b) in the case of the issue of a duplicate Debenture, on the expiry of six years from the date of the publication under rule 9 of the list in which the Debenture is first included or from the date of the payment of interest on the original Debenture, whichever date is later;

(c) in the case of a renewed Debenture or of a new Debenture issued upon sub-division or consolidation, on the expiry of six years from the date of issue thereof.

17. Discharge in respect of interest.—Save as otherwise expressly provided in the terms of the Debenture no person shall be entitled to claim interest on any such Debenture in respect of any period which has elapsed after the earliest date on which demand could have been made for the payment of the principal amount due on such Debenture.

18. Discharge of a Debenture.—When a Debenture becomes due for repayment of principal, the Debenture shall be presented at the office of the State Bank at which the interest thereon is payable or at the office of issue, duly signed by the holder of the Debenture on its reverse.

THE SCHEDULE

FORM I

[See rule 13(1)]

Form of endorsement for renewal of a Debenture Received in lieu thereof a renewed Debenture payable to (name of holder), with interest payable at State Bank of India, *Bombay/Calcutta/New Delhi/Madras.

Signature of the *holder/duly authorised representative of (name of holder.....................................

*Strike off the words which are not relevant.

FORM II

[See rule 13(1)]

Form of endorsement for sub-division of a Debenture.

Received in lieu hereof....................Debentures for Rs..............respectively, payable to (name of holder)............................with interest payable at State Bank of India, *Bombay/Calcutta/New Delhi/Madras.

Signature of the *holder/duly authorised representative of (name of holder)......................................

*Strike off the words which are not relevant.

FORM III

[See Rule 13 (1)]

Form of endorsement for consolidation of Debentures.

Received in lieu hereof a new Debenture payable to (name of holder) for Rs.....by consolidation with Debenure or Debentures Nos. ....(mentioning the numbers and amounts of the other Debentures desired to be consolidated with it and specifying the issue) with interest payable at State Bank of India, *Bombay/Calcutta/New Delhi/Madras.

Signature of the *holder/duly authorised representative of (name of holder).................. ....

*Strike off the words which are not relevant.

FORM IV

[See rule 13(2)]

Know all men by these presents that

We...(a) Principal
Son of...
Resident of..
and.............................. ....
Son of...
Resident of.....................................
and...
Son of..

Resident of..................................(b) Sureties hereby bind ourselves and each of us, our and each of our heirs, executors, administrators and representatives and all of them jointly and severally to the Delhi Development Authority constituted by the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), (hereinafter called the said Authority) for payment of the sum of Rs.............to the said Authority, its certain attorneys, successors and assigns;

And I/each of us the said..........hereby covenant with the said Authority that if any suit shall be brought touching the subject matter of this obligation or the condition hereunder written, the same shall be filed in the courts of Delhi.

Whereas the said......(a) has applied to the State Bank of India/Authority, Delhi* for the renewal/consolidation/sub-division of the Debenture (Debentures) issued by the said Authority mentioned in the Schedule annexed thereto;

*Out of the several alternatives mentioned hereafter, retain the one which applies to the case and strike out the others.

And Whereas the said State Bank of India/Authority have consented and agreed to accept the said application of the said

(a)...........................(a) Principal with two good and sufficient sureties entering into and executing the above written bond subject to the condition hereunder written;

And whereas the above bounden......(and). ......*at the request of the said.................. ....
....

*If there are two sureties,

(a) has (have) agreed to become (sureties) for (a) and to join with the said.... .(a) in executing the above written bond.

(a) Principal.

Now, therefore, the condition of the above written bond is such that if the above bounden (b) ....or each of them or their heirs, executors, administrators or representatives or any or either of them shall from time to time and at all times hereafter effectually save, defend, keep harmless and indemnified the said Authority and the said State Bank of India from and the against the claims and demands of all persons claiming to be entitled to the Debenture (Debentures) issued by the said Authority mentioned in the Schedule hereto or to any interest thereon and of other persons whomsoever in respect of the said Debenture (Debentures) or the renewal, consolidation or sub-division thereof or the payment of any interest thereon and from and against all damages, losses, costs, charges and expenses which the said Authority or the said State Bank of India may sustain, incur or be liable to for or in consequence of any such claim or demand or by reason of the issue of renewed, consolidated or sub-divided Debenture (Debentures) as aforesaid or the payment of any interest due on the said debenture (Debentures) or renewed, consolidated or sub-divided Debenture (Debentures) then the above written bond shall be void but other wise the same shall remain in full force and effect.

Signed and delivered by...........
....
....
in the presence of..................
and of.........................

Date : ....

(b) Names of the Principal and sureties.

The Schedule

Nature and description of the Debenture	Number	Date of issue	Amount

[No. 2-4/69-UD (Desk I-B)]
K. BISWAS, Director (UD).

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1225.—नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 19 की उपधारा (i) के अनुच्छेद (iii) के स्पष्टीकरण के अनुच्छेद (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों का उल्लेख करती है नामत :—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के अनुच्छेद (ख II) में परिभाषित सहकारी बैंक।

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) के अधीन स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा

(iii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित बैंकिंग संस्थान ।

[फा० सं० 1/239/76-यू०सी०यू०]

New Delhi, the 23rd August, 1977

G.S.R. 1225.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of the Explanation to clause (iii) of sub-section (1) of section 19 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976), the Central Government hereby specifies the following financial institutions as banks for the purposes of that sub-section, namely :—

(i) a co-operative bank as defined in clause (bii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(ii) a Regional Rural Bank established under the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ; and

(iii) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).

[F. No. 1/239/76-UCU]

(नगर सम्पत्ति अधिकतम सीमा एकक)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1226—नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (ओ०) के साथ पठित उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) अधिनियम, 1976 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों को नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) सातवां (संशोधन) नियम, 1977 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नगर भूमि (अधिकतम सीमा व विनियमन) नियमावली, 1976 में :—

(क) नियम 15 में, "दूसरी अनुसूची" के स्थान पर "चौथी अनुसूची" पढ़ा जाए।

(ख) चौथी अनुसूची के शीर्ष में मौजूदा प्रविष्टियों "(नियम 16 देखें)", के स्थान पर निम्नलिखित शब्द अंक तथा कोष्ठक लगाए जाएं, नामतः—

"(नियम 15 और 16 देखें)"

[फाइल सं० 1/151/76-यू०सी०यू०]

एस० महादेव अय्यर, उप सचिव

(Urban Ceiling Unit)

New Delhi, the 24th August, 1977

G.S.R. 1226.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (o) of sub-section (2) of section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Urban Land (Ceiling and Regulation) Rules, 1976, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Urban Land (Ceiling and Regulation) Seventh (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Urban Land (Ceiling and Regulation) Rules 1976, —

(a) in rule 15, for the words "the Second Schedule", the words "the Fourth Schedule" shall be substituted ;

(b) in the title to the Fourth Schedule for the existing entries "(see rule 16)", the following words, figures and brackets shall be substituted, namely :—
"(See rule 15 and 16)".

[File No. 1/151/76-UCU]

S. MAHADEVA AYYAR, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1227—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, फिल्मोत्सव निदेशालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1976 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को फिल्मोत्सव निदेशालय (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 फिल्मोत्सव निदेशालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1976 की अनुसूची में, क्रम संख्या 2 के सम्मुख कालम 12 में शीर्ष "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है)" के अन्तर्गत—

(क) प्रविष्टि (i) में "अखिल भारतीय सेवा" शब्दों के बाद "राज्य सिविल सेवा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) प्रविष्टि (ii) में, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[संख्या 1/44/77-एफ० एफ]

ए० वी० नारायणन, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th August, 1977

G.S.R. 1227.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Film Festivals (Group A posts) Recruitment Rules, 1976, namely :

1. (1) These rules may be called the Directorate of Film Festivals (Group A posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Film Festivals (Group A posts) Recruitment Rules, 1976, against Serial No. 2, in column 12, under the heading "Transfer on deputation (including short-term contract)",—

(a) in entry (i), after the words "All India Services", the words "State Civil Services" shall be inserted ;

(b) in entry (ii), for the words "Central or State Governments", the words "Central Government" shall be substituted.

[1/14/77-FF]

A. V. NARAYANAN, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1228.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय डाक-तार निरीक्षक, डाक-मोटर सेवा और डाक मोटर सेवा के मुख्य लिपिकों के भर्ती नियमों में एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाक-तार निरीक्षक, डाक-मोटर सेवा और उच्च लिपिक, डाक मोटर सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 कहा जाए।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय डाक-तार निरीक्षक, डाक मोटर सेवा और डाक मोटर सेवा के मुख्य लिपिकों के भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, कालम 10 में "क्लर्कों" शब्द के बाद कोष्ठक में निम्नलिखित शब्दों का समावेश किया जाए—"(जिसमें निम्न चुनाव ग्रेड क्लर्क शामिल हैं)"।

[संख्या 5/2/75-एस० पी० बी०-II]

जे० एम० पंजवानी, सहायक महानिदेशक (एस पी एन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraph Board)

New Delhi, the 31st August, 1977

G.S.R. 1228.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian P & T Inspectors of Mail Motor Service and Head Clerks of Mail Service Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian P & T Inspectors of Mail Motor Service and Head Clerks of Mail Motor Service Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian P & T Inspectors of Mail Motor Service and Head Clerks of Mail Motor Service Recruitment Rules, 1967, in column 10, after the word 'clerks', the brackets and words "(including lower selection grade clerks)" shall be inserted.

[No. 5/2/75-S.P.B. II(Pt)]

J. M. PANJWANI, Assistant Director General (SPN)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1229.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1977 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में "प्ररूप 3 और 3क" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप 3"

(केवल उन स्थापनों के लिए जिन्हें छूट प्राप्त नहीं है)

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952

(पैरा 35 और 42)

और

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971

(पैरा 14)

चालू अवधि के लिए अंशदान कार्ड

————से————तक

1. लेखा सं०————————

2. नाम————————अधिनाम————————

(मोटे अक्षरों में)

3. पिता/पति का नाम————————

4. स्थापन का नाम और पता————————

5. अंशदान की कानूनी दर————————

6. कर्मचारी अंशदान की स्वैच्छिक उच्चतर दर, यदि कोई हो,————————

मास	अंशदान सदस्यों का अंश				नियोजक का अंश				
	कं०भ०नि०	कं०भ०नि० क $1\frac{1}{6}$ प्रतिशत	योग कं०भ०नि०		कं०भ०नि० क $1\frac{1}{6}$	योग	उधार का प्रतिदाय	अंश सदस्यता संगणनीय सेवा———— से——— तक	टिप्पणी
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०		
अप्रैल 19									
मई									
जून									
जुलाई									
अगस्त									
सितम्बर									
अक्टूबर									
नवम्बर									
दिसम्बर									
जनवरी									
फरवरी									
मार्च 19									
योग									

नियोजक के हस्ताक्षर
(कार्यालय मुद्रा)

तारीख—— ——1977

(केवल उन स्थापनों के लिए जिन्हें छूट प्राप्त नहीं है)

प्ररूप-3क (पुनरीक्षित)

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952

(पैरा 35 और 42) तथा

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971

(पैरा 14)

1————————19 से 30/31————19 तक से चालू अवधि के लिए अंशदान कार्ड

1. लेखा सं०——————
2. नाम/अधिनाम——————
3. पिता/पति का नाम——————
4. स्थापन का नाम और पता——————
5. अंशदान की कानूनी दर——————
6. कर्मचारी के अंशदान की स्वैच्छिक उच्चतर दर, यदि कोई हो——————

मास	मजदूरी की रकम	अंशदान कर्मचारी का अंश	नियोजक का अंश	उधार का प्रतिदाय	——से——तक अंश सदस्यता संगणनीय सेवा	टिप्पणी
	कं०भ०नि०	कं०भ०नि०	योग कं०भ०नि०योग			
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल 19						
मई						
जून						
जुलाई						
अगस्त						
सितम्बर						
अक्टूबर						
नवम्बर						
दिसम्बर						
जनवरी						
फरवरी						
मार्च, 19						
योग						

(क) सेवा छोड़ने की तारीख—————————

(ख) सेवा छोड़ने का कारण——————————

(ग) प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्ड में उपदर्शित अंशदान की कुल रकम, अर्थात्——————————रु०

'स्तम्भ (3) (ग), स्तम्भ (4) (ग), क०भ०नि०ले०सं०/(भ०मि०लेखा) और लेखा सं० 10(क०भ०नि० प्रशासन ले०) निम्नलिखित टिप्पण के अनुसार पहले ही जमा की जा चुकी है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ (3) और (4) के अधीन अंशदान के योग और स्तम्भ (2) मे विहित दर पर दिखाई गई कुल मजदूरी के बीच अन्तर नियमों के अधीन 25 पैसे के अंशदान को पूर्णांकित करने के कारण ही है।

नियोजक के हस्ताक्षर
(कार्यालय मुद्रा)

तारीख :

टिप्पण :—प्रारूप (3क) की बाबत जो उन सदस्यों के लेखाओं के, जिन्होंने सेवा छोड़ दी है, अन्तिम परिनिर्धारण प्रयोजनार्थ चालू अवधि के दौरान प्रादेशिक कार्यालय को भेजा जाता है, तारीख और सेवा छोड़ने के कारणों का ब्योरा तथा स्तम्भ 'टिप्पण' में दिखाए गए रूप में एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।"

[सं० एस०-70012(5)/76-पी०एफ० II]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd August, 1977

G.S.R. 1229.—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 1977.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1958 for "Forms 3 and 3-A" the following Forms shall be substituted, namely :—

"FORM 3

(For Unexempted Establishments only)

THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS SCHEME, 1952
(Paragraphs 35 and 42)
AND
THE EMPLOYEES' FAMILY PENSION SCHEME, 1971
(PARAGRAPH 14)

Contribution Card for the currency period from..to......

1. Account No...
2. Name...Surname ....
(In Block Capitals)
3. Father's/Husband's Name...
4. Name and address of establishment...
....
5. Statutory rate of contribution ....
6. Voluntary higher rate of employee's contribution, if any.......................................

CONTRIBUTIONS

MONTHS	MEMBER'S SHARE						EMPLOYERS' SHARE								Break in membership/ reckonable service		Remarks
	E.P.F.		E.P.F. @1¼%		TOTAL		E.P.F.		E.P.F. @1¼%		TOTAL		Refund of advances				
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	From	To	
April 19 .																	
May .																	
June .																	
July .																	
August .																	
September .																	
October																	
November .																	
December .																	
January .																	
February .																	
March 19 .																	
TOTAL .																	

Dated..................197 .

Signature of the Employer
(Office Seal)

(For Unexempted Establishments only)

FORM 3A

THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS SCHEME, 1952

(Paras 35 and 42)

AND

THE EMPLOYEES' FAMILY PENSION SCHEME, 1971

(Para 14)

Contribution card for the currency period from 1st.........19.........to 30th/31st.........19

1. Account No..
2. Name/Surname..
3. Father's/Husband's Name..
4. Name & address of the Establishment..
5. Statutory rate of contribution..
6. Voluntary higher rate of employees' contribution, if any..

Contributions

Month	Amount of wages	Workers' share			Employer's share			Refund of Advances	Break in membership Reckonable Service		Remarks
		EPF	EPF	TOTAL	EPF	EPF	TOTAL		From	To	
1	2	3			4			5	6		7
		a	b	c	a	b	c				
April, 19											
May											
June											
July											
August											
September											
October											
November											
December											
January											
February											
March 19											
Total											

(a) Date of leaving Service ....

(b) Reason for leaving Service ....

(c) Certified that the total amount of contribution indicated in this card i.e. Rs..........
[Col. (3) (c)]..

[Col. (4) (c) has already been remitted in full in EPF A/C No. 1 (P.F. A/c) and A/C No. 10 (EPF contribution A/c) vide Note below]

Certified that the difference between the total of the contributions shown under Cols. (3) and (4) of the above table and that arrived at on the total wages shown in Col. (2) at the prescribed rate is solely due to the rounding off of contributions to the nearest 25 paise under the rules.

Dated, 197 Signature of Employer

(Office Seal)

NOTE.— In respect of the form (3A) sent to the Regional Office during the course of the currency period for the purpose of final settlement of the accounts of the members who had left service details of date and reasons for leaving service, and also a certificate as shown in the "Remarks columns should be added."

[No. S-70012(5)/76-PF-II]

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 1230.—केन्द्रीय सरकार कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम मंत्रालय की सं० पी० एफ० 16(1)/48 तारीख 3 जुलाई, 1948 के साथ प्रकाशित कोयला खान बोनस स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1977 है।

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

3. कोयला खान बोनस स्कीम में, पैरा 2 में, खण्ड (ङ) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे कोयला खानों में, जहां मासिक मजदूरी अवधि कलेन्डर मास के प्रथम दिन से भिन्न किसी दिन को प्रारम्भ होती है, "तिमाही" से प्रत्येक वर्ष की जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर में मासिक मजदूरी अवधि के शुरू से प्रारम्भ होने वाली तीन मासिक मजदूरी अवधि अभिप्रेत है :

परन्तु यह और कि उस मजदूरी अवधि में, जिसके लिए संबन्धित कोयला खान में एक बार विकल्प दिया गया है, परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोजक ने उस निमित्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो।

[सं० आर० 34011/1/76 पी० एफ०-I (i)]

New Delhi, the 30th August, 1977

G.S.R. 1230.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with section 7, of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Coal Mines Bonus Scheme, published in the Ministry of Labour No. PF-16(1)/48 dated 3rd July, 1948, namely :—

1. This scheme may be called the Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1977.

2. It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

3. In paragraph 2 of the Coal Mines Bonus Scheme, the following provisions shall not be added to clause(m) namely :—

"Provided that in the Coal Mines where the monthly wage period commences otherwise than on the first day of the calender month, "quarter" shall mean three monthly wage periods commencing from the beginning of the monthly wage period in January, April, July, and October of each year.

Provided further that no such wage period once opted in the respective coal mines shall be changed unless the employer has obtained prior permission from the Chief Labour Commissioner (Central) in that behalf".

[No. R-34011/1/76-PF-I(i)]

सा० का० नि० 1231.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1705 तारीख 4 अक्तूबर, 1952 के साथ प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम 1977 है;

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी;

3. आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस स्कीम में, पैरा 2 में, खण्ड (ङ) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसी कोयला खानों में, जहां मासिक मजदूरी अवधि कलेन्डर मास के प्रथम दिन से भिन्न किसी दिन को प्रारम्भ होती है, "तिमाही" से प्रत्येक वर्ष की जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर में मासिक मजदूरी अवधि के शुरू से प्रारम्भ होने वाली तीन मासिक मजदूरी अवधि अभिप्रेत है :

परन्तु यह और कि उस मजदूरी अवधि में, जिसके लिए संबंधित कोयला खान में एक बार विकल्प दिया गया है, परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोजक ने उस निमित्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो।

[सं० आर० 34011/1/76 पी० एफ० (I) (ii)]

G.S.R. 1231.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with section 7, of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Andhra Pradesh Coal Mines Bonus Scheme, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. R. O. 1705, dated the 4th October, 1952, namely :—

1. This Scheme may be called the Andhra Pradesh Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1977.

2. It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

3. In paragraph 2 of the Andhra Pradesh Coal Mines Bonus Scheme, the following Provisions shall be added to clause (m), namely :—

"Provided that in the Coal Mines where the monthly wage period commences otherwise than on the first day of the calendar month, "quarter" shall mean three monthly wage periods commencing from the beginning of the monthly wage period in January, April, July and October of each year.

Provided further that no such wage period once opted in the respective coal mines shall be changed unless the employer has obtained prior permission from the Chief Labour Commissioner (Central) in that behalf".

[No. R-34011/1/76-PF-I(ii)]

सा० का० नि० 1232.—केन्द्रीय सरकार कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 3643 तारीख 17 दिसम्बर, 1954 के साथ प्रकाशित राजस्थान कोयला खान बोनस स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम राजस्थान कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम 1977 है।

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

3. राजस्थान कोयला खान बोनस स्कीम में, पैरा 2 में, खण्ड (ड) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसी कोयला खानों में, जहां मासिक मजदूरी अवधि कैलेन्डर मास के दिन से भिन्न किसी दिन को प्रारम्भ होती है, "तिमाही" से प्रत्येक वर्ष की जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर में मासिक मजदूरी अवधि के शुरू से प्रारम्भ होने वाली तीन मासिक मजदूरी अवधि अभिप्रेत है :

परन्तु यह और कि उस मजदूरी अवधि में, जिसके लिए संबंधित कोयला खान में एक बार विकल्प किया गया है, परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोजक ने उस निमित्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो।

[सं० आर० 34011/1/76 पी० एफ०-I (iii)]

G.S.R. 1232.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with section 7, of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Rajasthan Coal Mines Bonus Scheme published with the notification of Government of India in the Ministry of Labour, No. S.R.O. 3643, dated the 17th December, 1954, namely :—

1. This scheme may be called the Rajasthan Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1977.

2. It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

3. In paragraph 2 of the Rajasthan Coal Mines Bonus Scheme, the following provisions shall be added to clause (m) namely :—

"Provided that in the Coal Mines where the monthly wage period commences otherwise than on the first day of the calendar month, "quarter" shall mean three monthly wage periods commencing from the beginning of the monthly wage period in January, April, July, and October of each year.

Provided further that no such wage period once opted in the respective coal mines shall be changed unless the employer has obtained prior permission from the Chief Labour Commissioner (Central) in that behalf".

[No. R-34011/1/76-PF-1(ii)]

सा० का० नि० 1233.—केन्द्रीय सरकार कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 2042 तारीख 8 सितम्बर, 1955 के साथ प्रकाशित आसाम कोयला खान बोनस स्कीम 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम आसाम कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम 1977 है।

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

3 आसाम कोयला खान बोनस स्कीम में, पैरा 2 में, खण्ड (ड) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसी कोयला खानों में, जहां मासिक मजदूरी अवधि कैलेन्डर मास के प्रथम दिन से भिन्न किसी दिन को प्रारम्भ होती है, "तिमाही" से प्रत्येक वर्ष की जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर में मासिक मजदूरी अवधि के शुरू से प्रारम्भ होने वाली तीन मासिक मजदूरी अवधि अभिप्रेत है :

परन्तु यह और कि उस मजदूरी अवधि में, जिसके लिए संबंधित कोयला खान में एक बार विकल्प किया गया है, परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नियोजक ने उस निमित्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो।

[सं० आर० 34011/1/76 पी० एफ० I (iv)]

G.S.R. 1233.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with section 7, of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Assam Coal Mines Scheme, 1955, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.R.O. 2042, dated the 8th September, 1955, namely :—

1. This scheme may be called the Assam Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1977.

2. It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

3. In paragraph 2 of the Assam Coal Mines Bonus Scheme, the following provisions shall be added to clause (m), namely :—

"Provided that in the Coal Mines where the monthly wage period commences otherwise than on the first day of the calendar month, "quarter" shall mean three monthly wage periods commencing from the beginning of the monthly wage period in January, April, July and October of each year.

Provided further that no such wage period once opted in the respective coal mines shall be changed unless the employer has obtained prior permission from the Chief Labour Commissioner (Central) in that behalf".

[R-34011(1)/76-PF-I(iv)]

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1977

सा० का० नि० 1234.—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् तैयार किया गया था, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1716 तारीख 16 नवम्बर, 1976 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i) तारीख 4 दिसम्बर, 1976 में पृष्ठ 3029 से 3034 पर प्रकाशित किया गया था, और उसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र 4 दिसम्बर, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से उक्त नियमों के प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 में,--

(i) द्वितीय परन्तुक में "छुट्टी (तीस दिन से कम अवधि की अर्जित छुट्टी से भिन्न) की," शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ऐसी छुट्टी की, जिसका कोई छुट्टी वेतन नहीं है या जिसका छुट्टी वेतन, आधे वेतन या अर्द्ध औसत वेतन के समतुल्य या उससे कम है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उप नियम (2) में, "छुट्टी के दौरान" शब्द के स्थान पर, "उप नियम (1) के द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट छुट्टी, की किसी अवधि के दौरान," शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

3. उक्त नियमों के नियम 13 में, उपनियम 4 में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक और टिप्पण अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जहां सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन में प्रतिनियुक्त किसी अंशदायक को तत्पश्चात् किसी भूतलक्षी तारीख से उस निगमित निकाय या संगठन में आमेलित कर लिया जाए, उस अंशदायक के नाम जमा रकम पर शोध्य ब्याज संगणित करने के प्रयोजनार्थ आमेलन सम्बन्धी आदेशों के जारी किए जाने की तारीख वह तारीख समझी जाएगी जिसको अंशदायक के जमाखाते की रकम संदेय हो जाती है, किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि उक्त आमेलन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और आमेलन के आदेश जारी किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अंशदान के रूप में वसूल की गई रकम, इस उपनियम के अधीन ब्याज देने के प्रयोजनार्थ ही, निधि में अंशदान समझी जाएगी।

टिप्पणी :--छह मास से अधिक किन्तु एक वर्ष की अवधि तक अंशदायक के नाम जमा रकम पर ब्याज का संदाय लेखा अधिकारी द्वारा, यदि उसने व्यक्तिशः अपना यह समाधान कर लिया है कि संदाय में विलम्ब अंशदायक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुआ था तो, प्राधिकृत किया जा सकता है और ऐसे प्रत्येक मामले में उस विषय में होने वाले प्रशासनिक विलम्ब का पूर्ण रूप से पता चलाया जाएगा और, यदि किसी कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो वह की जाएगी।"

4. उक्त नियमों के नियम 14 में,

(क) उपनियम (1) में—

(i) खंड (क) में, "अंशदायक या उस पर" शब्दों के स्थान पर "अंशदायक या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या अंशदायक पर" शब्द रखे जाएंगे ; और

(ii) खण्ड (ग) में, "विवाह या," शब्दों से पूर्व "वाग्दान या" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उप नियम (2) में विद्यमान टिप्पण को टिप्पण 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तः स्थापित किया जाएगा ;

"टिप्पण 2, नियम 14 के उपनियम (1) की मद (ख) के अधीन अंश-दायक को प्रत्येक छह मास में केवल एक उधार लेने की अनुज्ञा दी जाएगी ;"

5. उक्त नियमों के नियम 15 में, उपनियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उधार की वसूली नियम 12 में अंशदानों की वसूली के लिए विहित रीति से की जाएगी, और जिस मास में उधार लिया जाए उसके पश्चात्वर्ती मास का वेतन दिए जाने के साथ प्रारम्भ होगी। किसी अवधि के दौरान, जब अंशदायक एक केलेण्डर मास में दस दिन या अधिक के लिए निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो, या जिसमें, यथास्थिति, कोई छुट्टी वेतन नहीं है या छुट्टी वेतन आधे वेतन या अर्धं औसत वेतन के समतुल्य या उससे कम है, तब अंशदायक की सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी। अंशदायक की लिखित प्रार्थना पर वसूली, अंशदायक को अनुदत्त अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान मंजूरीकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्थगित की जा सकती है।

6. उक्त नियमों के नियम 17 में, उपनियम (i), में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ख) अंशदायक के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य स्त्री नातेदार के वाग्दान या विवाह से सम्बन्धित खर्च के व्यय को वहन करने के लिए," ;

7. उक्त नियमों के नियम 18 में,—

(i) उप नियम (1) में अन्त में निम्नलिखित टिप्पण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण-1

अंशदायक को नियम 17 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक छह मास में एक बार प्रत्याहरण की अनुज्ञा होगी। प्रत्येक ऐसे प्रत्याहरण को, नियम 18 के उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ पृथक प्रयोजन के लिए प्रत्याहरण समझा जाएगा।

टिप्पण-2

जहां अंशदायक को, किसी आवास निर्माण सहकारी समिति, या वैसे ही किसी अभिकरण के माध्यम से खरीदे गए किसी स्थल या गृह या उस अभिकरण के माध्यम से निर्मित गृह के लिए किश्तें देनी हों, वहां, जब कभी उससे किश्त देने की मांग की जाए तब उसे प्रत्याहरण की अनुज्ञा होगी। प्रत्येक ऐसे संदाय को, नियम 18 के उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ पृथक प्रयोजन के लिए संदाय समझा जाएगा।

टिप्पण-3

यदि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि निधि में अंशदायक के खाते में जमा रकम अपर्याप्त है और वह प्रत्याहरण से भिन्न किसी तरीके से अपनी आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ है तो अंशदायक द्वारा निधि में से, नियम 20 के अधीन, किसी बीमा पालिसी या पालिसियों को वित्त पोषित करने के लिए पहले निकाली गई रकम को, इस उपनियम में अधिकथित सीमा के प्रयोजनार्थ, निधि में उसके खाते में जमा वास्तविक रकम के अतिरिक्त हिसाब में लिया जाएगा। अनुज्ञेय प्रत्याहरण को रकम के इस प्रकार अवधारित किए जाने के पश्चात्—

(क) यदि इस प्रकार अवधारित की गई रकम, नियम 20 के अधीन बीमा पालिसी या पालिसियों को वित्त पोषित किए जाने के लिए पहले ही प्रत्याहृत रकम से अधिक है तो इस प्रकार प्रत्याहृत रकम को अंतिम प्रत्याहरण समझा जाएगा और इस प्रकार समझी गई रकम और अनुज्ञेय प्रत्याहरण की कुल रकम में यदि कोई अन्तर हो तो जितना अन्तर है उतनी रकम नकद संदत्त की जाएगी ; और

(ख) यदि इस प्रकार अवधारित की गई रकम, नियम 20 के अधीन बीमा पालिसी या पालिसियों को वित्त पोषित करने के लिए पहले प्रत्याहृत रकम से अधिक नहीं है तो उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा को विचार में लाए बिना उस रकम को अंतिम प्रत्याहरण समझा जाएगा।";

(ii) उपनियम (2) में, "नियम 13 के अधीन अवधारित दर पर उस रकम पर ब्याज सहित, शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) उपनियम (3) को उपनयम (4) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित नियम (4) से पूर्व निम्नलिखित उपनियम और टिप्पण अन्तःस्थापित किए जाएंगे :—

"(3) (क) वह अंशदायक, जिसे निधि में उसके खाते में जमा रकम में से नियम 17 के उपनियम (1) के खण्ड (घ), खण्ड (ङ०) खण्ड (च) के अधीन रकम प्रत्याहृत करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, इस प्रकार प्रत्याहृत धन से निर्मित या अर्जित गृह या खरीदे गए गृहस्थल को अपने कब्जे से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की पूर्व अनुज्ञा के बिना, विक्रय (कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास बन्धक से भिन्न) बन्धक, दान, विनिमय द्वारा या अन्य किसी प्रकार से, अलग नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी अनुज्ञा निम्नलिखित दशाओं में आवश्यक नहीं होगी—

(i) गृह या गृहस्थल का किन्हीं निबन्धनों पर तीन वर्ष से अनधिक के लिए पट्टे पर दिया जाना ; या

(ii) नए गृह के निर्माण के लिए या विद्यमान गृह में संवर्धन या परिवर्तन करने के लिए उधार देने वाले किसी आवासन बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य निगम के पक्ष में उसका बन्धक किया जाना।

(ख) अंशदायक प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर, से अपश्चात् इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा कि, यथास्थिति, गृह या गृहस्थल अभी भी उसके कब्जे में बना हुआ है या यथा पूर्वोक्त बन्धक रख दिया गया है या किसी अन्य प्रकार से अन्तरित कर दिया गया है या किराए पर दे दिया गया है, और, यदि उससे वैसी अपेक्षा की जाए तो, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष इस निमित्त उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व, मूल विक्रय विलेख, बंधक विलेख या पट्टा-विलेख और उन दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करेगा जिन पर उसका सम्पत्ति का हक आधारित है।

(ग) यदि सेवा-निवृत्ति से पूर्व किसी भी समय अंशदायक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना गृह या गृहस्थल का कब्जा छोड़ देता है तो वह इस प्रकार प्रत्याहृत की गई राशि तुरन्त एकमुश्त निधि में प्रतिसंदत्त करेगा और ऐसे प्रतिसंदाय के व्यतिक्रम की दशा में, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी अंशदायक को इस विषय में प्रतिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, वह राशि अंशदायक की उपलब्धियों में से, एकमुश्त या महानिदेशक द्वारा यथावधारित संख्या में, मासिक किस्तों में, वसूल करा लेगा।

टिप्पणी :—उस अंशदायक से, जिसने सरकार/निगम से ऋण लिया है और उसके बदले में गृह या गृहस्थल सरकार/निगम के पास बंधक रख दिया है, अपेक्षा की जाएगी कि वह निम्नलिखित आशय की घोषणा प्रस्तुत करे, अर्थात् :—

"मैं प्रमाणित करता हूं कि वह गृह या गृहस्थल जिसके निर्माण या अर्जन के लिए मैंने भविष्य निधि में से अंतिम प्रत्याहरण किया है, मेरे कब्जे में है किन्तु सरकार/कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास बन्धक है।"

8. उक्त नियमों के नियम 19 में अन्त में निम्नलिखित टिप्पण अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

टिप्पणी-1

ऐसे अंशदायकों की दशा में, जो अपने वेतन बिल स्वयं नहीं बनाते कार्यालय अध्यक्ष से और उनकी दशा में जो अपने वेतन बिल स्वयं बनाते है सम्बद्ध लेखा अधिकारी से प्रशासन प्राधिकारी द्वारा यह अनुरोध किया जा सकता है कि जब उस प्राधिकारी द्वारा ऐसे संपरिवर्तन के लिए, आवेदन लेखा अधिकारियों को अग्रेषित किया जाय तब, वे वेतन-बिलों में से वसूली करना बन्द कर दें। ऐसे अंशदायकों की दशा में, जो अपना वेतन बिल स्वयं बनाते है, प्रशासन प्राधिकारी, आगे की वसूलियों के रोकने की अनुज्ञा देने के लिए उस पत्र की एक प्रति अंशदायक की प्रज्ञापना को उस लेखा अधिकारी को जहां से वह वेतन लेता है, अग्रेषित करते हुए, पृष्ठांकित करेगा।

टिप्पण-2

नियम 18 के उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ, संपरिवर्तन के समय अंशदायक के खाते में जमा रकम या अंशदायक तथा उस पर ब्याज और उधार की बकाया रकम प्रतिशोध समझी जाएगी। प्रत्येक प्रत्याहरण को पृथक समझा जाएगा और एक से अधिक संपरिवर्तनों की दशा में भी वही सिद्धांत लागू होगा।

9. उक्त नियमों के नियम 20 में प्रथम परन्तुक के नीचे खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) संदाय जिस तारीख को शोध्य हो उससे तीन मास से अधिक पूर्व ही किसी प्रीमियम या अंशदाय का संदाय करने के लिए।

टिप्पण-1 इस उपबन्ध के प्रयोजनार्थ, संदाय शोध्य होने की तारीख वह तारीख होगी जिस तक संदाय किया जा सकता है और इसमें बीमा कम्पनियों द्वारा अनुज्ञात अनुग्रह अवधि भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण

इस परन्तुक के खण्ड (ग) के अधीन, जीवन बीमा की किसी पालिसी को वित्तपोषित करने के लिए निधि में से कोई भी रकम संदाय की शोध्य तारीख के पश्चात् ऐसे संदाय के प्रतीक स्वरूप प्रीमियम रसीद प्रस्तुत किए बिना, नहीं निकाली जाएगी," ।

10. उक्त नियमों के नियम 22 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपनियम (1) के नीचे निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) यदि नियम 20 के अधीन प्रतिस्थापित किसी अंशदान या संदाय की कुल रकम, नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन निधि में संदाय न्यूनतम अंशदान की रकम से कम हो तो दोनों के अन्तर को नियम 13 के उपनियम (2) के खण्ड (4) में उपबन्धित रीति से निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और अंशदायक द्वारा निधि में अंशदान के रूप में संदत्त किया जाएगा।"

11. उक्त नियमों के नियम 32 के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण-1

उस अंशदायक के बारे में, जिसे अस्वीकृत छुट्टी मंजूर की जाती है, यह समझा जाएगा की उसने अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से या सेवा विस्तारण की समाप्ति पर सेवा छोड़ दी है।

स्पष्टीकरण-2

ऐसे अंशदायक के बारे में, जो उस अंशदायक से भिन्न हो, जिसे संविदा पर नियुक्त किया गया हो या जो सेवा से निवृत्त हो चुका हो और जिसे बाद में, सेवा में व्यवधान सहित या व्यवधान रहित, पुनर्नियोजित कर लिया गया हो, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने सेवा छोड़ दी है यदि उसे किसी राज्य सरकार के अधीन किसी नए पद पर या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में किसी नए पद पर (जहां वह किन्हीं अन्य भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होता है), उसके पहले पद से कोई संबंध कायम रखे बिना, सेवा में बिना किसी व्यवधान के स्थानान्तरित कर दिया जाए। ऐसी दशा में, उसके, अंशदाय, उस पर ब्याज सहित, निम्नलिखित को अन्तरित कर दिया जाएगा :—

(क) यदि नया पद केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग में है तो उस अन्य निधि के नियमों के अनुसरण में उस निधि को ; या

(ख) यदि नया पद किसी राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार, अंशदान और ब्याज के ऐसे अन्तरण के लिए, साधारण या विशेष आदेश द्वारा सहमति दे देती है तो, संबंधित राज्य सरकार के अधीन नए खाते को।

टिप्पण :—

स्थानान्तरण के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अधीन, सेवा में व्यवधान हुए बिना, और केन्द्रीय सरकार की समुचित अनुज्ञा से, नियुक्ति पर जाने के लिए सेवा से त्यागपत्र देना भी है, और यदि सेवा में कोई व्यवधान हो गया है तो उसकी अवधि किसी भिन्न स्थान पर स्थानान्तरण के लिए अनुज्ञात पदग्रहण काल तक सीमित होगी ।

यही बात ऐसी छंटनी के मामलों को भी लागू होगी जिसके तुरन्त बाद उसी सरकार के अधीन या किसी भिन्न सरकार के अधीन नियोजन मिलता है ।

स्पष्टीकरण 3

जब कोई अंशदायक, जो ऐसे अंशदायक से भिन्न हो जिसे संविदा पर नियुक्त किया गया हो या जो सेवा से निवृत्त हो चुका हो और जिसे बाद में, सेवा में व्यवधान के बिना, पुनःनियोजित किया जाता है, सरकार के या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वशासी संगठन के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगमित निकाय के अधीन स्थानान्तरित किया गया हो तो अंशदाय की रकम और उस पर ब्याज उसे नहीं दिए जाएंगे किन्तु, उस निकाय की सहमति से, उस निकाय के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दिए जाएंगे ।

स्थानान्तरण के अन्तर्गत सरकार के, या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत, किसी स्वशासी संगठन के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगमित निकाय के अधीन बिना किसी सेवा व्यवधान के और केन्द्रीय सरकार की समुचित आज्ञा से नियुक्ति पर जाने के लिए सेवा से त्यागपत्र देना भी है। नया पद ग्रहण करने में लगने वाला समय, यदि वह एक पद से दूसरे पद को स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक को अनुज्ञेय पद-ग्रहण काल से अधिक नहीं है तो, सेवा में व्यवधान नहीं समझा जाएगा ।

परन्तु ऐसे अंशदायक के अंशदान की रकमें, उस पर ब्याज सहित, जो किसी लोक उद्यम के अधीन सेवा करने का विकल्प करता है, यदि वह चाहे तो उस उद्यम के अधीन उसकी नई भविष्य निधि में तब अन्तरित की जा सकती है जब सम्बद्ध उद्यम भी ऐसे अन्तरणों के लिए सहमत हो। किन्तु यदि, अंशदायक अन्तरण न करना चाहे या सम्बद्ध उद्यम की कोई भविष्य निधि न हो तो पूर्वोक्त रकम अंशदायक को वापस कर दी जाएगी ।"

12. उक्त नियमों के नियम 33 के परन्तुक में "को पूर्णतः या अंशतः" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ।

13. उक्त नियमों के नियम 35 में, उपनियम (2) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां कोई प्रबंधक नियुक्त न किया गया हो और वह व्यक्ति, जिसे वह राशि संदेय हो, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया गया हो, तो संदाय भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) की धारा 95 की उपधारा (1) के निबन्धनों के अनुसार कलेक्टर के आदेश से ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा जो उस पागल की देखभाल करता हो और लेखाअधिकारी उस व्यक्ति को, जो ऐसे पागल की देखभाल करता है, केवल उस रकम का संदाय करेगा जो वह उपयुक्त समझे, और अधिशेष यदि कोई हो, या उस रकम का वह भाग, जो वह उपयुक्त समझे, पागल के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए संदत्त किया जाएगा जो उस पर भरण-पोषण के लिए आश्रित हों ।"

[फाइल सं० एस-65012/2/76-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

New Delhi, the 1st September, 1977

G.S.R. 1234.—Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, framed after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, were published as required by sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), at pages 3029 to 3034 of the Gazette of India, Part II—Section 3, Sub-section (i), dated the 4th December, 1976, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 1716, dated the 16th November, 1976 inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 4th December, 1976 ;

And whereas no objections and suggestions were received from the public on the said draft rules ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 9 of the Employees' State Insurance Corporation (General Provident Fund) Rules, 1973 (hereinafter referred to as the said rules) :—

(i) in the second proviso, for the words and brackets "leave (other than earned leave of less than thirty days duration)", the words "leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay" shall be substituted ;

(ii) in sub-rule (2), for the word "leave" the words, brackets and figure "during any period of leave referred to in the second proviso to sub-rule (1)" shall be substituted.

3. In rule 13 of the said rules, in sub-rule (4), after the existing proviso, the following proviso and note shall be inserted namely :—

"Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, then, for the purpose of calculating the interest due on the amount standing to the credit of the subscriber, the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable, subject however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the fund only for the purpose of awarding interest under this sub-rule.

Note :—Payment of interest on the amounts lying to the credit of a subscriber beyond a period of six months and upto a period of one year may be authorised by the Accounts Officer after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned

by circumstances beyond the control of the subscriber and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any, required taken.".

4. In rule 14 of the said rules,

(A) in sub-rule (1)—

(i) in clause (a) after the words "of the subscriber" the words "or any member of his family" may be inserted ; and

(ii) in clause (c), after the words "in connection with," the words "betrothal or" may be interested ;

(B) in sub-rule (2), the existing note may be renumbered as Note 1 and after the Note 1 so renumbered, the following Note, shall be inserted, namely :—

"Note 2 :—A subscriber shall be permitted to take only one advance in every six months under item (b) of sub-rule (1) of rule 14".

5. In rule 15 of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) Recovery of advance shall be made in the manner specified in rule 12 for the realisation of subscriptions, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent, during any period while he is in receipt of subsistence grant for ten days or more in a calendar month or which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be. The recovery may on the subscriber's written request, be postponed by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber".

6. In rule 17 of the said rules, in sub-rule (1), for clause (b) the following shall be substituted, namely :—

"(b) meeting the expenditure in connection with the betrothal or marriage of the subscriber's sons or daughters and of any other female relation actually dependent on him ;"

7. In rule 18 of the said rule,—

(i) in sub-rule (1), the following Notes shall be inserted at the end, namely :—

"Note I

A subscriber shall be permitted to make a withdrawal once in every six months under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 17. Every such withdrawal shall be treated as a withdrawal for a separate purpose for the purposes of sub-rule (1) of rule 18.

Note II

In cases where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house purchased, or a house constructed through a House Building Cooperative Society or similar agency, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-rule 1 of rule 18.

Note III

In case the sanctioning authority is satisfied that the amount standing to the credit of subscriber in the Fund is insufficient and he is unable to meet his requirements otherwise than by withdrawal, the amount already withdrawn by the subscriber from the Fund to finance any insurance policy or policies under rule 20 may be taken into account as an addition to the actual amount standing to his credit in the Fund for the purpose of the limit laid down in this sub-rule. After the amount of withdrawal admissible has been so determined,—

(a) If the amount so determined exceeds the amount already withdrawn from the fund to finance insurance policy or policies under rule 20, the amount so withdrawn may be treated as final withdrawal and the difference, if any, between the amount so treated and the total amount of withdrawal admissible may be paid in Cash ; and

(b) If the amount so determined does not exceed the amount already withdrawn from the fund to finance any insurance policy or policies under rule 20 the amount so withdrawn, may, irrespective of the limit specified in sub-rule (1) be treated as final withdrawal."

(ii) in sub-rule (2), the words and figure "together with interest thereon at the rate determined under rule 13" shall be omitted.

(iii) sub-rule (3) shall be renumbered as sub-rule (4) and before sub-rule (4) as so renumbered, the following sub-rule and Note shall be inserted :—

(3)(a) A subscriber who has been permitted under clause (d), clause (e) or clause (f) of sub-rule (1) of rule 17 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund shall not part with the possession of the house built or acquired or house site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage, (other than mortgage to the Employees' State Insurance Corporation) gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Employees' State Insurance Corporation :

Provided that such permission shall not be necessary for—

(i) the house or house site being leased for any terms not exceeding three years ; or

(ii) its being mortgaged in favour of a housing board, nationalized banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than 31st day of December of every year as to whether the house or the house site as the case may be continues to be in his possession or has been mortgaged otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(c) If, at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house site without obtaining the previous permission of the E.S.I. Corporation he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lumpsum to the Fund, and, in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lumpsum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Director General.

Note.—A subscriber who has taken loan from Government/Corporation and in lieu thereof has mortgaged the house or house-site to the Government/Corporation shall be required to furnish the declaration to the following effect, namely :—

'I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession, but stands mortgaged to the Government/Employees' State Insurance Corporation.'

8. In rule 19 of he said rules, the following notes shall be inserted at the end, namely :—

"Note I :

The Head of Office in the case of subscribers who do not draw their own pay bills and the Accounts Officers concerned in the case of subscribers who draw their own pay bills may be asked by the Administrative authority, to stop recoveries from the pay bills when the application for such conversion is

forwarded to the Accounts Officers by that authority. In the case of subscribers, who draw their own pay bills, the administrative authority shall endorse a copy of the letter forwarding the subscriber's intimation to the Accounts Officer from where he draws his pay in order to permit stoppage of further recoveries.

Note II :

For the purpose of sub-rule (1) of rule 18 the amount or subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the out-standing amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion."

9. In rule 20 of the said rules, for clause (c) below the first proviso, the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) to meet payment of any premium or subscription more than three months in advance of the due date of payment.

Note.—Due date of payment for the purpose of this provision will be the date upto which payment can be made including the grace period allowed by the insurance companies.

Explanation :

Under clause (c) of this proviso no withdrawal from the fund for financing a policy of life insurance shall be made after the due date of payment without production of the premium receipt in token of such payment."

10. Rule 22 of the said rules shall be re-numbered as sub-rule (1) thereof and below sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) If the total amount of any subscriptions or payments substituted under rule 20 is less than the amount of the minimum subscription payable to the fund under sub-rule (1) of rule 10 the difference shall be rounded to the nearest rupee in the manner provided in clause (iv) of sub-rule (2) of rule 13 and paid the subscriber as a subscription to the fund."

11. After the proviso to rule 32 of the said rules, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation I :

A subscriber who is granted refused leave shall be deemed to have quitted the service from the date of compulsory retirement or on the expiry of extension of service.

Explanation II :

A subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service, and is subsequently re-employed with or without a break in service, shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a new post under a State Government or in another department of Central Government (in which he is governed by an other set of Provident Fund Rules) and without retaining any connection with his former post. In such a case, his subscriptions together with interest thereon shall be transferred:

(a) to his account in the other Fund in accordance with the rules of that fund if the new post is in another department of the Central Government; or

(b) to a new account under the State Government concerned if the new post is under a State Government and the State Government consents, by general or special order, to such transfer of subscriptions and interest.

Note :—

Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment in an other department of the Central Government or under the State Government without any break and with proper permission of the Central Government; in cases where there has been a break in service it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station.

The same shall hold good in cases of retrenchment followed by immediate employment whether under the same or different Government.

Explanation III :

When a subscriber other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed is transferred without any break to the service under a body Corporate, owned or controlled by Government or autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 the amount of subscriptions together with interest thereon shall not be paid to him but shall be transferred with the consent of that body to his new Provident Fund Accounts under that body.

Transfers shall include cases of resignation from service in order to take appointment under a body Corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of *1860), without any break and with proper permission of the* Central Government. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to a Government servant on transfer from one post to another :

Provided that the amount of a subscription, together with interest thereon, of *a subscriber opting for* services under a public enterprise may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account under the enterprise if the concerned enterprise also agrees to such a transfer. If, however, the subscriber does not desire the transfer or the concerned enterprise does not operate a Provident *Fund, the amount aforesaid shall be* refunded to the subscriber."

12. In the proviso to rule 33 of the said rules, the words 'whole or part of any' shall be omitted.

13. In rule 35 of the said rules, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic the payment shall under the order of the Collector be made in terms of sub-section (1) of section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912), to the person having charge of such Lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the Lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.".

[File No. S-65012/2/76-H]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1977

सीमा शुल्क

सा. का. नि. 1235.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं. 37-सीमा-शुल्क तारीख 1 फरवरी, 1963 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खण्ड (क) में, प्रविष्टि 4 में "बाह्य मुम्बई" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 196/फा. सं. 437/1/77-सीमा-शुल्क 4]

ए. के. सरकार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

(Revenue Wing)

New Delhi, the 17th September, 1977

CUSTOMS

G.S.R. 1235.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 37-Customs, dated the 1st February, 1963, namely :—

In the said notification, in clause (a), in entry 4, the words "Outer Bombay", shall be omitted.

[Notification No. 196/F. No. 437/1/77-Cus. IV]

A. K. SARKAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1977

171/ I.D-78/CSL